

CG-DL-E-25012023-243221

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] No. 41]

1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 2023/माघ 1, 1944 [1] NEW DELHI, SATURDAY JANUARY 21, 2023/MAGHA 1, 1944

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 42(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3, धारा 4, धारा 5 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 6, धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख), धारा 12 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (9), धारा 13 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के परंतुक, धारा 14 की उपधारा (2), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2023 है।
 (2) ये नियम 23 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में,

(i) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप नियम (1) के अधीन नामित व्यक्ति का नाम एकल व्यक्ति कंपनी के ज्ञापन में उल्लिखित किया जाएगा और ऐसे नामांकन का ब्यौरा ऐसे नामिती की सहमति के साथ प्ररूप सं. आईएनसी-32 (स्पाइस+) में घोषणा के रूप में भरा जाएगा और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में प्रदान किए गए शुल्क के साथ ऐसा प्ररूप कंपनी के निगमन के समय इसके ई-ज्ञापन एवं ई-अनुच्छेद के साथ रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा।"।

(ii) उप-नियम (3) के परंतुक में, "प्ररूप सं. आईएनसी.3 में" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, जिसे प्ररूप संख्या आईएनसी.4 में एक घोषणा के रूप में फाइल किया जाएगा" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (4) में, "प्रपत्र सं. आईएनसी.3 में", शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप सं. आईएनसी-4 में घोषणा के रूप में"; शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(iv) उप-नियम (5) में, "प्ररूप सं. आईएनसी-3 में ऐसे अन्य व्यक्ति की पूर्व सहमति", शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "ऐसे अन्य व्यक्ति की सहमति और उसकी घोषणा प्ररूप सं. आईएनसी-4 में फाइल की जाएगी" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(v) उप-नियम (5) के परंतुक में, "प्ररूप सं. आईएनसी-3 में नए नामिती की लिखित सहमति" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, " प्ररूप संख्या आईएनसी-4 में घोषणा के रूप में नए नामिती की सहमति के विवरण"; शब्द रखे जाएंगे;

(vi) उप-नियम (6) में, "प्ररूप सं. आईएनसी-3 में इस प्रकार नामित व्यक्ति की पूर्व लिखित सहमति "शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप संख्या आईएनसी-4 में घोषणा के रूप में इस प्रकार नामित व्यक्ति की सहमति के विवरण"; शब्द रखे जाएंगें;

3. उक्त नियमों के नियम 6 में,

(i) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(3) वैकल्पिक ई-एमओए और ई-एओए के साथ कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में यथा उपबंधित शुल्क अधिनियम की धारा 8 के अधीन के अतिरिक्त, कंपनी निजी या सार्वजनिक कंपनी में इसके संवीक्षा के लिए ई-प्ररूप सं. आईएसी-6 में एक आवेदन दाखिल करेगी।";

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(4) इस बात से संतुष्ट होने पर कि अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, रजिस्ट्रार, नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की जांच करने के पश्चात, प्ररूप को मंजूरी देगा और प्रमाण पत्र जारी करेगा।"; 4. उक्त नियमों के नियम 7 में,

(i) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(4) कंपनी, निम्नलिखित विवरण या दस्तावेजों को संलग्न करके कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में प्रदान की गई फीस के साथ एकल व्यक्ति कंपनी में इसके संवीक्षा के लिए ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-6 में एक आवेदन दाखिल करेगी, अर्थात्:-

- (i). परिवर्तित ई-एमओए और ई-एओए;
- (ii). संवीक्षा के लिए आवेदन के साथ प्रत्येक लेनदारों की एनओसी की प्रति ;
- (iii). निदेशकों का हलफनामा इस बात की पुष्टि करते हुए कि कंपनी के सभी सदस्यों ने संवीक्षा के लिए अपनी सहमति दे दी है।";

(ii) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(5) इस बात से संतुष्ट होने पर कि यहां बताई गई अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, रजिस्ट्रार, नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की जांच करने के पश्चात, प्ररूप को मंजूरी देगा और प्रमाण पत्र जारी करेगा।";

5. उक्त नियमों के नियम 19 में,

(i) उपनियम (3) में,-

(क) उप-खंड (ख) में, "प्ररूप सं आईएनसी-14 में" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-खंड (घ) में, "आवेदन" शब्द के पश्चात, "प्ररूप सं. आईएनसी-15 में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

6. उक्त नियमों के नियम 20 में,

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ निम्नलिखित ब्यौरे और दस्तावेज होंगे, अर्थात्:-

- (क). कंपनी का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद;
- (ख). एक अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा यह घोषणा कि संगम ज्ञापन और अनुुच्छेद अधिनियम की धारा 8 के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं और इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अनुपूरकों का अनुपालन किया गया है;
- (ग). आवेदन की तारीख को या उस तारीख से पूर्ववर्ती तीस दिनों के भीतर, कंपनी की परिसंपत्तियों (उसके मूल्यों के साथ) और देनदारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण;
- (घ). अधिनियम की धारा 8 के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण को अनुमोदन देने वाली आम या बोर्ड की बैठकों में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति; और
- (ड). आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक घोषणा।";

(ii) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) रजिस्ट्रार, आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के वित्तीय विवरणों पर विचार करने के पश्चात या जब कंपनी ने केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए कृत्य किया है, ऐसे वर्ष के लिए, जिसमें विद्यमान कंपनियों से संबंधित बोर्ड की रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सम्मिलित हैं, और आपत्तियों यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात, जो उसे सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राप्त हुआ है, और किसी प्राधिकारी, विनियामक निकाय, विभाग या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या राज्य सरकार(रों) से परामर्श करने के पश्चात, जो भी वह, अपने विवेकानुसार यह निर्णय लेता है कि अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए या नहीं।";

7. उक्त नियमों के नियम 21 में, उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) क्षेत्रीय निदेशक के पास प्ररूप संख्या आईएनसी.18 में दायर किए गए उपाबंधों के साथ, आवेदन की प्रति के साथ एक सूचना भी एमसीए प्रणाली के माध्यम से रजिस्ट्रार को जाएगी।"

8. उक्त नियमों के नियम 22 में,

(i) उपनियम (6) में, "आवेदन के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न करें" शब्दों के स्थान पर, "घोषणा के साथ आवेदन फाइल करें" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (11) में, खंड (ii) में, उप-खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ख) कंपनी का संशोधित संगम ज्ञापन और कंपनी का संशोधित संगम अनुच्छेद।";

9. उक्त नियमों के नियम 28 में, उप-नियम (1) में, "निम्नलिखित दस्तावेज" शब्दों के स्थान पर, "निम्नलिखित ब्यौरा और दस्तावेज" शब्द रखे किए जाएंगे;

10. उक्त नियमों के नियम 30 में,

(i) उपनियम (1) में, "निम्नलिखित दस्तावेज" शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित ब्यौरा और दस्तावेज" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (2) में "आवेदन के साथ संलग्न " शब्दों के स्थान पर " के विवरण" शब्द और "ब्यौरा" शब्द के स्थान पर "आवेदन में दिया गया ब्यौरा" शब्दों को रखा जाएगा।

(iii) उपनियम (4) में, -

(क) "रजिस्ट्रार और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि आवेदक को रजिस्ट्रार के साथ आवेदन की अलग-अलग प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और क्षेत्रीय निदेशक के साथ प्ररूप सं. आईएनसी-23 में आवेदन फाइल करने की सूचना एमसीए प्रणाली के माध्यम से रजिस्ट्रार के साथ साझा की जाएगी।"

11. उक्त नियमों के नियम 33 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(2) किसी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में संपरिवर्तन करने के लिए उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन, परिवर्तन को अनुमोदित करने वाले क्षेत्रीय निदेशक के आदेश से संबंधित प्ररूप सं. आरडी-1 के एसआरएन का उल्लेख प्ररूप संख्या आईएनसी-27 में किया जाएगा और क्षेत्रीय निदेशक से आदेश प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर परिवर्तित ई-संगम ज्ञापन और ई-संगम अनुच्छेद के साथ शुल्क के साथ रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाना चाहिए।"।

12. उक्त नियमों के नियम 37 में,

(i) उप-नियम (3) में,

(क) "निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करके" शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित दस्तावेजों तथा घोषणाओं को संलग्न करके" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) खंड (घ) में, "परिवर्तित संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति" शब्दों के स्थान पर "परिवर्तित ई-संगम ज्ञापन और ई-संगम अनुच्छेद" शब्दों को रखा जाएगा;

13. उक्त नियमों के नियम 39 में, उप-नियम (5) में, "संलग्न परिवर्तित संगम ज्ञापन तथा परिवर्तित संगम अनुच्छेद", शब्दों के स्थान पर "संगम ज्ञापन तथा परिवर्तित संगम अनुच्छेद के साथ" शब्दों को रखा जाएगा;

14. उक्त नियमों के नियम 40 में, उप-नियम (2) में, "ई-प्ररूप आरडी-जीएनएल-5 में" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा।

15. उक्त नियमों के नियम 41 में,-

(i) उप-नियम (1) में, उपखंड (क) में, "संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद की मसौदा प्रति" शब्दों के स्थान पर "संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (6) में, उपखंड (ख) में "ई-प्ररूप आरडी-जीएनएल-5 में" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा।

16. उक्त नियमों के उपाबंध में, (i) आईएनसी-3 एकल व्यक्ति कंपनी – नामित सहमति प्ररूप, प्ररूप सं. आईएनसी-14 घोषणा, प्ररूप सं. आईएनसी-15 घोषणा और आरडी जीएनएल-5 – चुकों या अपूर्णता के परिहार के लिए परिशिष्ट की फाइलिंग हेतु प्ररूप का लोप किया जाएगा;

(ii). प्ररूप संख्या आरयूएन, आईएनसी-4, आईएनसी-6, आईएनसी-9, आईएनसी-12, आईएनसी-13, आईएनसी-18, आईएनसी-20, आईएनसी-20क, आईएनसी-22, आईएनसी-23, आईएनसी-24, आईएनसी-27, आईएनसी-28, आईएनसी-31, स्पाइस+(आईएनसी-32), आईएनसी-33, आईएनसी-34 और आईएनसी-35 और आरडी-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूपों को रखा जाएगा, अर्थात्:-



एक बार जब आप कंपनी के नाम में बदलाव के लिए नाम आरक्षण अनुरोध जमा कर देते हैं, तो इसकी जांच की जाएगी और यदि संभव पाया जाता है, तो केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आपको सीआरसी से एक ईमेल प्राप्त होगा जो नाम आरक्षण अनुरोध के परिणाम की सलाह देगा। फॉर्म सं. आईएनसी-4





एकल व्यक्ति कंपनी - सदस्य / नामांकित व्यक्ति में परिवर्तन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 (1) *और कंपनी (निगमन) के नियम 4 (4)*, (*5) और (6) नियम, 2014] के अनुसरण में* 

प्ररूप फाइल करने के लिए निर्देश किट देखें

सभी\* में चिहिनत फ़ील्ड अनिवार्य हैं

### फाइल करने का उद्देश्य

1 \* यह प्ररूप किसके लिए है?

0	ओपीसी के नामित व्यक्ति द्वारा सहमति वापस लेने के लिए नोटिस हेतु
0	ओपीसी के नामांकित व्यक्ति के नाम में परिवर्तन के बारे में सूचना
0	समाप्ति की सूचना

कंपनी की जानकारी

2 \* कारपोरेट पहचानसंख्या (सीआईएन)

3 (क) \* एकल व्यक्ति कंपनी का नाम

- (ख) \* पंजीकृत कार्यालय का पता
- (ग) \* कंपनी की ईमेल आईडी

नामांकित	व्यक्ति	द्वारा	सहमति	वापस	लेने	का	नोटिस	(डेटा	फ़ील्ड	1 7	में	विकल्प	1 र	का	चयन	होने	की	स्थिति	। में	निम्न	लिखित	Γ
फ़ील्ड लाग	र् होते है	Ė)																				

4 सहमति वापस लेने की सूचना

नोटिस दिया जाता है कि

जिसे नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित किया

गया	था
-----	----

8 THE GAZETT	E OF INDIA : EXTRAORDINA	RY [PART II—SEC. 3(i)]
दिनांक के अपने नो जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है।	टिस के माध्यम से अपनी सहमति	ते वापस ले ली है
नामांकन में परिवर्तन के बारे में सूचना (डेटा फ़ील्ड	1 में विकल्प 2 का चयन होने ब	नी स्थिति में निम्नलिखित फ़ील्ड लागू होते हैं)
5 नामांकन में बदलाव के बारे में सूचना		
इसके द्वारा उस सदस्य को नोटिस दिया जाता है		
मनोनीत		
प्रथम नाम		
मध्य नाम		
उपनाम		
दिनांक	की सूचना के माध	्यम से
के स्थान पर उनके नामांकन के रूप में जो उब जाएगा।	की मृत्यु या अनुबंध करने में उ	नकी अक्षता की स्थिति में कंपनी का सदस्य बन
<b>सदस्य की समाप्ति की सूचना (डेटा फ़ील्ड 1 में वि</b> 6 सदस्य की समाप्ति की सूचना	<b>कल्प 3 का चयन होने की स्थि</b> ति	ो में निम्न फ़ील्ड लागू होते हैं)
(क) सूचना इसके द्वारा दी जाती है कि		वह किसके सदस्य नहीं रह गए हैं?
से लागू		(सदस्य की मृत्यु/ सदस्य की अक्षमता) के
कारण		
अनुबंध / स्वामित्व में परिवर्तन)	<b></b>	और
प्रथम नाम		
मध्य नाम		
उपनाम		

(उसका नामांकित व्यक्ति/ स्थानांतरणकर्ता)		उपर्युक्त कंपनी ब	न एकमात्र सदस्य
बन गया है			
(ख) क्या नामांकित व्यक्ति समान है (स्वामित्व में परिवर्तन के	मामले में) 🔿	हाँ	🔾 नहीं
नामांकित व्यक्ति के परिवर्तन के बारे में सूचना (डाटा फ़ील्ड 1 में विकल लागू होते हैं)	प 1 या 3 का चयक	न होने की स्थिति में	निम्नलिखित फ़ील्ड
7 नामांकित व्यक्ति के परिवर्तन के बारे में सूचना			
यह भी सूचना दी जाती है कि	(सट	दस्य / नए सदस्य)	
नामांकित होने की संख्य	Г		
मौजूदा नामांकित व्यक्ति का पहला नाम/नाम			
मध्य नाम			
उपनाम			
उनके नामांकित व्यक्ति के रूप में	जो इ	इस उसकी मृत्यु या	अनुबंध करने की
उसकी अक्षमता की स्थिति में समिति का सदस्य बन जाएगा।	। वह घोषणा क	रता है कि नामांकि	न्त व्यक्ति कंपनी
(निगमन) नियम 2014 का नियम 3 के दायरे के भीतर नामांकन के	िलिए योग्य है।		
8 नामांकित व्यक्ति का विवरण (निम्नलिखित फ़ील्ड सभी मामलों में ला	गू होते हैं और यदि	; फ़ील्ड 6 (बी)) में 'ह	ं'का चयन किया
जाता है तो सभी मामलों में निम्नलिखित फ़ील्ड लागू होते हैं।			
नामांकित व्यक्ति के विवरण			

डिजी लॉकर से लाएं

निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

लाओ

प्रथम नाम	
मध्य नाम	
उपनाम	
पिता का पहला नाम	
पिता का मध्य नाम	
पिता का उपनाम	
लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)	
जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
राष्ट्रीयता (देशं की सूची)	
आयकर पैन	
जन्म स्थान (जिला और राज्य)	आयकर पैन की जांच
व्यवसाय का प्रकार (व्यवसाय/ व्यावसायिक / सरकारी / रोजगार / निजी रोजगार / गृहिणी / छात्र / अन्य)	
व्यवसाय का क्षेत्र (एमसीए डेटाबेस (एसपीआईसीई + भाग बी) में उपलब्ध 'व्यवसाय सूची के अनुसार')	
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें	
*शैक्षिक योग्यता (प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक योग्यता/स्नातक की डिग्री/एमएस्टर की डिग्री// डॉक्टरेट या उच्चतर / पेशेवर / डिप्लोमा / अन्य)	
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें <b>स्थायी पता</b>	
पता पंक्ति 1	
पता पंक्ति 2	
देश	

पिन कोड/ज़िप कोड			
क्षेत्र/स्थान			▼
शहर			
जिला			
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र			
फोन (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ)			
मोबाइल नंबर।			
फ़ैक्स			
ईमेल आईडी			
क्या वर्तमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पते के समान है	0	हाँ	🔿 नहीं
क्या वर्तमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पते के समान है वर्तमान पता	0	हाँ	ि नहीं
	0	हाँ	<b>ि</b> नहीं
वर्तमान पता	0	हाँ	<b>ि</b> नहीं
वर्तमान पता पता पंक्ति 1	0	<b>ह</b> ाँ	<ul> <li>नहीं</li> <li></li></ul>
वर्तमान पता पता पंक्ति 1 पता पंक्ति 2	0		
वर्तमान पता पता पंक्ति 1 पता पंक्ति 2 देश	0	<b>ह</b> тँ	
वर्तमान पता पता पंक्ति 1 पता पंक्ति 2 देश पिन कोड/ज़िप कोड	0	кї	
वर्तमान पता पता पंक्ति 1 पता पंक्ति 2 देश पिन कोड/ज़िप कोड क्षेत्र/स्थान	0	кї	

वर्तमान पता वर्ष माह पर ठहरने की	▼ अवधि ▼					
यदि वर्तमान पते पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम	है तो पिछले निवास का पता					
* पहचान का प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट)						
पहचान संख्या का प्रमाण						
पहचान प्रमाण दस्तावेज	अधिकतम 2 MB फ़ाइल चनें हटाना डाउनलोड					
आवासीय प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट/इलेक्ट्रिसिटी बिल/टेलीफोन बिल/मोबाइल बिल) आवासीय प्रमाण संख्या						
निवास योग्य सबूत दस्तावेज	अधिकतम 2 MB फ़ाडल चनें हटाना डाउनलोड					
नामांकित व्यक्ति द्वारा सहमति मैं इसके द्वारा सदस्य	य बनने के लिए अपनी सहमति देता हूं					
कंपनी के सदस्य की मृत्यु या	अनुबंध करने में उसकी अक्षमता की स्थिति में।					
मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं और भारत का निवासी हूं और मुझे किसी भी कंपनी या एलएलपी के प्रचार, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून या एलएलपी अधिनियम के तहत किसी भी धोखाधड़ी या कदाचार या किसी भी कंपनी के कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि						
	नहीं हूं, और मैं निर्धारित अवधि के भीतर नियम 3 (3) में निर्दिष्ट पात्रता करने वाला व्यक्ति मेरी सहमति के बिना मेरा नामांकन वापस ले सकता					
<ul> <li>नामांकित व्यक्ति द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होन</li> </ul>	ना डीएससी बॉक्स					

9 नए सदस्य का विवरण (डाटा फ़ील्ड 1 में विकल्प 3 का चयन होने की स्थिति में निम्न फ़ील्ड लागू होते हैं)

नए सदस्य के विवरण निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

12

लाओ

डिजी लॉकर से प्राप्त करें	
प्रथम नाम	
मध्य नाम	
उपनाम	
पिता का पहला नाम	
पिता का मध्य नाम	
पिता का उपनाम	
लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)	
जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
राष्ट्रीयता	
(देशों की सूची)	
आयकर पैन	आयकर पैन की जांच
	आयकर पन का आय
जन्म स्थान (जिला और राज्य)	
व्यवसाय का प्रकार (व्यवसाय/ व्यावसायिक / सरकारी / रोजगार / निजी रोजगार / गृहिणी / छात्र / अन्य)	
व्यवसाय का क्षेत्र	
<i>(एमसीए डेटाबेस (एसपीआईसीई + भाग बी) में उपलब्ध 'व्यवसाय सूची के अनुसार')</i> यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें	
शैक्षिक योग्यता	
(प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक योग्यता/स्नातक की डिग्री/एमएस्टर की डिग्री// डॉक्टरेट या उच्चतर / पेशेवर / डिप्लोमा / अन्य)	
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें	
स्थायी पता	

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2				
देश				▼
पिन कोड/ज़िप कोड				
क्षेत्र/स्थान				
शहर				
जिला				
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र				
फोन (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ)				
मोबाइल नंबर।				
फ़ैक्स				
ईमेल आईडी				
क्या वर्तमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पते के समान है	0	हाँ	0	नहीं
वर्तमान पता				
पता पंक्ति 1				
पता पंक्ति 2				
देश				▼
पिन कोड/ज़िप कोड				
क्षेत्र/स्थान				V
शहर				
जिला				
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र				

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत क	ा राजपत्र : असाधारण		15
वर्तमान पता वर्ष (ओं)		माह पर		] ठहरने की अवधि
यदि वर्तमान पते पर रह	क़ो की अवधि एक वर्ष से कम है तो	पिछले निवास का पता		
पहचान का प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/व	गेटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट)			▼
पहचान संख्या का प्रमाप	л			
पहचान प्रमाण दस्तावेज		अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें हत	राना डाउनलोड
आवासीय प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट/इलेक्ट्रिसेटी बिल	1/टेलीफोन बिल/मोबाइल बिल)			
आवासीय प्रमाण सं.				
निवास योग्य सबूत दर	न्तावेज	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें हत	राना डाउनलोड
अनुलग्नक				
(क) नामांकित व्यक्ति द्व	गरा फाइल सहमति वापस लेने की स	अधिकतम 2 एमबी <b>त्यना</b>	फ़ाडल चने	हटाना डाउनलोड
(ख) नामांकित व्यक्ति में सूचना की प्रति	परिवर्तन के लिए सदस्य द्वारा दी	गई अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चर्ने	हटाना डाउनलोड
(ग) सदस्य की समाप्ति	का प्रमाण	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चनें	इटाना डाउनलोड
(घ) वैकल्पिक अनुलग्नक	(ओं) - यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चने	हटाना डाउनलोड
घोषणा				
* सदस्य द्वारा डिजिटल	रूप से हस्ताक्षरित होना		डीएससी बॉक्स	
* सदस्य का आयकर पैन	या निदेशक पहचान संख्या (डीआईए	न)		

- \* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना
- \* पदनाम (निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ)

▼

डीएससी बॉक्स

16

\*प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या सदस्यता के निदेशक या आयकर पैन का डीआईएन कंपनी सचिव की संख्या

रक्षा कर	जमा
----------	-----

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः असत्य कथन / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

प्ररूप सं. आईएनसी-6 एकल व्यक्ति कंपनी और निजी कंपनी - परिवर्तन के लिए आवेदन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014] के नियम 6 और 7 (4) के अनुसरण में <i>प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें।</i>	सत्यमेव जयते	प्ररूप की भाषा • अंग्रेज़ी • हिंदी
* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं		
इकाई का विवरण		
1 * किसके लिए आवेदन 〇 ओपीसी का निजी कंपनी में परिवर्तन	O ओपीसी को सार्वज	नेक कंपनी में परिवर्तन
🔿 निजी कंपनी का ओपीसी में परिवर्तन		
2 (क) * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)		
3 (क) * कंपनी का नाम		
(ख) * श्रेणी		
(ग) * कंपनी की उप-श्रेणी		
(घ) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता		
(ङ) *कंपनी के निगमन की तारीख		
(च) * कंपनी की ईमेल आईडी		
(छ) *कंपनी के पास शेयर पूंजी है या नहीं		
4 * निगमन के समय कंपनी का नाम (प्रमाण पत्र में दश	ाया जाना है)	
5 * कंपनी में निदेशकों की मौजूदा संख्या (निजी कंपनी में परिवर्तन के मामले में निदेशकों की संर या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन के मामले में निदेशकों		

6. विशेष प्रस्ताव की विशिष्टियां	
(क) *प्ररूप एमजीटी-14 का एसआरएन	
(ख) *विशेष प्रस्ताव पारित करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
7 (।) कंपनी की पूंजी संरचना (शेयर पूंजी होने के मामले में)	
(क) *कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी (आईएनआर में)	
*कुल वर्गीकृत प्राधिकृत शेयर पूंजी (आईएनआर में)	
कुल अवर्गीकृत प्राधिकरण शेयर पूंजी (आईएनआर में)	
* कुल चुकता शेयर पूंजी (आईएनआर में)	
(ख) इक्विटी शेयर पूंजी	

\* वर्गों की संख्या

शेयरों के वर्ग	प्राधिकृत पूंजी	चुकता पूंजी
* इक्विटी शेयरों की संख्या		
* प्रति शेयर नाम मात्र राशि (आईएनआर में)		
* कुल राशि (आईएनआर में)		

## (ग) वरीयता शेयर पूंजी

\* वर्गों की संख्या

शेयरों के वर्ग	प्राधिकृत पूंजी	चुकता पूंजी
* वरीयता शेयरों की संख्या		
* प्रति शेयर नाम मात्र राशि (आईएनआर में)		
* कुल राशि (आईएनआर में)		

7 (॥) सदस्यों की संख्या (शेयर पूंजी नहीं होने की स्थिति में)

(क) \* सदस्यों की अधिकतम संख्या

(ख) \*प्रस्तावित कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या

- (ग) \* सदस्यों की संख्या
- (घ) \*प्रस्तावित कर्मचारी(यों) को छोड़कर सदस्यों की संख्या
- 8. उस व्यक्ति की विशिष्टियां जो परिवर्तन के बाद ओपीसी का एकमात्र सदस्य होगा

डिजिलॉकर से प्राप्त करें	
निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
* प्रथम नाम	
मध्य का नाम	
* उपनाम	
* पिता का प्रथम नाम	
* ואנוו איו אפס סוס	
पिता का मध्य नाम	
*पिता का उपनाम	
* लिंग	
О पुरुष О महिला О ट्रांसजेंडर	
*राष्ट्रीयता	
∗जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
*आयकर पैन	
	आयकर पैन की जांच करें
*जन्म स्थान (जिला और राज्य)	
*शैक्षिक योग्यता	
(X/ एसएसएलसी/जूनियर/समकक्ष/XII/ एसएससी/उच्च/समकक्ष	
स्नातक/स्नातक/समकक्ष/स्नातकोत्तर/मास्टर/समकक्ष	

प्रोफेशनल/एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम/डॉक्टरेट/डिप्लोमा/अन्य)	
* व्यवसाय का प्रकार	
(व्यवसायी/पेशेवर/सरकारी/रोजगार/निजी रोजगार/गृहिणी /छात्र/ अन्य)	
* व्यवसाय का क्षेत्र	
(सरकारी/शिक्षण/अन्य)	
स्थायी आवासीय पता	
* पता पंक्ति 1	
* पता पंक्ति 2	
* देश	
* पिन कोड	
*क्षेत्र/इलाका	
* शहर	
*जिला	
*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
फोन (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ)	
* मोबाइल (देश कोड के साथ)	
फ़ैक्स	
* ईमेल आईडी	
* क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता एक ही है	O हाँ O नहीं
वर्तमान पता	

\* पता पंक्ति 1

* पता पंक्ति २				
* देश				
* पिन कोड				
*क्षेत्र/इलाका				
* शहर				
*जिला				
*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
* फोन (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ)				
*वर्तमान पते पर निवास की अवधि (वर्ष/माह))				
यदि वर्तमान पते पर रहने की अवधि पिछले निवास के पते की त्	नुलना में एक वर्ष से कम है			
* पहचान प्रमाण	* आवासीय प्रमाण			
(पहचानपत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार) ((बै	क स्टेटमेंट/इलेक्ट्रिसिटी बिल	।/टेलीफोन बिल	त्र/मोबाइल 1	<b>बੇ</b> ल))
* पहचान प्रमाण संख्या	आवासीय प्रमाण सं.			
पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करें				
(क) * पहचान का प्रमाण	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाएं	डाउनलोड करें
(ख) *आवासीय प्रमाण	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चर्ने	हटाएं	डाउनलोड
9 नामांकन				
मैं *	का सदस्य			
(प्रथम नाम) * (मध्य नाम)	(अंतिम नाम) *	को	एतद्द्वारा	नामित करता
हूँ जो मेरी मृत्यु या अनुबंध करने में अक्षमता की स्थिति में कंपल		षणा करता हूं	कि नामित	व्यक्ति कंपनी
(निगमन) नियम, 2013 के नियम 3 के अर्थ के भीतर नामांकन वे	יומי אוז או			

10. उस व्यक्ति की विशिष्टियां जो परिवर्तन के बाद एकमात्र सदस्य का नामिति होगा	
निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
* प्रथम नाम	
मध्य नाम	
* उपनाम	
* पिता का प्रथम नाम	
पिता का मध्य नाम	
*पिता का उपनाम	
* लिंग	
О पुरुष О महिला О ट्रांसजेंडर	
*राष्ट्रीयता	
∗जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
*आयकर पैन	
	आयकर पैन की जांच करें
*जन्म स्थान (जिला और राज्य)	
*शैक्षिक योग्यता	
(X/एसएसएलसी/जूनियर/समकक्ष/XII/एसएससी/उच्च/समकक्ष स्नातक/स्नातक/समकक्ष/स्नातकोत्तर/मास्टर/समकक्ष	
प्रोफेशनल/एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम/डॉक्टरेट/डिप्लोमा/अन्य)	
* व्यवसाय का प्रकार	
(व्यवसायी/पेशेवर/सरकारी/रोजगार/निजी रोजगार/गृहिणी/छात्र/ अन्य)	
* व्यवसाय का क्षेत्र	
(सरकारी/शिक्षण/अन्य)	
* स्थायी आवासीय पता	
* पता पंक्ति 1	

\* पता पंक्ति 2

* देश	
* पिन कोड	
*क्षेत्र/इलाका	
* शहर	
*जिला	
*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
फोन (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ)	
* मोबाइल (देश कोड के साथ)	
फ़ैक्स	
* ईमेल आईडी	
* क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता एक ही	O <sub>हाँ</sub> O नहीं
* वर्तमान पता	
* पता पंक्ति 1	
* पता पंक्ति 2	
* देश	
* पिन कोड	
*क्षेत्र/इलाका	
* शहर	
*जिला	

*राज्य/केंद्र शासित प्रदेश				
फोन (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ)				
वर्तमान पते पर निवास की अवधि (वर्ष/माह)				
यदि वर्तमान पते पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है, तो पिछ	ले निवास का पता			
<ul> <li>∗ पहचान प्रमाण</li> <li>(पहचानपत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)</li> </ul>	* आवासीय प्रमाण iंक स्टेटमेंट/ इलेक्ट्रिसिटी बिल/	टिलीफोन बिल	/मोबाइल	<b>र</b> बिल)
* पहचान प्रमाण संख्या	*आवासीय प्रमाण सं.			
पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करें				
(क) * पहचान का प्रमाण	अधिकतम 2 एमबी	काइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(ख) *आवासीय प्रमाण	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
11 नामांकित व्यक्ति द्वारा सहमति के साथ घोषणा				
में गजरत्वाम कंपनी के	<b>T</b> 2T	ग की महग	בדר חד	ल का के में

मैं	एतद्द्वारा कंपनी के	सदस्य की मृत्यु या अनुबंध करने मे
उसकी अक्षमता की सि		का सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति देता हूँ

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ और मुझे किसी भी कंपनी या एलएलपी के प्रचार, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून या एलएलपी अधिनियम के तहत किसी भी धोखाधड़ी या कदाचार या किसी भी कंपनी के कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि:

मैं किसी अन्य एकल व्यक्ति कंपनी में नामित व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं निर्धारित अवधि के भीतर नियम 3 (3) में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का पालन करूंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामित करने वाला व्यक्ति मेरी सहमति के बिना मेरा नामांकन वापस ले सकता है।

\* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए

डीएससी बॉक्स

## 12 लेनदारों और सदस्यों का विवरण

# (क) लेनदारों की सूची

क्र.सं.	लेनदार का नाम	पता	देय राशि	टिप्पणी (ऋण / दावा / देयता की
				प्रकृति)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

पंक्ति जोड़ें	पंक्ति हटाएँ	एक्सेल डाउनलोड	इम्पोर्ट करें
---------------	--------------	----------------	---------------

(ख) सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पता
(i)	(ii)	(iii)

पंक्ति जोड़ें पंक्ति हटाएँ एक्सेल डाउनलोड इम्पोर्ट करें	पंक्ति जोइं	पंक्ति हटाएँ	एक्सेल डाउनलोड	इम्पोर्ट करें
---------------------------------------------------------	-------------	--------------	----------------	---------------

# अनुलग्नक

(क) परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ प्रत्येक लेनदारों की	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुने	हटाएं	डाउनलोड
एनओसी की प्रतिलिपि;				
(ख) इस बात की पुष्टि करते हुए शपथ-पत्र कि कंपनी के	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
सभी सदस्यों ने परिवर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है।				
(ग) वैकल्पिक अनुलग्नक,यदि कोई हो		फ़ाइल चूनें	हटाएं	
-				

THE	GAZETTE	OF INDIA	: EXTRAORDINARY

निदेशक द्वारा घोषणा	
मैं, *	षणा करता हूँ कि कंपनी के सदस्यों ने
परिवर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है।	Ň
*डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए	डीएससी बॉक्स
निदेशक	
* डीआईएन	
घोषणा	
मैं , * 📃 कंपनी का * 💌 (निदे	शक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ)
यह घोषणा करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और उसके तहत कंपनी	। के परिवर्तन के संबंध में बनाए गए नियमों
और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मुझे निदेशक मंडल द्वारा करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह आगे घोषित और सत्यापित किया जात	
🔲 * इस प्ररूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है	और इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए कोई
भी सूचना सामग्री दबाई या छिपाई नहीं गई है और यह एसोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेदों ब मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।	की सदस्यता लेने वाले प्रमोटरों द्वारा रखे गए
🛛 ∗ निजी कंपनी से ओपीसी या ओपीसी कंपनी को सार्वजनिक या निजी कंपनी में परिवर्त	न करने की अनुमति देने वाले सदस्यों और
लेनदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि मामला हो सकता है।	
🛛 🔺 सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से, सही प्रकार से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जुड़े हुए	र हैं।
*डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए	डीएससी बॉक्स
* पदनाम	
(निदेशक/प्रबंधक/ कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ)	
* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; या	
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या	
डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए	डीएससी बॉक्स
सदस्य (ओपीसी के परिवर्तन के मामले में)	
सदस्य का पैन या डीआईएन	
	सेव करें जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरयह ई-प्ररूप इसके द्वारा पंजीकृत है

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

प्ररूप नं. आईएनसी -9

अभिदाताओं और प्रथम निदेशकों द्वारा घोषणा [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 (1) (ग) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 15 के अनुसार]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

\* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

1	*	कंपनी	का	नाम
-				

#### 2 (क) यह घोषणा निम्नलिखित के संबंध में है:

	वैध डीआईएन	अवैध डीआईएन
* प्रथम अभिदाताओं की कुल संख्या		
(गैर-व्यक्तिगत + व्यक्तिगत)		
*गैर-व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता		
(ओं) की संख्या		
*व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (ओं)		
सह निदेशक (ओं) की संख्या		
*निदेशकों की कुल संख्या		
(निदेशक (ओं) जो उपरोक्त पंक्ति		



प्ररूप की भाषा	



संख्या 3 में उल्लिखित अभिदाता	
(ओं) + अभिदाता (ओं) सह निदेशक	
(ओं) नहीं हैं/	

2 (ख) गैर-व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (ओं) के प्राधिकृत व्यक्ति

## 2 (ख) (।) \* निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

घोषणा								
मैं	* उपरोक्त नामित प्रस्तावित कंपनी के ज्ञापन का अभिदाता होने के नाते, एतद्द्वारा							
	ईमानदारी से घोषणा करता हूं और पुष्टि करता हूं कि:							
	🔲 मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पदोन्नति, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध के लिए							
	दोषी नहीं ठहराया गया है; और							
🛛 मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत किसी भी धोखाध								
	दुर्व्यवहार या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है;							
🗖 मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार की मं								
	प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त कर ली गयी है, और इसके साथ संलग्न है; अथवा							
	मुझे शेयरों का अभिदाता होने पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकारी अनुमोदन							
	पुंझ रायरा का आवधाता होने देश विदेशा जुप्रा अववन (गर-ऋग लिखरा) निवन, 2010 के राहरा रारकारा अनुमावन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; और							
🔲 🔹 कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर सभी दस्तावेजों में ऐसी जानकारी होती है जो सही और पू								
	होती है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही होती है।							
	🔲 मैं इकाई के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं और इस पर कोई आपत्ति नहीं है।							
	मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी का							
	सदस्य हूं और एतद्द्वारा कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियमों के नियम 3 (4) और नियम 5 (i) के अनुसार							
	वचन देता हूं कि इस भाग के तहत पंजीकरण की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेज या कागजात पंजीकरण या अन्य							
	प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके साथ कंपनी पहले पंजीकृत थी, 15 दिनों के भीतर, इसके विघटन के लिए,							
जैसा भी मामला हो। मैं आगे वचन देता हूं कि पिछली/ परिवर्तित इकाई के नाम और शैली से कोई कार्यकल								
	नहीं किया जाएगा; और							
	मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित कंपनी के अपने उद्देश्य अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के							
	अनुसार हैं और यह उस उप-धारा के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित क्रमशः प्रतिबंधों और निषेधों का पालन करने							
	का आशय रखती है।							
	ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं;							
और								

	] कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित उसके
	तहत बनाए गए नियमों और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है
*	डीएससी;

डीएससी बॉक्स

## 2 (ख) (II) \*आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)

घोषणा					
मैं * उपरोक्त नामित प्रस्तावित कंपनी के ज्ञापन का अभिदाता होने के नाते, एतद्द्वारा ईमानदारी से घोषणा करता हूं और पुष्टि करता हूं कि:					
मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पदोन्नति, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा					
मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत किसी भी धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है;					
मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त हो गया है, और इसके साथ संलग्न है; नहीं तो					
मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; और					
* कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर सभी दस्तावेजों में ऐसी जानकारी होती है जो सही और पूर्ण होती है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही होती है।					
🔲 मैं इकाई के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं और इस पर कोई आपत्ति नहीं है।					
🔲 मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग । के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी का					
सदस्य हूं और एतद्द्वारा कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियमों के नियम 3 (4) और नियम 5 (i) के अनुसार					
वचन देता हूं कि इस भाग के तहत पंजीकरण की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेज या कागजात पंजीकरण या अन्य					
प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके साथ कंपनी पहले पंजीकृत थी, 15 दिनों के भीतर, इसके विघटन के लिए,					
जैसा भी मामला हो। मैं आगे वचन देता हूं कि पिछली/ परिवर्तित इकाई के नाम और शैली में कोई कार्यकलाप/ व्यवसाय जर्म कि जा जागण और					
नहीं किया जाएगा; और 🔲 में घोषणा काना हं कि पानाविन कंपनी के आपने उतनेश्वा अधिनियम की धाम ९ की साध्यम (1) के खंद (क) के					
मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित कंपनी के अपने उद्देश्य अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्सार हैं और यह उस उप-धारा के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित क्रमशः प्रतिबंधों और निषेधों का पालन करने					
का इरादा रखती है।					
🔲 ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं;					
और					
कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है					

### \* डीएससी

डीएससी बॉक्स

2 (J	) व्यक्तिगत	प्रथम	अभिदाता (	(अभिदाता	सह	ं निदेशक	के	अलावा)	का	विवरण
------	-------------	-------	-----------	----------	----	----------	----	--------	----	-------

2 (J	ī) (l) ब्लॉक 1
1. *	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)
घोषप	π
मैं	*
	मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पदोन्नति, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा
	मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत किसी भी धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है;
	मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त हो गयी है, और इसके साथ संलग्न है; या पहो शेयरों का अभिदाना होने से पहने विदेशी पटा प्रवंधन (गैर क्या नियन) नियम, 2019 के नहन साकारी अनसोदन
	मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; और
	* कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर सभी दस्तावेजों में ऐसी जानकारी होती है जो सही और पूर्ण होती है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
	मैं इकाई के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं और इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग । के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी का सदस्य हूं और एतद्द्वारा कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियमों के नियम 3 (4) और नियम 5 (i) के अनुसार वचन देता हूं कि इस भाग के तहत पंजीकरण की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेज या कागजात पंजीकरण या अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके साथ कंपनी पहले पंजीकृत थी, 15 दिनों के भीतर, इसके विघटन के लिए, जैसा भी मामला हो। मैं आगे वचन देता हूं कि पिछली/ परिवर्तित इकाई के नाम और शैली में कोई कार्यकलाप / व्यवसाय नहीं किया जाएगा; और
	मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित कंपनी के अपने उद्देश्य अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार हैं और यह उस उप-धारा के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित क्रमशः प्रतिबंधों और निषेधों का पालन करने का इरादा रखती है।
	ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं; और
	कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है

\* डीएससी

डीएससी बॉक्स

## 2 (ग) (॥) ब्लॉक 2

\*आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)

घोषप	π					
मैं *	जापन का अभिदाता होने के नाते और उपरोक्त नामित प्रस्तावित कंपनी के लेखों में पहले निदेशक के रूप में नामित, एतद्द्वारा ईमानदारी से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि:					
	मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पदोन्नति, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा					
	] मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत किसी भी धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है;					
	मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त हो गयी है, और इसके साथ संलग्न है; या					
	मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; और					
	* कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर सभी दस्तावेजों में ऐसी जानकारी होती है जो सही और पूर्ण होती है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।					
	मैं इकाई के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं और इस पर कोई आपत्ति नहीं है।					
	मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग । के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी का सदस्य हूं और एतद्द्वारा कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियमों के नियम 3 (4) और नियम 5 (i) के अनुसार वचन देता हूं कि इस भाग के तहत पंजीकरण की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेज या कागजात पंजीकरण या अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके साथ कंपनी पहले पंजीकृत थी, 15 दिनों के भीतर, इसके विघटन के लिए, जैसा भी मामला हो। मैं आगे वचन देता हूं कि पिछली/ परिवर्तित इकाई के नाम और शैली से कोई कार्यकलाप/ व्यवसाय नहीं किया जाएगा; और					
	मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित कंपनी के अपने उद्देश्य अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के					
	अनुसार हैं और यह उस उप-धारा के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित क्रमशः प्रतिबंधों और निषेधों का पालन करने का आशय रखती है।					
	ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं;					

	और							
	🔲 कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित उसके							
	तहत बनाए गए नियमों और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है							
*	डीएससी	डीएससी बॉक्स						
2 (घ)	2 (घ) व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता(ओं) सह निदेशकों का विवरण							
2 (घ)	2 (घ) (।) ब्लॉक 1							
*निदेः	शक पहचान संख्या (डीआईएन)							
घोष	णा							
में *								
मैं * जापन का अभिदाता होने के नाते और उपरोक्त नामित प्रस्तावित कंपनी के पहले निदेशक के रूप में नामित, एतद्द्वारा ईमानदारी से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि:								
🔲 म्झे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पदोन्नति, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध								
	उ							
	मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत किसी भी धोखाधड़ी दुर्व्यवहार या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है;							
	मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार की							
	प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त हो गया है, और इसके साथ संलग्न है; या							
	मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकारी अनुमोद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; और							
	* कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर सभी दस्तावेजों में ऐसी ज होती है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।	ानकारी होती है जो सही और पूर्ण						
	मैं इकाई के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं और इस पर	कोई आपत्ति नहीं है।						
	मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के ति	लेए आवेदन करने वाली कंपनी का						
	सदस्य हूं और एतद्द्वारा कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियमों के नियम 3 (4) और नियम 5 (i) के अनुस							
	वचन देता हूं कि इस भाग के तहत पंजीकरण की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेज या कागजात पंजीकरण या अन्य							
	प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके साथ कंपनी पहले पंजीकृत थी, 15 दिनों के भीतर, इसके विघटन के लिए							
	जैसा भी मामला हो। मैं आगे वचन देता हूं कि पिछली/ परिवर्तित इकाई के नाम और	शला म काइ कार्यकलाप/ व्यवसाय						

\_\_\_\_\_

नहीं किया जाएगा; और

- में घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित कंपनी के अपने उद्देश्य अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार हैं और यह उस उप-धारा के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित क्रमशः प्रतिबंधों और निषेधों का पालन करने का आशय रखती है।
- जापन और संगम के अनुच्छेद धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है।

\*डीएससी

डीएससी बॉक्स

2(घ)(II) ब्लॉक 2

\*आयकर स्थाई खाता संख्या (पैन)

.....

#### घोषणा

- में \* \_\_\_\_\_\_ जापन का अभिदाता होने के नाते और उपरोक्त नामित प्रस्तावित कंपनी के लेखों में पहले निदेशक के रूप में नामित, एतद्द्वारा ईमानदारी से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि:
- मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पदोन्नति, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा

मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत किसी भी धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है;

- मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त हो गया है, और इसके साथ संलग्न है; या
- मुझे शेयरों का अभिदाता होने से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; और

- \* कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर सभी दस्तावेजों में ऐसी जानकारी होती है जो सही और पूर्ण होती है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अन्सार सही है।
- 🔲 मैं इकाई के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं और इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
- मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग । के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी का सदस्य हूं और एतद्द्वारा कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियमों के नियम 3 (4) और नियम 5 (i) के अनुसार वचन देता हूं कि इस भाग के तहत पंजीकरण की स्थिति में, आवश्यक दस्तावेज या कागजात पंजीकरण या अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके साथ कंपनी पहले पंजीकृत थी, 15 दिनों के भीतर, इसके विघटन के लिए, जैसा भी मामला हो। मैं आगे वचन देता हूं कि पिछली/ परिवर्तित इकाई के नाम और शैली में कोई कार्यकलाप/ व्यवसाय नहीं किया जाएगा; और
- मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित कंपनी के अपने उद्देश्य अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार हैं और यह उस उप-धारा के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित क्रमशः प्रतिबंधों और निषेधों का पालन करने का आशय रखती है।
- ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है।

\*डीएससी

डीएससी बॉक्स

- 2 (ङ) निदेशकों का विवरण (प्रथम अभिदाताओं के अलावा)
- 2 (ड.) (।) ब्लॉक 1
- \*निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

[PART II—SEC. 3(i)]

घोषणा

- मैं \* \_\_\_\_\_\_ उपरोक्त नामित प्रस्तावित कंपनी के लेखों में पहले निदेशक के रूप में नामित होने के नाते, एतद्द्वारा ईमानदारी से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि: \_\_\_\_
- मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पदोन्नति, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा
- मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत किसी भी धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है; तथा
- \* कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर सभी दस्तावेजों में ऐसी जानकारी होती है जो सही और पूर्ण होती है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
- 🔲 ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है
  - \* डीएससी

डीएससी बॉक्स

2 (ड.) (II) ब्लॉक 2 \*आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)

#### घोषणा

- में \* \_\_\_\_\_\_ उपरोक्त नामित प्रस्तावित कंपनी के लेखों में पहले निदेशक के रूप में नामित होने के नाते, एतद्द्वारा ईमानदारी से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि:
- मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पदोन्नति, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा

मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत किसी भी धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है; तथा

- ■\* कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर सभी दस्तावेजों में ऐसी जानकारी होती है जो सही और पूर्ण होती है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
- ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं; और
- 🔲 कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है
  - \* डीएससी

प्ररूप सं. आईएनसी-12

धारा 8 के तहत मौजूदा कंपनी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (5) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में]

## प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें।

\* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

## कंपनी की जानकारी

- 1 (क) \* कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
- 2 (क) \* कंपनी का नाम
- (ख) \* कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
- (ग) \* कंपनी की ईमेल आईडी







डीएससी बॉक्स
3 (क) * कंपनी है (निजी कंपनी / सार्वजनिक कंपनी)	
(ख) *श्रेणी (कंपनी शेयरों द्वारा सीमित है/ कंपनी गारंटी द्वारा सीमित है)	
(ग) *उप श्रेणी (केंद्र सरकार की कंपनी/राज्य सरकार की कंपनी/गैर-सरकारी कंपनी, विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी/ गारंटी और एसोसिएशन कंपनी)	
(घ) * क्या कंपनी के पास शेयर पूंजी है <sub>(हाँ / नहीं)</sub>	
4 (क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी	
(ख) सदस्यों की अधिकतम संख्या	
(ग) वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या	
5 (क)(i) * कंपनी के औद्योगिक कार्यकलाप का मुख्य प्रभाग	
(ii) *मुख्य प्रभाग का विवरण	
(ख) (i) * धारा ८ के अनुसरण में किए जा रहे या प्रस्तावित कंपनी के औद्योगिक कार्यकलाप के मुख्य प्रभाग का विवरण	Ω
(ii) * धारा 8 के अनुसरण में किए जा रहे या प्रस्तावित कंपनी के औद्योगिक कार्यकलाप के मुख्य प्रभाग का विवरण	
(ग) *आधार जिन पर आवेदन किया गया है	
निदेशक (ओं) / केएमपी (ओं) का विवरण	
6 * निदेशकों की संख्या दर्ज करें	

निदेशकों की विशिष्टियां

पदनाम (निदेशक/नामित निदेशक/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/वैकल्पिक निदेशक/अपर निदेशक/ आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त निदेशक)	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	व्यक्ति का नाम	उस कंपनी या संस्थान का नाम जिसका नामित व्यक्ति नियुक्त किया गया है (केवल नामित निदेशक के मामले में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

7 \* प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संख्या दर्ज करें

# प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विशिष्टियां

पदनाम (प्रबंधक/सचिव/सीईओ/सीएफओ)	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)	व्यक्ति का नाम	सदस्यता संख्या (कंपनी सचिव के मामले में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
▼			
▼			

8 (क) \*क्या अनुच्छेद एंट्रेच्ड है

0 हां 0 नहीं

(यदि हां, तो एंट्रेच्ड अनुच्छेदों को उसमें संलग्न किया जाना चाहिए)

(b) उन अनुच्छेदों की संख्या जिन पर एंट्रेंचमेंट के प्रावधान लागू होंगे

उन अनुच्छेदों का विवरण जिन पर एंट्रेंचमेंट के प्रावधान लागू होंगे

क्र.सं.	अनुच्छेद संख्या	विषय-वस्तु

9 अगले तीन वर्षों के लिए भविष्य की आय और व्यय का आकलन

काल	अनुमानित आय	अनुमानित व्यय	अनुमानित	टिप्पणी (आय का
	(आईएनआर में)	(आईएनआर में)	अधिशेष/घाटा	स्रोत, व्यय के
			(आईएनआर में)	उद्देश्य)

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

# 10 \* क्या परिवर्तन के लिए बोर्ड की बैठक या आम बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था

🔿 बोर्ड बैठक	○ आम बैठक	
(क) * प्रस्ताव पारित करने की ति	थि (दिन /माह / वर्ष)	
(ख) *प्रस्ताव का तरीका		
(ग) * पक्ष में डाले गए वोटों की	संख्या	
(घ) * विरोध में डाले गए वोटों की	ा संख्या	
(ङ) *एमजीटी-14 का एसआरएन		

# अनुलग्नक

(क) संबंधित प्राधिकरण/क्षेत्रीय नियामक, विभाग या केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालय का अनुमोदन/सहमति/एनओसी

(ख) ∗उस तारीख से पहले की तारीख के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को विस्तार से दर्शानेवाला विवरण।	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड करें
(ग) *बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड करें
(घ) वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड करें
घोषणा				

मुझे *	कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव संख्या *	f	दिनांक *
--------	-----------------------------------------------	---	----------

के तहत यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है:

\*कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का इस प्रपत्र की विषय वस्तु के संबंध में अनुपालन किया गया है।

- \*ऊपर दी गई जानकारी सही, सत्य और पूर्ण है जिसमें इस रूप के संलग्नक शामिल हैं और किसी भी सामग्री को दबाया नहीं गया है।
- \*कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के उपबंधों और अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित नियमों के अनुरूप ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद तैयार किए गए हैं और इसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है।

```
    डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए
    *पदनाम
```

(निदेशक/प्रबंधक निदेशक/कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ)

\* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन

या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

# अभ्यास कर रहे पेशेवर द्वारा घोषणा

\*ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं; और

\*कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाएं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित नियम और उसके उदाहरण या आकस्मिक मामलों का अनुपालन किया गया है और मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि:

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए	डीएससी बॉक्स
<ul> <li>चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में)</li> <li>लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में)</li> </ul>	
<ul> <li>कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)</li> <li>अधिवक्ता (पूर्णकालिक अभ्यास में)</li> <li>एसोसिएट हैं या फेलो: एसोसिएट केलो</li> <li>सदस्यता संख्या</li> <li>अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र</li> </ul>	
स्थायी खाता संख्या	सेव करें जमा करें

नोट: धारा 7 (5) और 7 (6) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि किसी भी जानकारी का कोई गलत या झूठे विवरण प्रस्तुत करना या किसी भी भौतिक जानकारी को दबाना धारा 447 के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा को आकर्षित करेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें क्रमश: गलत बयान/प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान है।

#### केवल कार्यालय उपयोग के लिए

ई-प्ररूप सेवा अन्रोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

#### प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

यह ई-प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है

इस ई-प्ररूप को अस्वीकार कर दिया जाता है

हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

प्ररूप सं. आईएनसी-13

#### ई-एमओए (ई-संगम ज्ञापन)

[अनुसूची । के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 तथा 8 और उसके तहत बनाये नियम के अन्सरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

\* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

1 \* कंपनी का नाम है

2 \* कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राज्य में स्थित होगा

3 (क) \* इसके निगमन पर कंपनी द्वारा अनुसरण की जाने वाले प्रयोजन हैं:

(ख) \*खंड 3(क) में विनिदष्ट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक विषय-

trcuire or or di	डीएससी बॉक्स डीएससी बॉक्स प्ररूप की भाषा • अंग्रेज़ी	<ul> <li>हिंदी</li> </ul>

उपरोक्त वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी सभी अन्य वैध चीजों को करना:

बशर्ते कि कंपनी अपने निधि के साथ समर्थन नहीं करेगी, या अपने सदस्यों या अन्य लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले किसी भी विनियमन या प्रतिबंध को लागू करने या खरीदने का प्रयास नहीं करेगी, जो कंपनी के उद्देश्य के रूप में, इसे ट्रेड यूनियन बना देगा।

- 4 \* कंपनी के प्रयोजन का विस्तार करने के लिए
- 5 (i) \* लाभ, यदि कोई हो, या कंपनी की अन्य आय और संपत्ति, जब कभी व्युत्पन्न होती है, इस ज्ञापन में उल्लिखित अपनी वस्तुओं का निर्धारण करने के लिए पूरी तरह से लागू की जाएगी।

(ii) पूर्वोक्त लाभ, अन्य आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, बोनस या अन्यथा लाभ के माध्यम से उन व्यक्तियों को जो किसी भी समय कंपनी के सदस्य हैं, या रहे हैं या उनमें से किसी एक या अधिक के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(iii) \*कंपनी द्वारा अपने किसी भी सदस्य को, चाहे अधिकारी हों या कंपनी के सदस्य हों या नहीं, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों के भुगतान, उधार दिए गए धन पर उचित और उचित ब्याज, या कंपनी को परिसर में उचित और उचित किराया देने के अलावा कोई पारिश्रमिक या धन या धन के मूल्य में अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा।

(iv) \*इस खंड की कोई भी बात कंपनी द्वारा अपने किसी भी अधिकारी या सेवक (सदस्य नहीं होने के नाते) या किसी अन्य व्यक्ति (सदस्य नहीं होने के नाते) को विवेकपूर्ण पारिश्रमिक के अच्छे विश्वास बदले में कंपनी को वास्तव में प्रदान की गई किसी भी सेवा के बदले में भुगतान को रोक नहीं पाएगी।

(v) \* इन खंडों (iii) और (iv) में कुछ भी कंपनी द्वारा अपने किसी भी सदस्य को विवेकपूर्ण पारिश्रमिक के अच्छे विश्वास में भुगतान को किसी भी सेवा के बदले में नहीं रोकेगा (एक प्रकार की सेवाएं नहीं हैं जो किसी सदस्य द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक हैं), वास्तव में कंपनी को प्रदान की जाती हैं

6 \* इस संगम ज्ञापन या कंपनी के संगम लेखों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो कुछ समय के लिए लागू हैं, जब तक कि परिवर्तन पहले रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित नहीं किया गया हो।

7 \* सदस्यों का दायित्व सीमित है।

8 \* धारा 8 पर लागू तालिका / भाग । धारा 8 कंपनी

```
तालिका क / ख / ग
```

(क- शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन / ख - गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन और शेयर पूंजी नहीं है / ग - गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन और शेयर पूंजी है)

प्रत्येक सदस्य, कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान करने का वचन देता है, जब वह एक सदस्य है या उसके बाद एक वर्ष के भीतर, अनुबंधित कंपनी के ऋण या देनदारियों के भुगतान के लिए, इससे पहले कि वह सदस्य नहीं रह जाए और

समापन की लागत, प्रभार और व्यय, औ	र अंशदाताओं के अ	ाधिकारों के आपस	ं में समायोजन व	के लिए ऐसी	राशि जो	रुपए
की राशि 🛛 से आध	धैक न हो *					
कंपनी की शेयर पूंजी						
इक्विटी	के शेयर		रुपया			

# पंक्ति जोईं पंक्ति हटाएँ

9. कंपनी द्वारा प्राप्त और व्यय की गई सभी राशियों और उन मामलों के वास्तविक खाते रखे जाएंगे जिनके संबंध में ऐसी प्राप्तियां और व्यय होते हैं, और कंपनी की संपत्ति, क्रेडिट और देनदारियों का; और, निरीक्षण के समय और तरीके के रूप में किसी भी उचित प्रतिबंध के अधीन जो उस समय के लिए लागू कंपनी के नियमों के अनुसार लगाए जा सकते हैं, खाते सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुले होंगे। कम से कम हर साल में एक बार, कंपनी के खातों की जांच की जाएगी, और बैलेंस शीट की शुद्धता और एक या अधिक उचित रूप से योग्य लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों द्वारा पता लगाए गए आय और व्यय खाते की जांच की जाएगी।

10 \* यदि कंपनी के समापन या विघटन पर, सभी ऋणों और देनदारियों की संतुष्टि के बाद, कोई भी संपत्ति बनी रहती है, तो उसे कंपनी के सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस कंपनी की वस्तुओं के समान वस्तुओं वाली ऐसी अन्य कंपनी को दिया या हस्तांतरित किया जाएगा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो न्यायाधिकरण अधिरोपित करे, या बेची जा सकती है और उससे प्राप्त आय अधिनियम की धारा 269 के तहत गठित पुनर्वास और दिवाला निधि में जमा की जा सकती है।

11 कंपनी को केवल अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलित किया जा सकता है और समान उददेश्य हैं।

12 🔳 हम, कई व्यक्ति, जिनके नाम और पते सब्सक्राइब किए गए हैं, इस ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी में गठित होने के इच्छुक हैं :

#### अभिदाता विवरण

क्र.सं.	* नाम, पता, विवरण और व्यवसाय	डीआईएन/पैन/पासपोर्ट नंबर	लिए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	डीएससी	दिनांकित
1.					
2					
लिए गए बु	हुल शेयर				

मेरे सामने हस्ताक्षर किए					
गवाह की सदस्यता	* गवाह का नाम	* पता, विवरण	*डीआईएन/पैन/पासपोर्ट	* डीएससी	दिनांकित
प्रकार		और व्यवसाय	नंबर/सदस्यता संख्या		

अनुलग्नक				
प्रथम अभिदाता (ओं) शीट	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
ម្នាំមហា				
संकल्प सं. दिनांक, दिनांक, मंडल की ओर से यह घोषणा करता हूं कि संगम ज्ञापन में नि	ोम्नलिखित संशोधन अप	के अनुसरण ानाए गए हैं	ग में, मैं '	निदेशक
डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए				
नाम	[			
पद नाम		निदेशक		
डीआईएन				Ţ
डीएससी		डीएससी बॉक्स		
		सेव	सब	मिट
प्ररूप सं. आईएनसी-18 धारा 8 कंपनी का किसी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण		प्ररूप की ● अंग्रेज़ी	<sup>-</sup> भाषा	हिंदी
के लिए प्रादेशिक निदेशक को आवेदन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (4) (ii) और कंपनी (निगमन)	सत्यमेव जयते			
वियम, 2014 के नियम 21 (4) के अन्सरण में				

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

\* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

# इकाई का विवरण

44

1 (क) \* कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) * कंपनी का नाम			
(ख) * कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता			
(ग) * कंपनी की ईमेल आईडी			
3 * धारा 8 के तहत कंपनी को जारी लाइसेंस संख्या			
4 (क) *कंपनी के निगमन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)			
(ख) * कंपनी का प्रकार			
5 (क) * कंपनी की मौजूदा वस्तुएं			
(ख) *वस्तुओं का विवरण			
6 (क) *कंपनी के औद्योगिक कार्यकलाप का मुख्य विभाग प्रस्तावित रूपांतरण के बाद		۵	<u>l</u>
जिसका अनुसरण करने का प्रस्ताव किया जा रहा है			
(ख) *प्रस्तावित की जा रही कंपनी के औद्योगिक कार्यकलाप के मुख्य विभाग का विवरण			_
प्रस्तावित रूपांतरण के बाद अनुसरण किया जाएगा			
7 * किसी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण के विस्तृत कारण			
8 * प्ररूप एमजीटी -14 का एसआरएन			
9 (क) * क्या कंपनी किसी विशेष अधिनियम के तहत विनियमित है या उसने नियम 22 (5) में उल्लिखित कोई विशेष विनियामकों प्राप्त किया है, या किसी भी क्षेत्रीय स्थिति / वि		○ नहीं	
द्वारा विनियमित किया गया है?			
(जहां हाँ का चुनाव किया जाता है, अनुमोदन की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न	करें)		
(ख) ऐसे विनियामकों की संख्या			
(ग) कृपया प्रत्येक विनियामक के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे प्रस्तुत करें:			

क्र.	विनियामक निकाय का नाम	'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)'/ सहमति	ऐसे एनओसी/सहमति पत्र की
सं.		<b>पत्र (दिन/माह/वर्ष)</b> प्राप्त करने की तिथि	क्रम संख्या
	(i)	(ii)	(iii)

10 (क) \* मौजूदा निदेशक (ओं) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संख्या

(ख) मौजूदा निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

(i) *डीआईएन या आयकर पैन			
(ii) *नाम			
(iii) * पदनाम			▼
(निदेशक, प्रबंधक निदेशक, वैकल्पिक निदेशक, सहायक निदेशक,	L		
आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त निदेशक, नामित निदेशक, पूर्णकालिक			
निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव, सीईओ, सीएफओ)			
* क्या कंपनी ने पट्टे के माध्यम से कोई अचल संपत्ति अर्जित की है या	0 हां	🔵 नहीं	
अन्यथा किसी सरकार या प्राधिकरण या निकाय कारपोरेट या व्यक्ति से			
रियायती दर पर या नि: शुल्क निगमन			
(यदि हां, तो नियमों के अनुसार अंतर राशि के भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)			

12 (क) \* क्या कंपनी को निगमन के बाद से व्यक्ति या प्राधिकरण 🔿 हां 🔿 नहीं किसी से कोई दान और / या अनुदान / लाभ प्राप्त हुआ है

(ख) कृपया ऐसे दान और / या अनुदान / लाभों का विवरण प्रदान करें:

पंक्ति	पंक्ति

क्र.सं.	ऐसे दान के स्रोत की श्रेणी	चयनित स्रोत से प्राप्त लाभ की कुल राशि/अनुमानित मूल्य (आईएनआर में)	टिप्पणियां
(i)	(ii)	(iii)	(iv)

13 * क्या बकाया राशि के भुगतान के बाद कोई अधिशेष राशि है जिसे लागू	🔾 हां	🔾 नहीं
नियम के अनुसार आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना है		
यदि हां, तो इस तरह से हस्तांतरित की जाने वाली राशि का उल्लेख करें		
14 * क्या सभी लेनदारों से एनओसी प्राप्त किया जाता है हाँ नहीं	🔿 हां	🔾 नहीं
(यदि हां, तो एनओसी संलग्न करें)		

कंपनी के निदेशक इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि:

11

15 मैं\*

- (क) लेनदारों को उनके बकायों से वंचित करने या किसी भी व्यक्ति के लिए हानि या पूर्वाग्रह पैदा करने के उद्देश्य से रूपांतरण की मांग नहीं की जा रही है।
- (ख) कंपनी की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से का लाभांश या बोनस या अन्यथा के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों को भुगतान या हस्तांतरण नहीं किया गया है जो कंपनी के सदस्य या प्रमोटर हैं या उनमें से कोई एक या अधिक उनमें से किसी एक या अधिक के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति है।
- (ग) अधिनियम की धारा 448 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के संगत उपबंधों और लागू किसी अन्य कानून के तहत यदि इस आवेदन में कोई बयान गलत पाया जाता है या किसी विशेष सामग्री में कोई तथ्य नहीं पाया जाता है, तो मैं/हम उत्तरदायी होंगे।

#### अनुलग्नक

(क) *कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण, वह	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाएँ	डाउनलोड	करें
तिथि जो लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित उस ति	थि के तीस दिनों से प	हले न हो।			
(ख) संबंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन की प्रति	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चर्ने	हटाएँ	डाउनलोड	करें
(ग) विभेदक राशि के भुगतान का प्रमाण	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चनें	हटाएँ	डाउनलोड	करें
(घ) सभी लेनदारों से एनओसी	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चर्ने	हटाएँ	डाउनलोड	करें
(ङ) वैकल्पिक अनुलग्नक - यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हराएँ	डाउनलोड	करें

#### घोषणा

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ता	व सं*	दिनांक	; *
के तहत इस फॉर्म पर हस्ताक्षर क	रने और यह घोषित क	जरने के लिए प्राधिकृत किया ग	या है कि कंपनी अधिनियम, 2013
की सभी आवश्यकताएं और इस प्र	ूप की विषय वस्तु औ	ौर उसके आनुषंगिक मामलों के	संबंध में उसके अंतर्गत बनाए
गए नियमों का अनुपालन किया ग	या है।		
मैं आगे घोषणा करता हूं कि:			

1 इस प्ररूप में और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु से संबंधित कोई भी जानकारी दबाई या छिपाई नहीं गई है और यह कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।

2 सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस रूप से संलग्न किए गए हैं।

\* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए

\* निदेशक

\* निदेशक का डीआईएन

# पेशेवर द्वारा घोषणा और प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके प्रासंगिक मामलों के लिए देखा है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की कोई सूचना सामग्री दबाई नहीं गई है.

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए	डीएससी बॉक्स	
<ul> <li>चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में)</li> <li>लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में)</li> <li>कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)</li> </ul>		
* एसोसिएट हैं या फेलो 〇 एसोसिएट 〇 फेलो सदस्यता संख्या		
अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र		
	रक्षा कर	जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष) <mark>प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर</mark>	
यह ई-प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है	डीएससी बॉक्स
इस ई-प्ररूप को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है	डीएससी बॉक्स
हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	

🔵 हिंदी

प्ररूप सं. आईएनसी-20		प्ररूप की भाषा
निरसन/समर्पण के बारे में रजिस्ट्रार को सूचना धारा 8 के तहत जारी लाइसेंस [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (4) और 8 (6) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 23] के अनुसरण में	सत्यमेव जयते	अंग्रेज़ी
प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें * में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं		
इकाई का विवरण		
1 (क) * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)		
2 (क) * कंपनी का नाम		
(ख) * कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता		

- (ग) \* कंपनी का प्रकार
- (घ) \* कंपनी की ईमेल आईडी
- 3 (क) \* धारा 8 के तहत जारी लाइसेंस संख्या

## अन्य विवरण

4* क्या लाइसेंस के निरसन के लिए आवेदन	🔿 स्वैच्छिक है 🔵	केंद्र सरकार के	निर्देशों के अनुसार किया
गया है			

- 5 (क) \* आदेश जारी करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)
  - (ख) \* आदेश फाइल करने की नियत तिथि (दिन/माह/वर्ष)
  - (ग) \*आईएनसी-18 प्ररूप का एसआरएन
- 6 \* धारा 8 के तहत लाइसेंस के निरसन के आदेश को ध्यान में रखते हुए कंपनी के नाम का उल्लेख करें (प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड शब्द कंपनी के नाम पर जोड़े जाएँगे और चुनावी

ट्रस्ट, फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, चैंबर, परिसंघ, परिषद आदि जैसे शब्द(ओं) को नाम से हटा दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी की स्थिति को तदनुसार बदल दिया जाएगा। )

अनुलग्नक				
(क) केन्द्र सरकार के आदेश की प्रति	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड
(ख) वैकल्पिक अनुलग्नक (ओं) - यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चने	हटाना	डाउनलोड
घोषणा मुझे कंपनीकेनिदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव सं *	ि दिनांक	*		
ू के तहत इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्रा	 धेकृत किया गया है कि कंप	नी अधिनियम,	2013 की स	तभी
आवश्यकताएं और इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक माम् गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:	ालों के संबंध में उसके अंतग	ति बनाए गए वि	नेयमों का अ	नुपालन किया
1 इस प्ररूप में और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही इ दबाई या छिपाई नहीं गई है और यह कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अ 2 सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस रूप से संलग्न किए 3 इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए निबंधन यदि कोई हों, का भी	नुसार है। गए हैं।	, C	बंधित कोई भ	ी जानकारी
* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित		डीएससी बॉक्स		
* पदनाम				
(निदेशक/प्रबंधक/ कंपनी सचिव / सीएफओ / सीईओ)		[		
* निदेशक का डीआईएन या प्रबंधक या पैन या सीईओ का डीआईएन या सीएप कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या	त्रओ या			
		सिव	करें जम	ग करें
नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों प्रमाण पत्र के लिए दण्ड और झूठे सबूत के लिए दण्ड का प्रावधान करते		ज्या जाता है जो	। क्रमशः झूठे	बयान /
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:				
ई-प्ररूप सेवा अन्रोध संख्या (एसआरएन)				
ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)				
अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर				
यह ई-प्ररूप एतद्द्वारा पंजीकृत है		डीएससी बॉक्स		
हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)				

प्ररूप सं. आईएनसी-20क			त्र भाषा अंग्रेज़ी 🔹 हिंदी	
व्यवसाय शुरू करने के लिए घोषणा	LAYNAL			
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10 ए (1) (ए) के नंपरी (नियमन) नियम 2014 न्य नियम 22य हे				
कंपनी (निगमन) नियम,2014 का नियम 23ए के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते			
and kich al				
प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें				
* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं				
कंपनी की जानकारी				
1* कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)				
2 (क) * कंपनी का नाम				
(ख) * पंजीकृत कार्यालय का पता				
(ग) * ईमेल आईडी				]
,				-
(घ) * देशान्तर				
(ङ) * अक्षांश				
2 रुगा रंगनी की सार्गसनामों को आपनीआई जैसे क्षेत्रीय नि	<del>जातन नैते</del>			
3 * क्या कंपनी की कार्यकलापों को आरबीआई जैसे क्षेत्रीय नि सेबी, आईआरडीएआई आदि द्वारा विनियमित किया जात		🔿 हां	🔘 नहीं	
तथा, जाइजारडारजाइ जादि द्वारा विनियानत किया जात	חו פ שו שפו,	् हा	াঙা	
(क) यदि हाँ, तो नियामक का नाम निर्दिष्ट करें				7]
(आईआरडीए/आरबीआई/सेबी/एमसीए/अन्य)				2
				7
(ख) यदि अन्य, तो कृपया निर्दिष्ट करें				
(ग) धारा 406 के तहत जारी पत्र संख्या/पंजीकरण संख्या/अन्	पुमोदन			
(घ) विनियामक निकाय के अनुमोदन/पंजीकरण की तिथि, जैसा	भी मामला हो			

### 4 शेयरों के मूल्य के लिए ग्राहक भुगतान का विवरण

(क) \* शेयरधारकों की संख्या जिसके लिए कंपनी रिपोर्ट करना चाहती है

आईएफएससी कोड वाले बैंक का नाम खाता संख्या प्राप्ति की प्राप्ति की क्र.सं. शेयरधारक का नाम तिथि राशि जिसमें निगमन के दौरान सदस्यता प्राप्त शेयरों के लिए सदस्यता राशि प्राप्त होती है (ग) (ख) (घ) (ङ) (च) 1 2 3 4

# अनुलग्नक

(क) *बाहरी भवन को दर्शाने वाले पंजीकृत कार्यालय की	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड
तस्वीर और कार्यालय के अंदर भी कम से कम एक निदेशक				
को दिखाया गया है /				
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक दवारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड
(केवल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों मामले में) / अन्य नियामक से				
(ग) निधि आयोग के रूप में अधिसूचना की घोषणा	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड
(घ) वैकल्पिक अनुलग्नक (ओं) - यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड

#### घोषणा

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव संख्या 💷 2011 के तहत नियुक्त किया गया है।

इस पर हस्ताक्षर करना और यह घोषित करना कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं और इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

1 इस रूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषय वस्तु से संबंधित कोई भी जानकारी दबाई या छिपाई नहीं गई है और यह कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।

2 सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस रूप से संलग्न किए गए हैं।

एमओए के प्रत्येक ग्राहक ने उसके द्वारा लिए जाने वाले शेयरों के मूल्य का भुगतान किया है।

4 कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास धारा 12 की उपधारा (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन दायर किया है।

\* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

\*निर्देशक

\*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या

#### अभ्यास पेशेवर द्वारा प्रमाणपत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस फॉर्म के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत इस फॉर्म से संबंधित नियमों के प्रावधानों का अध्ययन किया है और मैंने उपरोक्त विवरणों को सत्यापित किया है।

(कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से संलग्नक सहित) जो इस प्रपत्र की विषय वस्तु है और उन्हें सही, सही और पूर्ण पाया गया और इस फॉर्म में कोई भी जानकारी सामग्री दबाई नहीं गई है

🔾 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में) या

- 🔘 🛛 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- 💛 🦳 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)
- \* या तो सहयोगी या साथी:
- 🔾 एसोसिएट 💛 फेलो

\*डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

डीएससी बॉक्स

डीएससी बॉक्स

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

यह ई-फार्म इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस्टर द्वारा रखी गई फाइल पर और निदेशक और पेशेवर द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

<i>केवल कार्यालय उपयोग के लिए:</i> ई-फ़ॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-फॉर्म फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)						
प्ररूप सं. आईएनसी -22		प्ररूप	की भ	ाषा		
पंजीकृत कार्यालय की स्थिति या स्थिति में परिवर्तन की सूचना		🔵 अं	ग्रेज़ी		हिंदी	
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 (2) और (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25 और 27 के अनुसरण में]						
प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें।						
* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं						
1 कंपनी की जानकारी						
(क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)						
(ख) * कंपनी का नाम						
(ग) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता	[					
(घ) * कंपनी की ईमेल आईडी	[					
2 * प्ररूप भरने का उद्देश्य	[					<b>▼</b> ]
कंपनी के निगमन के बाद पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन /	l					
शहर, करूबे या गांव की स्थानीय सीमाओं के भीतर परिवर्तन / एक ही आरओसी के भीतर शहर, करूबे या गांव की स्थानीय सीमा के बाहर परिवर्तन	न और उस	गी राज्य के	भीतर	.सार.स	ोसी में प	गरिवर्तन
/ मौजूदा आरओसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्य में परिवर्तन/ मौजूदा आरओसी						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3 (ए) * क्या आपने एमजीटी -14 दायर किया है?		0 हां		0	नहीं	
(क) (i) यदि हां, तो फॉर्म एमजीटी -14 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) त	दज कर					
(ख) *क्या आपने आईएनसी-28 दायर किया है?		0	हां	0	नहीं	
(ग) (i) यदि हां, तो फॉर्म आईएनसी-28 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) दर्ज क	करें [					

[भाग II-खण्ड 3(i)]

# 4 इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि

(क) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता दिनांक (दिन/माह/वर्ष) से कहां स्थित है	
* पता पंक्ति 1	
पता पंक्ति 2	
* देश	Ţ
* पिन कोड/	
*क्षेत्र/क्षेत्र	
* शहर	
जिला	
*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
* देशांतर	
* अक्षांश	
5 प्रस्तावित आरओसी या नए आरओसी के कार्यालय का नाम	
अनुलग्नक	

(क) *	पंजीकृत कार्यालय पते का प्रमाण (वाहन / लीज) किराया रसीदों के साथ विलेख/किराया करार आदि) पट्टे पर ली गई या किराए की संपत्ति के मामले में मानक एनओसी के र	अधिकतम 2 एमबी <b>गथ</b>	਼ਸ਼ਾ <b>ਤ</b> ल चनें	हटाएं	डाउनलोड
(उत्त)	्यागोगिना तिनों की पनिगां (से पहीने पे अधिक प	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाएं	डाउनलोड

(ख) \*उपयोगिता बिलों की प्रतियां (दो महीने से अधिक पुरानी नहीं)

(ग) *बाहरी भवन को दर्शाने वाले पंजीकृत कार्यालय की तस्वीर	
अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चनें हटाएं डाउनलोड
और कार्यालय के अंदर भी एक दिखाई दे रहा है निदेशक / केएमपी जिसने इस चिपकाया है।	म फॉर्म पर अपना डिजिटल हस्ताक्षर
<u>अधिकतम 2 एमबी</u>	फ़ाइल चनें हटाना डाउनलोड
(घ) एक सबूत कि कंपनी को अनुमति दी गई है पते को पंजीकृत के रूप में	उपयोग करने के लिए
कंपनी का कार्यालय यदि वही है किसी अन्य इकाई / व्यक्ति के स्वामित्व में । 	(कपना द्वारा पट्ट पर नहा लिया
गया)	
अधिकतम २ एमबी (ड) वैकल्पिक अनुलग्नक (ओं) - यदि कोई हो	फ़ाइल चर्ने हटाना डाउनलोड
घोषणा	
井 *	
लेखों में कंपनी के	के रूप में नामित व्यक्ति
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प सं 2012/2006 के तहत इसे अधिकृत किया गया है।	
इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए (दिन/माह/वर्ष)*	
* कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और इसके तहत इस रूप की विषय वस्तु अ बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।	रि उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में
* मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही, सही और पू शामिल हैं और कुछ भी सामग्री को दबाया नहीं गया है।	ग ह, ाजसम इस रूप क सलग्नक
🛛 यह आगे प्रमाणित किया जाता है कि 👘 👘 👘	
[चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में)/ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)/ लागत लेख	
सदस्यता संख्या और अभ्यास का प्रमाण पत्र संख्या।	
इस प्रपत्र को प्रमाणित करने के लिए विधिवत रूप से इस प्रयोजन रा्थ लगाया गया है।	
* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना	डीएससी बॉक्स
* पदनाम	

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ)

\*निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ का डीआईएन या पैन या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

#### पेशेवर अभ्यास द्वारा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस फॉर्म के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है। इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से उपर्युक्त विवरणों (संलग्नक सहित) का सत्यापन किया है जो इस प्रपत्र की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य पाया है। सही और पूर्ण और इस प्रपत्र की कोई भी जानकारी सामग्री दबाई नहीं गई है। मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि:

 उक्त रिकॉर्ड को उचित रूप से तैयार किया गया है, कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है और इसे व्यवस्थित पाया गया है;

2. सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस रूप से जुड़े हुए हैं;

3. मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से ऊपर उल्लिखित पते पर फॉर्म में दिए गए पंजीकृत कार्यालय का दौरा किया है और सत्यापित किया है कि कंपनी का उक्त पंजीकृत कार्यालय कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है।

डिजिटल र	रूप से हस्ताक्षरित होना		डीएससी बॉक्स
वर्ग 🔿	चार्टर्ड एकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में)	0	लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में)
0	कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)		
	एसोसिएट 🔾	0	फेलो
सदस्यता	संख्या		
अभ्यास र	नंख्या का प्रमाण पत्र		

सेव कर

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

ई-फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और फाइलिंग कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:			
ई-फ़ॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)			
ई-फॉर्म फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)			
प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर			
यह ई-फॉर्म इसके द्वारा पंजीकृत है		डीएससी बॉक्स	
हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)			
प्ररूप सं. आईएनसी-23		प्रपत्र भाषा	
एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत या एक ही राज्य		🔵 अंग्रेज़ी 📃 हिं	दी
के भीतर एक रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से दूसरे	JANK		
रजिस्ट्रार तक स्थानांतरित करने की स्वीकृति के लिए	CECNED .		

सत्यमेव जयते

[कंपनियों की धारा 12 (5) और 13 (4) के अनुसरण में अधिनियम, 2013 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 28 और 30]

फॉर्म दाखिल करने के लिए निर्देश किट देखें।

\* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष आवेदन

1 कंपनी की जानकारी		
(क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)		
(ख) * कंपनी का नाम		
(ग) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता		
(घ) * कंपनी की ईमेल आईडी		
2 * प्ररूप फाइल करने का प्रयोजन एक ही राज्य के भीतर आरओसी में परिवर्तन / किसके अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्य में मौजूदा आरओसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर राज्य में परिवर्तन	परिवर्तन	V
3 * क्या आपने एमजीटी -14 फाइल किया है?	் हाँ	🔾 नहीं
(क) यदि हां, तो प्ररूप एमजीटी -14 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) दर्ज करें		
4 (क) *उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम जहां कंपनी का नया पंजीकृत का स्थित होगा	र्यालय है	▼
(ख)  *नए आरओसी के कार्यालय का नाम जहां नया प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय है? कंपनी स्थित होगी		V
5 * मामले के तथ्यों के साथ पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के कारण (प्रदान करें) कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण, प्रत्येक पैराग्राफ में निम्नलिखित शामित लगभग जितना संभव हो एक अलग मामला, तथ्य या अन्यथा।	त हैं:	
6 विज्ञापन और आपत्ति विवरण		
(क) *विज्ञापन के जवाब में प्राप्त कोई आपत्तियां हां नहीं	0	0
(ख) विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण		
(ग) *अंग्रेजी में विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाईवाई)		
(घ) *वर्नाक्युलर भाषा में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)		

60	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i	)]	
(क)	*क्या अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है।	O हां	<b>ि</b> नहीं	
(ख)	यदि हाँ, तो अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए			
8 (क)	क्या अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई कार्रवाई की ग	ई है?		
	जांच 🛛 निरीक्षण 🛛 जांच			
(ख)	यदि हाँ, तो जांच, निरीक्षण, जांच का संक्षिप्त विवरण दीजिए			

9 (क) * क्या कंपनी ने आवेदन की प्रति को पूर्ण के साथ सेवित किया है	🔾 हां	🔾 नहीं	
राज्य के मुख्य सचिव के साथ संलग्नक क्या कंपनी ने आवेदन की			
प्रति के साथ पूर्ण संलग्नकों को राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया है।			
(ख) यदि हां, तो सेवा की पावती की तारीख निर्दिष्ट करें (दिन/माह/वर्ष)			

O हां नहीं ○

(ग) *क्या सरकार और एनसीएलटी विलंब, अधिनिर्णयन और कंपाउंडिंग के	लिए
माफी मांगने के लिए कोई आवेदन न्यायनिर्णयन अधिकारियों के समक्ष लं	बित है।

(घ) यदि हां, तो ऐसे लंबित आवेदन का ब्यौरा निर्दिष्ट कीजिए।

10 लेनदारों की सूची

	क्र.सं.	लेनदार का नाम	पता	स्वरूप	ऋण, दावों या देनदारियों के संबंध में देय राशि
	1				
	2				
	3				
•	पंक्ति जोडें	पंक्ति हटाएँ	ř.		

11 डिबेंचर धारकों की	ो सूची
पंक्ति जोडें	पंक्ति हटाएँ

क्र.सं.	डिबेंचर धारकों के नाम	पता	प्रकृति	ऋण, दावों या देनदारियों के संबंध में देय राशि
1				
2				
3				

<b>अनुलग्नक</b> (क) *मुख्तारनाम/वकालतनामा/बोर्ड संकल्प	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चर्ने	हटाना	डाउनलोड
<ul> <li>(ख) *पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए</li> <li>नोटिस के लिए समाचार पत्र के विज्ञापन की प्रति</li> </ul>	अधिकतम 2 एमबी	फ़ा <b>डल च</b> ने	हटाना	डाउनलोड
	अधिकतम 2 एमबी	ਯ਼ਾਤਕ ਚਜੇ	हटाना	डाउनलोड
(ग) *आवेदन की सेवा के प्रमाण की पावती राज्य के मुख्य सचिव, सेबी या किसी अन्य को नियामक प्राधिकरण (यदि लागू हो)				
(घ) आपत्तियों की प्रति (यदि कोई प्राप्त हो)	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चर्ने	हटाना	डाउनलोड
(ङ) वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो।	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड

#### घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वार	ा समाधान संख्या * द्वार	ा अधिकृत हूं *				
	दिनांक (दिन/माह/वर्ष	)* इस प्ररूप	पर हस्ताक्षर	करने और य	ह घोषित	करने

ित्नांक (दिन/माह/वर्ष)\* इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं और इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि:

\* इस प्ररूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषय वस्तु के लिए कोई भी सूचना सामग्री दबाई या छिपाई नहीं गई है और कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।

🗆 \* सभी आवश्यक संलग्नक पूर्णतः से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप में संलग्न किए गए हैं।

\*जिस मामले के संबंध में यह याचिका/आवेदन किया गया है, उसके संबंध में कोई भी आवेदन, रिट याचिका या वाद किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य पीठ या बोर्ड के समक्ष दायर नहीं किया गया है और ऐसा कोई आवेदन, रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के समक्ष लंबित नहीं है। \* कंपनी ने अपने कामगारों को बकाया राशि के भुगतान में चूक नहीं की है और प्रस्तावित स्थानांतरण के लिए या तो अपने लेनदारों की सहमति ली है या उसके भुगतान के लिए आवश्यक प्रावधान किया है।

🛛 \* कंपनी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव की मांग नहीं करेगी जहां अभियोजन के लिए मामले लंबित हैं।

\*पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी और कंपनी द्वारा संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को एक आवेदन भी दायर किया जाएगा।

\* कंपनी के मामलों में एक पूर्ण जांच की गई है और ऐसा करने के पश्चात, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि लेनदारों की सूची सही है, और यह कि आकस्मिकता पर देय ऋण या दावों की सूची में दिए गए अनुमानित मूल्य ऐसे ऋणों और दावों के मूल्यों का उचित अनुमान हैं और उनकी जानकारी में कंपनी के खिलाफ कोई अन्य ऋण या दावा नहीं है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना	डीएससी बॉक्स
* पदनाम	
(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ)	
*निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ का डीआईएन या पैन या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या	
	सेव जमा
नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आर्का प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।	र्षेत किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान /
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर	
यह ई-प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है	डीएससी बॉक्स
इस प्ररूप को अस्वीकार कर दिया जाता है	डीएससी बॉक्स
हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/महिना/साल)	



-प्रपत्र सं.. आईएनसी -24

नाम परिवर्तन के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (2) और कंपनियों के नियम 29 (2) और 33 ए (निगमन) नियम 2014] के अनुसरण में प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें





\* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

### कंपनी की जानकारी

1 \* कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) \* कंपनी का नाम

(ख) \* कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) \* कंपनी की ईमेल आईडी

### एसआरएन का विवरण और नाम में परिवर्तन

3	(क)	*	आरयुएन	का	सेवा	अनुरोध	संख्या	(एसआरएन)	)
---	-----	---	--------	----	------	--------	--------	----------	---

- (ख) \* कंपनी का प्रस्तावित नाम
- 4 \* नाम परिवर्तन का कारण

कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्ररूप एमजीटी -14 फाइल करने के 5 विवरण

5 \*प्ररूप एमजीटी-14 का एसआरएन

6 \* निगमन के समय कंपनी का नाम (प्रमाण पत्र में प्रदर्शित किया जाना है)

### सदस्यों का विवरण

7 (क) बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या जहां

उनके द्वारा रखे गए शेयरों के नाम और संख्या में बदलाव	व के लिए विशेष संकल्प	न पारित किया ग	या था	
(i) * सदस्यों की संख्या				
(ii) * उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या				
(ख) नाम और संख्या बदलने के पक्ष में मतदान करने वाले सदस् उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या	यों की संख्या			
(i) * सदस्यों की संख्या				
(ii) * उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या				
(ग) नाम और संख्या बदलने के विरूद्ध मतदान करने वाले सदस् उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या	ऱ्यों की संख्या			
(i) * सदस्यों की संख्या				
(ii) * उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या				
(घ) मतदान से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों का विवरण और शे	ायरों की संख्या			
(i) * सदस्यों की संख्या				
(ii) * उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या				
अनुलग्नक				
वैकल्पिक अनुलग्नक (ओं) - यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चनें	हटाना	डाउनलोड
घोषणा	× 0 ( 0 0	N		а. С. м.

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी के बारे में इस आवेदन में दी गई जानकारी और इसके अनुलग्नक सही और पूर्ण हैं और कंपनी ने नाम बदलने के संबंध में संबंधित अधिकारियों और विभागों से सभी अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त किए हैं।

कंपनी परिपक्व जमाराशियों या डिबेंचरों र	ग उस पर ब्याज के भुगतान र	या पुनर्भुगताव	न के लिए चूक के उ	अधीन नहीं है।
* मुझे निदेशक मंडल की संकल्प संख्या *		दिनांक* [		(दिन/माह/वर्ष) द्वारा इस
आवेदन पर हस्ताक्षर करने और जमा करने	के लिए अधिकृत किया गया है।	-		-

डीएससी बॉक्स

\* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

#### \* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ)

*निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक/सीईओ/सीएफओ का डीआईएन या पैन;	
या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या	

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अन्रोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

यह प्ररूप इसके द्वारा अन्मोदित है

इस प्ररूप को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है

बयान/ प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान है।

हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

प्ररूप सं. आईएनसी-27

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलना या निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में और शेयरों या गांरटी द्वारा असीमित देयता कंपनी को एक कंपनी लिमिटेड में बदलना या शेयरों द्वारा गांरटी कंपनी को कंपनी लिमिटेड में बदलना

डीएससी बॉक्स डीएससी बॉक्स प्ररूप की भाषा

सेव

जमा

अंग्रेज़ी 🛛 हिंदी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और 18 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 33, नियम 37 और नियम 39 के अन्सरण में] प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

\* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

## इकाई का विवरण

- 1 \* के लिए आवेदन
- Information कि सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना
- ् सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करना
- ् शेयरों द्वारा असीमित देयता कंपनी को एक कंपनी लिमिटेड में परिवर्तित करना
- 💛 गारंटी द्वारा असीमित देयता कंपनी को एक कंपनी लिमिटेड में परिवर्तित करना
- 🗸 गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में परिवर्तित करना

2 \* कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

- 3(क) \* कंपनी का नाम
- (ख) \* पंजीकृत कार्यालय का पता
- (ग) \* कंपनी के ई-मेल आईडी
- 4 \* रूपांतरण के लिए कारण
- 5. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी) के पास प्ररूप एमजीटी -14 भरने विवरण
  - (क) \*प्ररूप एमजीटी-14 का एसआरएन
  - (ख) \*विशेष संकल्प पारित करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)
- 6. केंद्र सरकार के आदेश का विवरण
  - (क) प्ररूप आरडी -1 का एसआरएन
  - (ख) आदेश पारित करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

आदेश प्राप्त करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

7 \* निगमन के समय कंपनी का नाम (प्रमाण पत्र में प्रदर्शित किया जाना है)

8 (क) कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (दिन/माह/वर्ष) के	नियम	37 के अ	नुसार	अंग्रेजी
भाषा में नोटिस के प्रकाशन की तिथि			•	

(ख) कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (दिन/माह/वर्ष) के नियम 37 के अनुसार स्थानीय भाषा में सूचना के प्रकाशन की तिथि

9. लेनदारों और डिबेंचर धारकों का विवरण

क्र.सं.	ऋणदाता का नाम /	प्रकार	पता	देय राशि	टिप्पणी (ऋण / दावा / देयता
	डिबेंचर धारक				की प्रकृति)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vii)
		▼			



# अनुलग्नक

(क) समाचार पत्र प्रकाशन की प्रति	अधिकतम 2 MB	फ़ाडल चर्ने	र्गाउन्न	डाउनलोड
(ख) *सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र की एक प्रति	अधिकतम 2 MB	फ़ाइल <b>च</b> नें	हटाएं	डाउनलोड
(ग) वैकल्पिक अनुलग्नक,यदि कोई हो	अधिकतम 2 MB	਼ੁਸ਼ਾਤਕ चने	हटाएं	डाउनलोड

#### घोषणा

मुझे निदेशक मंडल के प्रस्ताव संख्या * 🛛 🗖 दिनां	क (दिन/माह/वर्ष)
् द्वारा करने के लिए अधिकृत किया गया है *	
इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए मैं, आगे निम्नलिखित र्क	जे घोषणा करता हूं:
🗆 * मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन में दी गई जानकारी औ	र इसके अनुलग्नक सही और पूर्ण हैं।
🗆 * कंपनी ने संबंधित अधिकारियों, विभागों और पर्याप्त लेनदारों से सभी अनिवा	र्य अनुमोदन प्राप्त किए हैं।
* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना	डीएससी बॉक्स
* पदनाम	
(निदेशक/प्रबंधक/ कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ)	

\* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; या 👘

67

कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

#### नियम 37 के तहत घोषणाएं

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि रूपांतरण से पहले कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किए गए या दर्ज किए गए किसी भी ऋण, देनदारियों, दायित्वों या अनुबंधों को प्रभावित नहीं किया जाएगा (सिवाय इस हद तक कि सदस्यों की देयता सीमित हो जाएगी)

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, यह घोषणा करता हूं कि हमने कंपनी के मामलों की पूरी जांच की है और ऐसा करने के बाद, एक राय बनाई है कि लेनदारों की सूची सही है, और यह कि आकस्मिकता पर देय ऋणों या दावों की सूची में दिए गए अनुमानित मूल्य ऐसे ऋणों और दावों के मूल्यों का उचित अनुमान हैं और हमारी जानकारी के अनुसार कंपनी के खिलाफ कोई अन्य ऋण या दावे नहीं हैं।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, यह घोषणा करता हूं कि हमने कंपनी के मामलों की पूरी जांच की है, जिसके परिणामस्वरूप हमने एक राय बनाई है कि यह अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और विधिवत बुलाई गई बैठक में या प्रचलन द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया नहीं होगा।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, यह घोषणा करता हूं कि सदस्यों या निवेशकों से कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत लंबित नहीं है और कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच, निरीक्षण या जांच लंबित नहीं है।

मैं निदेशक मंडल की ओर से यह घोषणा करता हूं कि कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 37 (2) के तहत अपेक्षित नोटिस सभी लेनदारों और डिबेंचर धारकों को प्रेषण के प्रमाण के साथ भेज दिया गया है।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना	डीएससी बॉक्स
पदनाम (निदेशक)	
निदेशक की निदेशक पहचान संख्या।	
डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना	डीएससी बॉक्स
पदनाम (निदेशक)	
निदेशक की पहचान संख्या;	
न्यान्यानिक तन्या घोषणा और प्राणगीकाण	

कार्यालय में

व्यावसायिक द्वारा घोषणा और प्रमाणीकरण

में ∗⊺

का सदस्य \*

जो कंपनी के रूपांतरण में लगा हुआ है, घोषित करें कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है। इसके द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलेखों से उपर्युक्त विवरणों (संलग्नक सहित) का सत्यापन किया है जो इस प्रपत्र की विषय वस्तु सही और पूर्ण है और उन्हें सत्य पाया है और इस प्रपत्र की कोई भी जानकारी सामग्री दबाई नहीं गई है। मैं इसे और प्रमाणित करता हूं;

(i) कंपनी रूपांतरण के लिए पात्र है और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत विनिदष्ट किसी अयोग्यता को आकर्षित नहीं करती है, और

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी परिवर्तन और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है जो कम्पनी को असीमित देयता से सीमित देयता में परिवतत करने से संबंधित हैं और इसके उदाहरण या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। उक्त रिकॉर्ड को उचित रूप से तैयार किया गया है, कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है और इसे व्यवस्थित पाया गया है;

(iii) मैंने इस प्रपत्र के सभी संलग्नक खोल दिए हैं और इन्हें आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण और सुपाठ्य सत्यापित किया है;

(iv) यह समझा जाता है कि यदि किसी भी स्तर पर कोई गलत प्रमाणन पाया जाता है तो मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

\* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

0	चार्टर्ड अकाउंटेंट	(पूर्णकालिक	अभ्यास	में)	या
---	--------------------	-------------	--------	------	----

- लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- o कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)
- \* या तो सहयोगी या साथी:
- 🔾 एसोसिएट 🔾 फेलो

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

69

	जमा
--	-----

सेव करें

डीएससी बॉक्स

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए: ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष) प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर डीएससी बॉक्स यह ई-प्ररूप इसके द्वारा पंजीकृत है हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष) प्ररूप सं. आईएनसी -28 प्ररूप भाषा ) अंग्रेजी 🔵 हिंदी [धारा 12 (6), 13 (7), 48 (4), 58 (5), 87, 111 (3) 66 (5), 230 (8), 232, 233 (7), 234, 237, 252 (2), 441 और अन्य कंपनी अधिनियम, 2013 और धारा 17 (1), 81 (4), 107 (3) 167, 186, 391, 394 (1) , 396, 397, 398, 445, 466, 481, 518, 559, 621 क, समामेलन- अन्य और कंपनियों के अन्य अधिनियम, 1956 और धारा 7, 9, 10, 12ए , 22 (3), 31, 33, 54, 59 (8) और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अन्य] के अनुसरण में, न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश की सूचना प्ररूप के लिए फाइल करने के लिए निर्देश किट देखें सभी \* में चिहिनत फ़ील्ड अनिवार्य हैं कंपनी की जानकारी 1 (क) \* कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन)

2 (क) \* कंपनी का नाम

(ख) \* कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता या कंपनी का

कंपनी के भारत में व्यापार का प्रमुख स्थान	
(ग) * कंपनी की ईमेल आईडी	
3 (क) * आदेश द्वारा पारित (न्यायालय/एनसीएलटी/केन्द्र सरकार/एनसीएलएटी/बीआईएफआर/ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी)	
(ख) (i) न्यायालय का नाम	
(ii) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय का नाम	
(iii) ऋण वसूली अधिकरण का नाम	
(iv) सक्षम प्राधिकारी का नाम	
(ग) * स्थान	
(ग) (i) अन्य (कृपया बेंच का नाम निर्दिष्ट करें)	
(घ) * याचिका या आवेदन संख्या	
(ई) * आदेश नंबर	
4 * आदेश पारित करने की तारीख (डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई)	
5 (क) * प्रासंगिक अधिनियम जिसके तहत आदेश पारित किया जाता है (कंपनी अधिनियम, 2013 / कंपनी अधिनियम, 1956) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016)	
(ख) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा जिसके अंतर्गत आदेश पारित किया गया	▼
(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा जिसके अंतर्गत आदेश पारित किया गया	
(iii) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा जिसके तहत आदेश पारित किया गय	Т
(ग) यदि अन्य, तो अधिनियम की धारा का उल्लेख करें	
(घ) लागू धारा का संक्षिप्त विवरण	

72	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	Y		[Part	II—SEC. 3(i)]
6 उन दिनों	की संख्या जिनके भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष आदेश फाइल किया जाना है				
	धाराओं के अनुसरण में या न्यायालय के आदेश के अनुसार फाइल या का आदेश या सक्षम प्राधिकारी का आदेश फाइल किया जाना, जैसा भी मा	ामला हो	)		
	प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए अदालत या ट्रिब्यूनल या जारी करने के	[			
	म प्राधिकारी के समक्ष आवेदन की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाईवाई) । प्रमाणित प्रति जारी करने की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	[			
9 * रजिस्ट्र	ार (डीडी /एमएम / वाईवाईवाईवाई) के आदेश जारी किया जाने की नियत त	तारीख [			
	ाराध के कंपाउंडिंग के मामले में, सेवा अनुरोध संख्या दर्ज करें 1 के एसआरएन (ओं)	[			
(ख) संब	धित प्रपत्र का एसआरएन				
प्ररूप न <i>(सीएचजी</i> )	बर 4/सीएचजी-8/आईएनसी-23/एमजीटी-14/जीएनएल-1/अन्य)	[			T
यदि अन	य, तो कृपया निर्दिष्ट करें	[			
संबंधित	ा प्रपत्र का एसआरएन				
सीएचउ	ी-4 का एसआरएन				
. ,	ो अधिनियम, 2013 की धारा 66 के तहत विशेष समाधान की तारीख दिन/माह/वर्ष)	[			
11 (क) जुम	र्भना शामिल है या नहीं 🛛 🔿		हाँ	0	
(ख) य	दि हाँ, तो जुर्माने के भुगतान का एसआरएन				

# समामेलन का विवरण

12 (क)समामेलन के मामले में, उल्लेख करें कि क्या फॉर्म दाखिल करने वाली कंपनी हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणी है

हस्तांतरणकर्ता
 हस्तांतरणी
(ख) क्या ट्रांसफरी कंपनी भारत के बाहर निगमित कंपनी है	0	हाँ	0	नहीं
(ग) क्या इस आदेश में हां नं की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि का प्रावधान है। हस्तांतरणी कंपनी?	0	हाँ	0	नहीं
(घ) हस्तांतरणी कंपनी का विवरण				

सीआईएन/एफसीआरएन

नाम

समामेलन की नियत तिथि

हस्तांतरणकर्ता कंपनी (ओं) का विवरण

(ङ) हस्तांतरणकर्ता कंपनी (ओं) की संख्या

हस्तांतरणकर्ता कंपनी	सीआईएन या	नाम	समामेलन की नियत	फॉर्म आईएनसी -
की श्रेणी	एफसीआरएन या कोई		तिथि	28 का एसआरएन
	अन्य पंजीकरण संख्या			
(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(স)

13 अधिकृत शेयर पूंजी का विवरण

13क हस्तांतरणकर्ता कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी का विवरण

हस्तांतरणकर्ता कंपनी का नाम

शेयरों का प्रकार	शेयरों की श्रेणी	न्यूनतम मूल्य	शेयरों की वर्तमान संख्या	कुल
			वतमान संख्या	
अवर्गीकृत शेयर				
कुल शेयर पूंजी				

## 13ख हस्तांतरी कंपनी की शेयर पूंजी का विवरण

हस्तांतरणकर्ता कंपनी का नाम

			समामेलन से पहले		समामेलन के बाद	
शेयरों का प्रकार	शेयरों की	न्यूनतम	शेयरों की वर्तमान	कुल	शेयरों की	कुल
	श्रेणी	मूल्य	संख्या		संशोधित संख्या	
अवर्गीकृत शेयर						
कुल शेयर पूंजी						
पंक्ति ह	टाएँ					

पंक्ति जोडें

14 समापन के मामले में, निम्नलिखित विवरण प्रदान करें

- 14 (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 के अधीन समापन प्रारंभ होने की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)
  - (ख) परिसमापक का विवरण

परिसमापक का आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)

परिसमापक का नाम

पता

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश

पिन कोड/ज़िप कोड

क्षेत्र/स्थान

शहर

#### जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

15 . कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 466 के तहत वह तारीख जिसके तहत कार्यवाही को बंद करने पर रोक लगा दी गई है

16 कंपनी	अधिनियम,	1956 की	धारा	481 के	तहत	विघटन	की	तारीख
(ਤੀਤੀ/	एमएम / व	गईवाईवाई	वाई)					

- 17 (क) वह तिथि जिसमें से विघटन को धारा के अधीन शून्य घोषित किया गया है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 559
  - (ख) क्या यह आदेश कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत भंग की गई . कंपनी के संबंध में है।

यदि हां, तो उस हस्तांतरणकर्ता कंपनी का विवरण प्रदान करें जिसके विघटन को शून्य घोषित किया गया है

सीआईएन या एफसीआरएन

नाम

<u> </u>	_	<u> </u>		~
ਸਮਾਸਕਰ	का	ाताथ	(दिन/माह/वर्ष	٦)
(1+11+1(1+1		1 1 1 -1	(19,-1,-11(7,-11	•

18 कंपनी की चुकता शेयर पूंजी को किससे कम किया गया है?

शेयरों का प्रकार	शेयरों की श्रेणी	न्यूनतम मूल्य	शेयरों की मौजूदा संख्या	क्या संशोधन की आवश्यकता है	शेयरों की संख्या में कमी	शेयरों की संशोधित संख्या	मौजूदा कुल मूल्य	संशोधित कुल मूल्य	कटौती का कुल मूल्य
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(i)	(ज)

19 अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) का विवरण / समाधान पेशेवर (आरपी) का विवरण / परिसमापक का विवरण

हां 🛛 नहीं

(क) आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)	
(ख) आईबीबीआई पंजीकरण संख्या।	
(ग) नाम	
(घ) मोबाइल (देश कोड के साथ)	
(ङ) ईमेल आईडी	
(च) पता	
पता पंक्ति 1	
אמו אויזמ ו	
पता पंक्ति 2	
देश	
पिन कोड/ज़िप कोड	
क्षेत्र/स्थान	
शहर	
	]
जिला	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	

## अनुलग्नक

1 * न्यायालय/एनसीएलटी/एनसीएलएटी/बीआईएफआर/केंद्र	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड
सरकार/डीआरटी/किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति				
2 वैकल्पिक अनुलग्नक (ओं) - यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड

#### घोषणा

मुझेकंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* दिनांक	
6			

(दिन/माह/वर्ष) \* के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया है और मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों की सभी अपेक्षाओं हैं। के साथ संकलित किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि: 1 इस प्ररूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषय वस्तु की कोई भी सूचना सामग्री दबाई या छिपाई नहीं गई है और यह कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है। 2 सभी आवश्यक अनुलग्नक पूरी तरह से, सही ढंग से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जुड़े हुए हैं। \* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

#### प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का विवरण

\*नाम

\* पदनाम

(निदेशक/ प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/ सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि/ परिसमापक

/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/समाधान पेशेवर (आरपी)/अन्य)

क्षमता

\*डीआईएन या आयकर पैन या सदस्यता संख्या

#### अभ्यास पेशेवर द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस फॉर्म की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का अध्ययन किया है और मैंने उपरोक्त विवरणों का सत्यापन किया है (सहित)। कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से संलग्न (ओं) जो इस प्रपत्र की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया गया है और इस प्रपत्र की कोई भी सूचना सामग्री दबाई नहीं गई है।

- 🔘 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)

डिजिटल रूप से किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए?

अन्शंगी या सहयोग

🔾 एसोसिएट 💛 फेलो

डीएससी बॉक्स

▼

सदस्यता संख्या अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र	
	सेव जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।



कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I के तहत अधिसूचित तालिका कंपनी पर लागू होती है	
(एफ, जी, एच)	

तालिका एफ / जी / एच (उपर्युक्त क्षेत्र के चयन के आधार पर) जैसा कि नीचे अधिसूचित किया गया है

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची । पर लागू होती है (एफ - शेयरों द्वारा सीमित कंपनी जी- गारंटी द्वारा सीमित और शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी

एच - गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और जिसकी शेयर पूंजी नहीं है)

कंपनी का नाम

जाँच करें कि यदि लागू नहीं है	जाँचें कि क्या परिवर्तित हुआ	आर्टिकल सं.	वर्णन
			व्याख्या
			(1) इन विनियमों में- (क) "अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है, (ख) "मुहर" से कम्पनी की सामान्य मुहर अभिप्रेत है। (2) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में अन्तर्विष्ट शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या उसके उस तारीख को प्रवृत्त कोई सांविधिक संशोधन है जिस दिन ये विनियम कम्पनी के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं।
			सदस्यों / सदस्यों की संख्या
			जिन सदस्यों के साथ कंपनी पंजीकृत होने का प्रस्ताव करती है, उनकी संख्या सौ है, लेकिन निदेशक मंडल समय-समय पर सदस्यों की वृद्धि दर्ज कर सकता है।
			ज्ञापन के अभिदाता और ऐसे अन्य व्यक्ति जो बोर्ड सदस्यता स्वीकार करेंगे, कंपनी के सदस्य होंगे।
			शेयर पूंजी और अधिकारों की भिन्नता
			अधिनियम और इन आर्टिकलों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कंपनी की पूंजी में शेयर उन निदेशकों के नियंत्रण में होंगे जो ऐसे व्यक्तियों को जारी कर सकते हैं, आवंटित कर सकते हैं या अन्यथा निपटा सकते हैं, ऐसे अनुपात में और ऐसे नियमों और शर्तों पर और या तो प्रीमियम पर या सममूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझे।
			(i) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज किया गया है, निगमन के दो महीने के भीतर, ज्ञापन के ग्राहकों के मामले में या आवंटन के बाद या हस्तांतरण या ट्रांसमिशन के पंजीकरण के लिए आवेदन के एक महीने के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा कि जारी करने की शर्तें प्रदान की जाएंगी, - (क) किसी भी शुल्क के भुगतान के बिना अपने सभी शेयरों के लिए एक प्रमाण पत्र; या (ख) कई प्रमाण पत्र, प्रत्येक के एक या एक से अधिक शेयरों के लिए, पहले के बाद प्रत्येक प्रमाण पत्र ; या (ख) कई प्रमाण पत्र, प्रत्येक के एक या एक से अधिक शेयरों के लिए, पहले के बाद प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए बीस रुपये के भुगतान पर। (ii) प्रत्येक प्रमाण पत्र मुहर के तहत होगा और उन शेयरों को निर्दिष्ट करेगा जिनसे यह संबंधित है और उस पर भुगतान की गई राशि। (iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी भी शेयर या शेयर के संबंध में, कंपनी एक से अधिक प्रमाण पत्र जरी करने के लिए बाध्य नहीं होगी, और कई संयुक्त धारकों में से एक को शेयर के लिए प्रमाण पत्र की डिलीवरी ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त डिलीवरी होगी।
			(i) यदि कोई शेयर प्रमाण पत्र पुराना, विकृत, विकृत या फाड़ा गया हो या हस्तांतरण के पृष्ठांकन के लिए पीठ पर कोई और स्थान नहीं हो, तो कंपनी को उसके उत्पादन और आत्मसमर्पण पर, उसके बदले में एक नया प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, और यदि कोई प्रमाण पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी की संतुष्टि के लिए और ऐसी क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, इसके एवज में नया सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस आर्टिकल के तहत प्रत्येक प्रमाण पत्र प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए बीस रुपये के भुगतान पर जारी किया जाएगा। (ii) आर्टिकल (2) और (3) के प्रावधान कंपनी के डिबेंचरों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
			कानून द्वारा अपेक्षित को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को कंपनी द्वारा किसी भी ट्रस्ट पर कोई शेयर रखने के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, और कंपनी किसी भी तरह से बाध्य नहीं होगी, या किसी भी तरह से किसी भी

	शेयर में किसी भी न्यायसंगत, आकस्मिक, भविष्य या आंशिक ब्याज, या शेयर के किसी भी आंशिक हिस्से में
	कसी भी हित को पहचानने के लिए बाध्य नहीं होगी, या (केवल इन विनियमों द्वारा या अन्यथा प्रदान किए कसी भी हित को पहचानने के लिए बाध्य नहीं होगी, या (केवल इन विनियमों द्वारा या अन्यथा प्रदान किए गए कानून द्वारा छोड़कर) पंजीकृत धारक में इसकी संपूर्णता के पूर्ण अधिकार को छोड़कर किसी भी हिस्से के संबंध में कोई अन्य अधिकार।
	(i) कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त कमीशन का भुगतान करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, बशर्ते कि भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने के लिए सहमत कमीशन की दर प्रतिशत या राशि उस धारा और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित तरीके से प्रकट की जाएगी। (ii) आयोग की दर या राशि धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों में विहित दर या राशि से अधिक नहीं होगी। (iii) कमीशन नकद के भुगतान या पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों के आवंटन या आंशिक रूप से एक तरह से और आंशिक रूप से दूसरे तरीके से संतुष्ट हो सकता है।
	<ul> <li>(i) यदि किसी भी समय शेयर पूंजी को शेयरों के विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो किसी भी वर्ग से जुड़े अधिकार (जब तक कि अन्यथा उस वर्ग के शेयरों के निर्गम की शर्तों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है) धारा 48 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, और कंपनी को बंद किया जा रहा है या नहीं, उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के तीन-चौथाई धारकों की सहमति से या उस वर्ग के शेयरों के धारकों की एक अलग बैठक में पारित एक विशेष प्रस्ताव की मंजूरी के साथ भिन्न हो सकते हैं,</li> <li>(ii) ऐसी प्रत्येक पृथक बैठक में, सामान्य बैठकों से संबंधित इन विनियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, किंतु इस प्रकार आवश्यक गणपूर्ति कम से कम दो व्यक्ति होंगे जिनके पास प्रश्नगत वर्ग के</li> </ul>
	जारी किए गए शेयरों का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा हो।
	पसंदीदा या अन्य अधिकारों के साथ जारी किए गए किसी भी वर्ग के शेयरों के धारकों को प्रदत्त अधिकार, जब तक कि अन्यथा उस वर्ग के शेयरों के निर्गम की शर्तों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए जाते हैं, आगे के शेयरों के निर्माण या जारी करने से भिन्न नहीं माने जाएंगे।
	धारा 55 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी वरीयता शेयर, एक साधारण संकल्प की मंजूरी के साथ, उन शर्तों पर जारी किया जा सकता है जिन्हें उन्हें ऐसी शर्तों पर भुनाया जाना है और ऐसी रीति से जो कंपनी शेयरों के जारी होने से पहले, विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित कर सकती है।
	ग्रहणाधिकार
	(i) कंपनी के पास प्रत्येक शेयर पर पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा - (क) प्रत्येक शेयर पर (पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जा रहा है), उस शेयर के संबंध में सभी धन (चाहे वर्तमान में देय हो या नहीं) को बुलाया गया, या एक निश्चित समय पर देय; और (ख) किसी एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत सभी शेयरों (पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर नहीं होने पर) पर, वर्तमान में उसके या उसकी संपत्ति द्वारा कंपनी को देय सभी धन के लिए: बशर्ते कि निदेशक मंडल किसी भी समय किसी भी हिस्से को इस खंड के प्रावधानों से पूरी तरह से या आंशिक रूप से छूट देने की घोषणा कर सकता है।
	(ii) किसी शेयर पर कंपनी का ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों के संबंध में समय-समय पर देय सभी लाभांशों और बोनस तक विस्तारित होगा।
	कंपनी, ऐसे तरीके से जिस पर बोर्ड उचित समझता है, कोई भी शेयर जिस पर कंपनी का ग्रहणाधिकार बेच सकती है:
	परन्तु कोई विक्रय नहीं किया जाएगा- (क) जब तक कि ग्रहणाधिकार विद्यमान राशि वर्तमान में संदेय न हो; या
	्प (ख) लिखित रूप में नोटिस के चौदह दिन की समाप्ति के पश्चात्, जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार विद्यमान है, उसके ऐसे भाग के संदाय की मांग करते हुए, जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार विद्यमान है, पंजीकृत धारक को उसके अंश के तत्समय या उसके हकदार व्यक्ति को उसकी मृत्यु या दिवाला के कारण दिया गया है।

(i) ऐसी किसी भी बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए, बोर्ड किसी व्यक्ति को उसके खरीदार को बेचे गए शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
(ii) क्रेता को ऐसे किसी भी हस्तांतरण में शामिल शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
(iii) क्रेता क्रय राशि के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा, और न ही बिक्री के संदर्भ में कार्यवाही में किसी भी अनियमितता या अमान्यता से शेयरों के लिए उसका शीर्षक प्रभावित होगा।
(i) बिक्री की आय कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी और राशि के ऐसे हिस्से के भुगतान में लागू की जाएगी जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार मौजूद है जो वर्तमान में देय है।
(ii) अवशेष, यदि कोई हो, बिक्री से पहले शेयरों पर मौजूद राशियों के लिए एक समान ग्रहणाधिकार के अधीन, वर्तमान में देय नहीं है, बिक्री की तारीख को शेयरों के हकदार व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।
शेयरों की मांग
(i) बोर्ड समय-समय पर सदस्यों से उनके शेयरों पर अदा न किए गए किसी भी धन (चाहे शेयरों के नाममात्र मूल्य के कारण या प्रीमियम के माध्यम से) के संबंध में गांग कर सकता है, न कि निश्चित समय पर देय किए गए आवंटन की शर्तों से: बशर्ते कि कोई मांग शेयर के नाममात्र मूल्य के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी या तारीख से एक महीने से कम समय पर देय नहीं होगी। अंतिम पूर्ववर्ती मांग के भुगतान के लिए निर्धारित किया गया।
(ii) प्रत्येक सदस्य, समय या समय और भुगतान के स्थान को निर्दिष्ट करते हुए कम से कम चौदह दिनों की सूचना प्राप्त करने के अधीन, कंपनी को उस समय या समय और स्थान पर उसके शेयरों पर बुलाई गई राशि भुगतान करेगा, जो इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है,
(iii) बोर्ड के विवेक पर एक मांग को रद्द या स्थगित किया जा सकता है।
एक मांग को उस समय किया गया माना जाएगा जब मांग के बोर्ड का प्रस्तावपारित किया गया था और किश्तों द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।
किसी शेयर के संयुक्त धारक संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उसके संबंध में सभी मांगों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
(i) यदि किसी शेयर के संबंध में मांग की गई राशि का भुगतान उसके भुगतान के लिए नियत दिन से पहले या उस दिन नहीं किया जाता है, तो वह व्यक्ति जिससे राशि देय है, उसके भुगतान के लिए नियत दिन से लेकर वास्तविक भुगतान के समय तक दस प्रतिशत प्रति वर्ष या इतनी कम दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, यदि कोई हो, जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है।
(ii) बोर्ड पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऐसे किसी भी ब्याज के भुगतान को माफ करने के लिए स्वतंत्र होगा।
(i) कोई भी राशि जो किसी शेयर के निर्गम की शर्तों के अनुसार आबंटन पर या किसी निश्चित तिथि पर देय हो जाती है, चाहे वह शेयर के नाममात्र मूल्य के कारण हो या प्रीमियम के माध्यम से, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, विधिवत की गई मांग मानी जाएगी और उस तारीख को देय होगी जिस पर जारी करने की शर्तों से ऐसी राशि देय हो जाती है। (ii) ऐसी राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, ब्याज और व्यय, जब्ती या अन्यथा के भुगतान के बारे
में इन विनियमों के सभी प्रासंगिक प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसे कि ऐसी राशि विधिवत की गई और

	अधिसूचित मांग के आधार पर देय हो गई हो।
	बोर्ड-(क) यदि वह ठीक समझे, तो अपने द्वारा धारित किसी शेयर पर अवांछित और अवैतनिक धन राशि के सभी या किसी भाग को अग्रिम करने के इच्छुक किसी सदस्य से प्राप्त कर सकेगा; और (ख) इस प्रकार अग्रिम सभी या किन्हीं धन पर(जब तक वही नहीं, किंतु ऐसे अग्रिम के लिए, वर्तमान में देय न हो) ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान कर सकेगा, जब तक कि सामान्य बैठक में कम्पनी अन्यथा निदेश न दे, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष, जिस पर बोर्ड और अग्रिम राशि का भुगतान करने वाले सदस्य के बीच सहमति हो।
	शेयरों का हस्तांतरण
	(i) कंपनी में किसी भी शेयर के हस्तांतरण का साधन हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती दोनों द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया जाएगा। (ii) अंतरणकर्ता को तब तक शेयर का धारक माना जाएगा जब तक कि हस्तांतरिती का नाम उसके संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है।
	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर सकता है- (क) किसी शेयर का अंतरण, पूर्णतया सशुल्क अंश न होने के नाते, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका वे अनुमोदन नहीं करते हैं; या (ख) शेयरों का कोई हस्तांतरण जिस पर कंपनी का ग्रहणाधिकार है।
	बोर्ड अंतरण के किसी लिखत को मान्यता देने से इनकार कर सकता है जब तक कि- (क) अंतरण का लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में यथा विहित प्रारूप में न हो; (ख) अंतरण के लिखत के साथ उन शेयरों का प्रमाण-पत्र होता है जिनसे वह सम्बन्धित है, और ऐसे अन्य साक्ष्य जो बोर्ड को अन्तरण करने के लिए अन्तरक के अधिकार को दर्शाने के लिए यथोचित रूप से अपेक्षित हों; और (ग) हस्तांतरण का साधन शेयरों के केवल एक वर्ग के संबंध में है।
	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिनों का पिछला नोटिस देने पर, स्थानान्तरण का पंजीकरण ऐसे समय पर और ऐसी अवधियों के लिए निलंबित किया जा सकता है जो बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे:
	परन्तु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय तीस दिनों से अधिक या किसी वर्ष में कुल पैंतालीस दिनों से अधिक के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।
	शेयरों का प्रसारण
	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उत्तरजीवी या बचे हुए जहां सदस्य एक संयुक्त धारक था, और उसका नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि जहां वह एकमात्र धारक था, कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे जिनके पास शेयरों में उनके हित के लिए कोई शीर्षक है
	(ii) खंड (i) की कोई बात, किसी मृत संयुक्त धारक की संपत्ति को किसी ऐसे शेयर के संबंध में किसी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित की गई थी।
	(i) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन के परिणामस्वरूप किसी शेयर का हकदार होने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा ठीक से अपेक्षित हों और इसके बाद के उपबंध के अधीन रहते हुए, या तो निर्वाचित कर सकेगा- (क) स्वयं को शेयर धारक के रूप में पंजीकृत करने के लिए; या (ख) मृतक या दिवालिया सदस्य के रूप में शेयर का ऐसा हस्तांतरण करने के लिए। (ii) बोर्ड को, किसी भी मामले में, पंजीकरण को अस्वीकार करने या निलंबित करने का वही अधिकार होगा, जैसा कि उसके पास होता, यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु या दिवाला से पहले शेयर हस्तांतरित किया होता।
	(i) यदि ऐसा हकदार व्यक्ति स्वयं शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत होने का चुनाव करेगा, तो वह कंपनी को उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में एक नोटिस देगा या भेजेगा जिसमें कहा जाएगा कि वह ऐसा चुनता है।

	(ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति शेयर को हस्तांतरित करने का चुनाव करेगा, तो वह शेयर के हस्तांतरण को निष्पादित करके अपने निर्वाचन की गवाही देगा।
	(iii) हस्तांतरण के अधिकार और शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित इन विनियमों की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान पूर्वोक्त ऐसे किसी भी नोटिस या हस्तांतरण पर लागू होंगे जैसे कि सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुआ था और नोटिस या हस्तांतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हस्तांतरण था।
	धारक की मृत्यु या दिवालियापन के कारण किसी शेयर का हकदार बनने वाला व्यक्ति उसी लाभांश और अन्य लाभों का हकदार होगा, जिसके लिए वह हकदार होगा यदि वह शेयर का पंजीकृत धारक था, सिवाय इसके कि वह शेयर के संबंध में सदस्य के रूप में पंजीकृत होने से पहले नहीं होगा, कंपनी की बैठकों के संबंध में सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए इसके संबंध में हकदार हो:
	परन्तु बोर्ड किसी भी समय ऐसे किसी व्यक्ति को स्वयं पंजीकृत होने या शेयर अंतरित करने के लिए निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना दे सकेगा और यदि नब्बे दिनों के भीतर नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड तत्पश्चात शेयर के संबंध में देय सभी लाभांशों, बोनसों या अन्य धन राशियों के संदाय को रोक सकेगा, जब तक नोटिस की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है।
	एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में- (i) एकमात्र सदस्य की मृत्यु पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति कंपनी द्वारा सदस्य के सभी शेयरों के शीर्षक के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति होगा;
	(ii) सदस्य की मृत्यु के मामले में ऐसे शेयरों का हकदार बनने पर नामांकित व्यक्ति को कंपनी के बोर्ड द्वारा ऐसी घटना के बारे में सूचित किया जाएगा;
	(iii) ऐसा नामांकित व्यक्ति उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और देनदारियों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार या उत्तरदायी था;
	(iv) सदस्य बनने पर, ऐसा नामांकित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की पूर्व लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को नामित करेगा, जो सदस्य की मृत्यु की स्थिति में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।
	शेयरों की जब्ती
	यदि कोई सदस्य भुगतान के लिए नियत दिन किसी मांग, या मांग की किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बोर्ड उसके बाद किसी भी समय ऐसे समय के दौरान जब मांगी या किस्त का कोई हिस्सा बकाया रहता है, उसे एक नोटिस दे सकता है, जिसमें मांग या किस्त के इतने भुगतान की आवश्यकता होती है, जैसा कि भुगतान नहीं किया गया है, किसी भी ब्याज के साथ जो अर्जित हो सकता है।
	उपरोक्त नोटिस-
	(क) एक और दिन का नाम बताइए (नोटिस की सेवा की तारीख से चौदह दिनों की समाप्ति से पहले नहीं) जिस पर या जिससे पहले नोटिस द्वारा अपेक्षित भुगतान किया जाना है; और
	(ख) यह बता सकता है कि, इस प्रकार नामित दिन पर या उससे पहले भुगतान न करने की स्थिति में, जिन शेयरों के संबंध में मांग की गयी थी, वे जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
	यदि पूर्वोक्त ऐसी किसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कोई भी हिस्सा जिसके संबंध में नोटिस दिया गया है, उसके बाद किसी भी समय, नोटिस द्वारा अपेक्षित भुगतान किए जाने से पहले, उस आशय के लिए बोर्ड के एक संकल्प द्वारा जब्त किया जा सकता है।

	(i) जब्त किए गए शेयर को ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से बेचा या अन्यथा निपटाया जा सकेगा जो बोर्ड ठीक समझे।
	(ii) पूर्वोक्त के अनुसार बिक्री या निपटान से पहले किसी भी समय, बोर्ड ऐसी शर्तों पर जब्ती को रद्द कर सकता है जो वह ठीक समझे।
	(i) कोई व्यक्ति जिसके शेयर जब्त किए गए शेयरों के संबंध में सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन जब्ती के बावजूद, कंपनी को उन सभी धन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेगा, जो जब्ती की तारीख में, वर्तमान में शेयरों के संबंध में कंपनी को देय थे।
	(ii) ऐसे व्यक्ति की देयता समाप्त हो जाएगी यदि और जब कंपनी को शेयरों के संबंध में ऐसे सभी धन से पूर्ण भुगतान प्राप्त होगा।
	(i) लिखित रूप में एक विधिवत सत्यापित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक या सचिव है, और घोषणा में उल्लिखित तारीख को कंपनी में एक हिस्सा विधिवत जब्त कर लिया गया है, शेयर के हकदार होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ उसमें बताए गए तथ्यों का निर्णायक सबूत होगा;
	(ii) कंपनी किसी भी बिक्री या निपटान पर शेयर के लिए दिया गया विचार, यदि कोई हो, प्राप्त कर सकती है और उस व्यक्ति के पक्ष में शेयर के हस्तांतरण को निष्पादित कर सकती है जिसे शेयर बेचा या निपटाया जाता है;
	(iii) हस्तांतरिती को उसके बाद शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा; और
	(iv) हस्तांतरणकर्ता क्रय धन के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा, यदि कोई हो, और न ही शेयर की जब्ती, बिक्री या निपटान के संदर्भ में कार्यवाही में किसी भी अनियमितता या अमान्यता से शेयर के लिए उसका हक प्रभावित होगा।
	जब्ती के रूप में इन विनियमों के प्रावधान किसी भी राशि का भुगतान न करने के मामले में लागू होंगे, जो एक शेयर जारी करने की शर्तों से, एक निश्चित समय पर देय हो जाता है, चाहे शेयर के नाममात्र मूल्य के कारण या प्रीमियम के माध्यम से, जैसे कि विधिवत किए गए और अधिसूचित मांग के आधार पर देय हो।
	पूंजी में परिवर्तन
	कंपनी, समय-समय पर, साधारण संकल्प द्वारा ऐसी राशि द्वारा शेयर पूंजी में वृद्धि कर सकती है, जिसे ऐसी राशि के शेयरों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि संकल्प में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
	धारा 61 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी, साधारेण संकल्प द्वारा, -
	(क) अपने सभी या किसी भी शेयर पूंजी को अपने मौजूदा शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों में समेकित और विभाजित कर सकेगा;
	(ख) अपने सभी या किसी भी पूरी तरह से चुकता शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकता है, और उस स्टॉक को किसी भी संप्रदाय के पूरी तरह से चुकता शेयरों में फिर से परिवर्तित कर सकता है;
	(ग) ज्ञापन द्वारा नियत की तुलना में अपने मौजूदा शेयरों या उनमें से किसी को भी छोटी राशि के शेयरों में उप-विभाजित कर सकेगा;
	(घ) ऐसे शेयरों को रद्द कर सकेगा जो संकल्प पारित होने की तारीख को किसी व्यक्ति द्वारा लिए जाने या लेने के लिए सहमत नहीं हुए हैं।

		जहां शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित किया जाता है, –
		(क) स्टॉक धारक उसी या उसके किसी भाग को उसी रीति से और उन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए अंतरित कर सकेगा जिनके अधीन, जिन शेयरों से स्टॉक उत्पन्न हुआ था, वे रूपांतरण से पहले या उसके निकट के रूप में परिस्थितियां स्वीकार कर सकती हैं: बशर्ते कि बोर्ड समय-समय पर, हस्तांतरणीय स्टॉक की न्यूनतम राशि तय करें, इसलिए, हालांकि, ऐसा न्यूनतम उन शेयरों की नाममात्र राशि से अधिक नहीं होगा जिनसे स्टॉक उत्पन्न हुआ था।
		(ख) स्टॉक धारकों को, उनके द्वारा धारित स्टॉक की राशि के अनुसार, लाभांश, कंपनी की बैठकों में मतदान और अन्य मामलों के संबंध में समान अधिकार, विशेषाधिकार और लाभ होंगे, जैसे कि उनके पास वे शेयर होंगे जिनसे स्टॉक उत्पन्न हुआ था; लेकिन ऐसा कोई विशेषाधिकार या लाभ (कंपनी के लाभांश और मुनाफे में भागीदारी को छोड़कर और समापन पर परिसंपत्तियों में) स्टॉक की राशि द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा, जो शेयरों में मौजूद होने पर, उस विशेषाधिकार या लाभ को प्रदान नहीं करेगा।
		(ग) कंपनी के ऐसे विनियम जो प्रदत्त शेयरों पर लागू होते हैं, स्टॉक पर लागू होंगे और उन विनियमों में "शेयर" और "शेयरधारक" शब्दों में क्रमशः "स्टॉक" और "स्टॉक-होल्डर" शामिल होंगे।
		कंपनी, विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी तरीके से और कानून द्वारा अपेक्षित किसी भी घटना के साथ और उसके अधीन, -(क) अपनी शेयर पूंजी; (ख) किसी भी पूंजी मोचन आरक्षित खाते को कम कर सकती है; या (ग) कोई शेयर प्रीमियम खाता।
		मुनाफे का पूंजीकरण
		(i) कंपनी, आम बैठक में, बोर्ड की सिफारिश पर, संकल्प कर सकती है-
		(क) कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी के क्रेडिट के लिए, या लाभ और हानि खाते के क्रेडिट के लिए, या अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध राशि के किसी भी हिस्से को पूंजीकृत करना वांछनीय है; और
		(ख) तदनुसार ऐसी राशि उन सदस्यों के बीच खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से वितरण के लिए स्वतंत्र की जाए, जो इसके हकदार होंगे, यदि इसे लाभांश के रूप में और समान अनुपात में वितरित किया जाता है।
		(ii) उपरोक्त राशि का भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा, लेकिन खंड (iii) में निहित प्रावधान के अधीन, या तो लागू किया जाएगा- (क) क्रमशः ऐसे सदस्यों द्वारा धारित किसी भी शेयर पर अवैतनिक किसी भी राशि का भुगतान करना; (ख) आवंटित और वितरित किए जाने वाले कंपनी के पूर्ण, जारी किए गए शेयरों का भुगतान करना, (ग) आंशिक रूप से उपखंड (क) में निर्दिष्ट तरीके से और आंशिक रूप से उप-खंड (घ) में निर्दिष्ट तरीके से एक प्रतिभूति प्रीमियम खाता और एक पूंजी मोचन आरक्षित खाता, इस विनियमन ;(घ) के प्रयोजनों के लिए, कंपनी के सदस्यों को पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए जाने वाले अनमेज्ड शेयरों के भुगतान में लागू किया जा सकता है; (ङ) इस विनियमन के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प के लिए प्रभाव बोर्ड से होगा।
		<ul> <li>(i) जब भी पूर्वोक्त के रूप में ऐसा संकल्प पारित किया जाएगा, तो बोर्ड-</li> <li>(क) अविभाजित लाभों के सभी विनियोगों और अनुप्रयोगों को इस प्रकार पूंजीकृत करने के लिए हल किया जाएगा, और पूर्ण भुगतान किए गए शेयरों के सभी आवंटन और मुद्दे यदि कोई हों; और (ख) आम तौर पर उन सभी कार्यों और चीजों को लागू करने के लिए आवश्यक हैं।</li> <li>(ii) बोर्ड के पास अधिकार होगा-</li> <li>(क) अंशों में वितरित किए जाने वाले शेयरों के मामले के लिए भिन्नात्मक प्रमाणपत्र जारी करके या नकद में भुगतान करके या अन्यथा, जो वह ठीक समझे, ऐसे उपबंध करना; और (ख) किसी भी व्यक्ति को उसके हकदार सभी सदस्यों की ओर से, कंपनी के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए, क्रमशः उन्हें आवंटन के लिए प्रदान करने के लिए, किसी भी आगे के शेयरों के पूरी तरह से चुकता के रूप में</li> </ul>

	जमा किया गया है, जिसके लिए वे इस तरह के पूंजीकरण पर हकदार हो सकते हैं, या जैसा भी मामला हो,
	उनकी ओर से कंपनी द्वारा भुगतान के लिए, लाभ के अपने संबंधित अनुपात के आवेदन द्वारा पूंजीकृत होने का संकल्प लिया गया, राशि या उनके मौजूदा शेयरों पर अवैतनिक शेष राशियों का कोई हिस्सा;
	(iii) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई भी करार ऐसे सदस्यों पर प्रभावी और बाध्यकारी होगा।
	शेयरों की वापसी खरीद
	इन आर्टिकलों में किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 68 से 70 के उपबंधों और अधिनियम के किसी अन्य लागू उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए, कम्पनी अपने स्वयं के शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद कर सकती है।
	आम बैठकें
	वार्षिक आम बैठक को छोड़कर अन्य सभी आम बैठकों को असाधारण आम बैठक कहा जाएगा।
	(i) बोर्ड, जब भी वह ठीक समझे, असाधारण आम बैठक बुला सकता है।
	(ii) यदि किसी भी समय कार्य करने में सक्षम निदेशक जो कोरम बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में हैं, भारत के भीतर नहीं हैं, तो कंपनी का कोई भी निदेशक या किन्हीं दो सदस्य उसी तरीके से एक असाधारण आम बैठक बुला सकते हैं, जैसा कि लगभग संभव हो, जिसमें बोर्ड द्वारा ऐसी बैठक बुलाई जा सकती है।
	आम बैठकों में कार्यवाही
	(i) किसी भी आम बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक के कार्य के लिए आगे बढ़ने के समय सदस्यों का कोरम मौजूद न हो।
	(ii) यहां अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, आम बैठकों के लिए कोरम धारा 103 में उपबंधित के अनुसार होगा।
	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी की प्रत्येक आम बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।
	यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है, या यदि वह बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय के पंद्रह मिनट के
	भीतर उपस्थित नहीं है या बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो उपस्थित निदेशक अपने सदस्यों में से एक को बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे।
	यदि किसी बैठक में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं है या यदि बैठक आयोजित
	करने के लिए नियत समय के पंद्रह मिनट के भीतर कोई निदेशक उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित सदस्य बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपने सदस्यों में से एक का चयन करेंगे।
	एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में-
	(i) कंपनी की आम बैठकों में पारित किए जाने के लिए अपेक्षित संकल्प को पारित माना जाएगा यदि संकल्प एकमात्र सदस्य द्वारा सहमत हो जाता है और कंपनी को सूचित किया जाता है और धारा 118 के तहत बनाए गए कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है;
	(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका पर सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें और तारीख डाली किया जाएगी; (iii) संकल्प एकमात्र सदस्य द्वारा ऐसे कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।
	बैठक स्थगित

o	7
ō	/
-	•

	(ii) जिस बैठक से स्थगन हुआ, उसमें अधूरे रह गए कार्य के अलावा किसी भी स्थगित बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
	(iii) जब कोई बैठक तीस दिन या उससे अधिक के लिए स्थगित की जाती है, तो स्थगित बैठक की सूचना मूल बैठक के मामले की तरह दी जाएगी।
	(iv) पूर्वोक्त के सिवाय, और जैसा कि अधिनियम की धारा 103 में उपबंध किया गया है, स्थगन या किसी स्थगित बैठक में किए जाने वाले कार्य की कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।
	मतदान का अधिकार
	किसी भी वर्ग या शेयरों के वर्गों से जुड़े समय के लिए किसी भी अधिकार या प्रतिबंध के अध्यधीन, -
	(क) हाथ दिखाने पर, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा; और (ख) मतदान होने पर, सदस्यों के मतदान का अधिकार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।
	एक सदस्य धारा 108 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैठक में अपने वोट का प्रयोग कर सकता है और केवल एक बार मतदान करेगा।
	(i) संयुक्त धारकों के मामले में, वरिष्ठ का वोट जो वोट देता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या प्रॉक्सी द्वारा, अन्य संयुक्त धारकों के वोटों के बहिष्कार के लिए स्वीकार किया जाएगा।
	(ii) इस प्रयोजन के लिए, वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्शाए गए हैं।
	अस्वस्थ मन का एक सदस्य, या जिसके संबंध में पागलपन में अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, अपनी समिति या अन्य कानूनी अभिभावक द्वारा मतदान कर सकता है, चाहे वह हाथ दिखाने पर हो या मतदान पर, और ऐसी कोई समिति या अभिभावक मतदान पर प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकता है।
	इसके अलावा कोई भी कार्य जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान होने तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
	कोई भी सदस्य किसी भी आम बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि कंपनी में शेयरों के संबंध में उसके द्वारा वर्तमान में देय सभी मांग या अन्य राशियों का भुगतान नहीं किया जाता है
	(i) किसी भी मतदाता की योग्यता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक के, जिस पर आपत्ति जताई गई, वोट दी गई है या प्रस्तुत की गई है, और ऐसी बैठक में अस्वीकृत नहीं किया गया प्रत्येक वोट सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।
	(ii) नियत समय में की गई ऐसी कोई भी आपत्ति बैठक के अध्यक्ष को भेजी जाएगी, जिसका विनिश्चय अंतिम और निर्णायक होगा।
	प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।
	प्रॉक्सी के एक साधन की शर्तों के अनुसार दिया गया वोट वैध होगा, प्रिंसिपल की पिछली मृत्यु या पागलपन या प्रॉक्सी या प्राधिकरण के निरसन के बावजूद जिसके तहत प्रॉक्सी निष्पादित किया गया था, या शेयरों के हस्तांतरण जिसके संबंध में प्रॉक्सी दिया गया है: बशर्ते कि ऐसी मृत्यु के लिखित रूप में कोई सूचना न हो, पागलपन, निरसन या हस्तांतरण कंपनी द्वारा बैठक शुरू होने या स्थगित बैठक से पहले अपने कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा, जिस पर प्रॉक्सी का उपयोग किया जाता है।

	प्रतिनिधि (प्रॉक्सी)
	प्रतिनिधि और पावर-ऑफ-अटॉर्नी की शक्ति या अन्य प्राधिकारी, यदि कोई हो, जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या उस शक्ति या प्राधिकरण की नोटरीकृत प्रतिलिपि नियुक्त करने वाला साधन, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आयोजित करने या स्थगित बैठक आयोजित करने के समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाएगा, जिस पर साधन में नामित व्यक्ति मतदान करने का प्रस्ताव करता है, या, एक मतदान के मामले में, मतदान के लिए नियत समय से कम से कम 24 घंटे पहले; और डिफ़ॉल्ट रूप से प्रॉक्सी के साधन को वैध नहीं माना जाएगा।
	प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला एक व्यक्ति धारा 105 के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रपत्र में होगा।
	प्रतिनिधि के एक साधन की शर्तों के अनुसार दिया गया वोट मान्य होगा, प्रिंसिपल की पिछली मृत्यु या पागलपन या प्रतिनिधि या उस प्राधिकरण के निरसन के बावजूद जिसके तहत प्रतिनिधि निष्पादित किया गया था, या शेयरों का हस्तांतरण जिसके संबंध में प्रतिनिधि दिया गया है: बशर्ते कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, निरसन या स्थानांतरण की लिखित सूचना कंपनी को बैठक शुरू होने या स्थगित बैठक से पहले अपने कार्यालय में प्राप्त नहीं होगी, जिस पर प्रतिनिधि का उपयोग किया जाता है।
	निदेशक मंडल
	निदेशकों की संख्या और प्रथम निदेशकों के नाम ज्ञापन के अभिदाताओं या उनमें से अधिकांश द्वारा लिखित रूप में निर्धारित किए जाएंगे।
	(i) निदेशकों का पारिश्रमिक, जहां तक इसमें मासिक भुगतान शामिल है, दिन-प्रतिदिन अर्जित माना जाएगा।
	(ii) अधिनियम के अनुसरण में उन्हें देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त, निदेशकों को उनके द्वारा किए गए सभी यात्रा, होटल और अन्य व्यय का भुगतान किया जा सकेगा- (क) निदेशक मंडल या उसकी किसी समिति या कंपनी की सामान्य बैठकों की बैठकों में भाग लेने और लौटने में; या (ख) कंपनी के व्यवसाय के संबंध में।
	बोर्ड कंपनी को प्रारंभ करने और पंजीकृत करने में किए गए सभी खर्चों का भुगतान कर सकता है।
	कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने के संबंध में धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकती है; और बोर्ड (उस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए) ऐसे विनियम बना सकेगा और बदल सकेगा जो वह ऐसे किसी रजिस्टर को रखने का सम्मान करते हुए ठीक समझे।
	सभी चेक, वचन पत्र, ड्राफ्ट, <i>हुंडी</i> , विनिमय बिल और अन्य परक्राम्य लिखत, और कंपनी को भुगतान किए गए धन के लिए सभी रसीदें, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसा कि बोर्ड समय-समय पर संकल्प द्वारा निर्धारित करेगा, हस्ताक्षरित, आहरित, स्वीकार किए जाते हैं, पृष्ठांकित या अन्यथा निष्पादित किए जाएंगे।
	बोर्ड या उसकी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित प्रत्येक निदेशक उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तक में अपने नाम पर हस्ताक्षर करेगा।
	(i) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी, बशर्ते निदेशकों और अतिरिक्त निदेशकों की संख्या किसी भी समय आर्टिकलों द्वारा बोर्ड के लिए निर्धारित अधिकतम पद संख्या से अधिक न हो।
	(ii) ऐसा व्यक्ति कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद धारण करेगा, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उस बैठक में निदेशक के रूप में कंपनी द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

0	n
ō	9

	बोर्ड की कार्यवाही
	(i) निदेशक मंडल कार्य संचालन के लिए बैठक कर सकता है, अपनी बैठकों को स्थगित कर सकता है और अन्यथा विनियमित कर सकता है, जैसा कि वह ठीक समझे।
	(ii) निदेशक, और निदेशक की मांग पर प्रबंधक या सचिव, किसी भी समय, बोर्ड की बैठक बुला सकता है।
	(i) अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, बोर्ड की किसी भी बैठक में उठने वाले प्रश्नों का विनिश्चय मतों के बहुमत से किया जाएगा। (ii) मतों की समानता की स्थिति में, बोर्ड के अध्यक्ष, यदि कोई हों, के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।
	(॥) मेला का लगागला का रियाल में, बाड के जव्यपा, याद कार हो, के वाल पूर्लरा या गिंगायक मेल होगा। (
	काफी समय से कार्यरत निदेशक बोर्ड में किसी भी रिक्ति के बावजूद कार्य कर सकते हैं; लेकिन, यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड की बैठक के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित कोरम से कम हो जाती है, तब तक काफी समय से कार्यरत निदेशक या निदेशक कोरम के लिए निर्धारित निदेशकों की संख्या बढ़ाने या कंपनी की आम बैठक बुलाने के उद्देश्य से कार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
	(i) बोर्ड अपनी बैठकों के अध्यक्ष का चुनाव कर सकता है और उस अवधि का निर्धारण कर सकता है जिसके लिए उसे पद धारण करना है।
	(ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है, या यदि किसी बैठक में अध्यक्ष बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय के पांच मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित निदेशक बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपनी संख्या में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
	(i) बोर्ड, अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपनी किन्हीं शक्तियों को ऐसे सदस्य या उसके निकाय के सदस्यों से मिलकर बनी समितियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।
	(ii) इस प्रकार गठित कोई समिति, प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड द्वारा उस पर अधिरोपित किए जा सकने वाले किसी विनियमों का अनुपालन करेगी।
	(i) एक समिति अपनी बैठकों के अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है।
	(ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है, या यदि किसी बैठक में अध्यक्ष बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय के पांच मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।
	(i) समिति बैठक कर सकती है और यदि वह ठीक समझे तो इसे स्थगित कर सकती है।
	(ii) समिति की किसी भी बैठक में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक वोट होगा।
	बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक में या निदेशक के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कृत्य, इसके बावजूद कि बाद में यह पता लगाया जा सकता है कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक या पूर्वोक्त के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कुछ दोष था, या कि वे या उनमें से किसी को भी अयोग्य ठहराया गया था, ऐसा मान्य हो जैसे कि प्रत्येक ऐसे निदेशक या ऐसे व्यक्ति को विधिवत नियुक्त किया गया था और निदेशक बनने के लिए योग्य था।
	अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, बोर्ड या समिति की बैठक की सूचना प्राप्त करने के लिए तत्समय हकदार बोर्ड या समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में संकल्प वैध और प्रभावी

	होगा जैसेकि वह बोर्ड या समिति की बैठक में पारित किया गया हो, विधिवत बुलाया और आयोजित किया गया।
	एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में-
	(i) जहां कंपनी के पास केवल एक निदेशक है, बोर्ड की बैठक में लेनदेन किए जाने वाले सभी व्यवसायों को धारा 118 के तहत बनाई गई कार्यवृत्त बुक में दर्ज किया जाएगा;
	(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका पर निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी;
	(iii) संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी
	अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, -
	(i) बोर्ड द्वारा ऐसी अवधि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कम्पनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर की जा सकेगी जो वह ठीक समझे; और इस प्रकार नियुक्त किसी भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को बोर्ड के संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है;
	(ii) एक निदेशक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है
	अधिनियम या इन विनियमों का एक प्रावधान जो निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा या उसके लिए किए जाने वाले किसी काम को करने की आवश्यकता या प्राधिकृत करता है, निदेशक के रूप में और या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में या उसके स्थान पर कार्य करने वाले एक ही व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा किए जाने से संतुष्ट नहीं होगा।
	मुहर
	(i) बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रावधान करेगा।
	(ii) कम्पनी की मुहर बोर्ड के संकल्प के प्राधिकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड की समिति के प्राधिकार के सिवाय और कम से कम दो निदेशकों और सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति को छोड़कर नहीं लगाई जाएगी जिसे बोर्ड इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे; और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति पूर्वोक्त प्रत्येक उपकरण पर हस्ताक्षर करेंगे जिस पर कंपनी की मुहर उनकी उपस्थिति में लगाई गई है।
	लाभांश और आरक्षित
	कंपनी आम बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है, लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा।
	धारा 123 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बोर्ड समय-समय पर सदस्यों को ऐसे अंतरिम लाभांश का भुगतान कर सकता है जो कंपनी के मुनाफे से उचित प्रतीत होते हैं।
	(i) बोर्ड, किसी लाभांश की सिफारिश करने से पहले, कंपनी के लाभ में से ऐसी रकमें अलग रख सकेगा जो वह आरक्षित या भंडार के रूप में ठीक समझे, जो बोर्ड के विवेक पर, किसी भी उद्देश्य के लिए लागू होगी, जिस पर कंपनी के लाभ को ठीक से लागू किया जा सकता है, जिसके लिए आकस्मिकताओं को पूरा करने या लाभांश को बराबर करने के प्रावधान शामिल हैं; और इस तरह के आवेदन लंबित होने पर, समान विवेक पर, या तो कंपनी के व्यवसाय में नियोजित किया जा सकता है या ऐसे निवेशों (कंपनी के शेयरों के अलावा) में

0	1
9	т
-	_

	निवेश किया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड समय-समय पर, ठीक समझे।
	(ii) बोर्ड किसी भी लाभ को आगे बढ़ा सकता है जिसे वह आरक्षित के रूप में अलग किए बिना विभाजित न करना आवश्यक समझे।
	(i) लाभांश के रूप में विशेष अधिकारों वाले शेयरों के हकदार व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन, सभी लाभांश घोषित किए जाएंगे और उन राशियों के अनुसार भुगतान किए जाएंगे या जमा किए जाएंगे, जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, लेकिन यदि और जब तक कंपनी के किसी भी शेयर पर कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता है, लाभांश घोषित किया जा सकता है और शेयरों की राशि के अनुसार भुगतान किया जा सकता है।
	(ii) मांग के अग्रिम में किसी शेयर पर भुगतान की गई या जमा की गई कोई भी राशि इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए नहीं मानी जाएगी जैसा कि शेयर पर भुगतान किया गया है।
	(iii) सभी लाभांशों को उस अवधि के किसी भी हिस्से या भाग के दौरान शेयरों पर भुगतान की गई या जमा की गई राशियों के आनुपातिक रूप से विभाजित और भुगतान किया जाएगा, जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है; लेकिन यदि कोई शेयर इस शर्त पर जारी किया जाता है कि यह एक विशेष तिथि से लाभांश के लिए रैंक करेगा तो ऐसा शेयर तदनुसार लाभांश के लिए रैंक करेगा।
	बोर्ड किसी भी सदस्य को देय लाभांश से सभी राशियों, यदि कोई हो, को मांग के कारण या अन्यथा कंपनी के शेयरों के संबंध में कंपनी को देय सभी राशियों, यदि कोई हो, में कटौती कर सकता है।
	(i) शेयरों के संबंध में नकद में देय किसी भी लाभांश, ब्याज या अन्य धन का भुगतान धारक के पंजीकृत पते पर निर्देशित डाक के माध्यम से भेजे गए चेक या वारंट द्वारा किया जा सकता है या संयुक्त धारकों के मामले में, उस संयुक्त धारक के पंजीकृत पते पर, जिसका नाम पहले सदस्यों के रजिस्टर पर है, या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पते पर जो धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में निदेशित कर सकते हैं।
	(ii) ऐसा प्रत्येक चेक या वारंट उस व्यक्ति के आदेश पर देय होगा जिसे यह भेजा गया है।
	शेयर के दो या दो से अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे शेयर के संबंध में देय किसी भी लाभांश, बोनस या अन्य धन के लिए प्रभावी रसीद दे सकता है।
	घोषित किए गए किसी भी लाभांश की सूचना अधिनियम में उल्लिखित तरीके से उसमें साझा करने के हकदार व्यक्तियों को दी जाएगी।
	कोई लाभांश कंपनी के खिलाफ ब्याज वहन नहीं करेगा।
	खातें
	(i) बोर्ड समय-समय पर यह निर्धारित करेगा कि क्या और किस सीमा तक और किस समय और स्थानों पर और किन शर्तों या विनियमों के तहत, कंपनी या उनमें से किसी के खाते और बहियां निदेशक न होने वाले सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुली होंगी।
	(ii) किसी भी सदस्य (निदेशक नहीं होने के नाते) को कंपनी के किसी भी खाते या बहि या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि कानून द्वारा प्रदत्त या बोर्ड द्वारा या कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में अधिकृत किया गया हो।

#### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

<b></b>	
	समापन
	अधिनियम के अध्याय XX के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए-
	(i) यदि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, तो परिसमापक, कंपनी के एक विशेष संकल्प की मंजूरी और अधिनियम द्वारा अपेक्षित किसी अन्य स्वीकृति के साथ, सदस्यों के बीच, कंपनी की परिसंपत्तियों के पूरे या किसी भी हिस्से में, विभाजित कर सकता है, चाहे वे एक ही प्रकार की संपत्ति से मिलकर बने हों या नहीं।
	(ii) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए परिसमापक ऐसा मूल्य निर्धारित कर सकेगा जो वह पूर्वोक्त के रूप में विभाजित की जाने वाली किसी संपत्ति पर उचित समझता है और यह निर्धारित कर सकता है कि सदस्यों या सदस्यों के विभिन्न वर्गों के बीच ऐसा विभाजन कैसे किया जाएगा।
	(iii) परिसमापक, समान स्वीकृति के साथ, योगदानकर्ताओं के लाभ के लिए ऐसे ट्रस्टों को ट्रस्टियों में ऐसी परिसंपत्तियों के पूरे या किसी भी हिस्से को निहित कर सकता है, यदि वह आवश्यक समझता है, लेकिन ताकि कोई सदस्य किसी भी शेयर या अन्य प्रतिभूतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर न हो, जिस पर कोई देयता है।
	्यनियर्मि
	क्षतिपूर्ति
	कंपनी के प्रत्येक अधिकारी को किसी भी कार्यवाही का बचाव करने में उसके द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के खिलाफ कंपनी की संपत्ति से क्षतिपूर्ति की जाएगी, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक, जिसमें निर्णय उसके पक्ष में दिया जाता है या जिसमें उसे बरी कर दिया जाता है या जिसमें अदालत या अधिकरण द्वारा उसे राहत दी जाती है।
	अन्य
L	

## अभिदाता का विवरण

क्र.सं.	अभिदाता का विवरण				
	नाम, पता, विवरण और व्यवसाय डीआईएन/पैन/पासपोर्ट स्थान डीएससी दिनांकित नंबर				
1.					
2					

		मेरे समक्ष हस्ताक्षर					
नाम उपसर्ग	ŕ	* गवाह का	* पता, विवरण और	*डीआइएन /पैन/पासपोर्ट	*स्थान	डीएससी	दिनांकित
(एसीए/एफसीए	ग/एसीएस/एसीएस/)	नाम	व्यवसाय	नंबर/सदस्यता संख्या			
एफसीएस/एसी	एमए/एफसीएमए)						
	( <b>\</b>						
	1 * 1						

## अनुलग्नक

प्रथम अभिदाता (ओं) शीट		अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुने	हटाना डाउनलोड
घोषणा				
संकल्प सं. ओर से यह घोषणा करता हूं वि	के अनुसरण में दिनांक के संस्था के अंतर्नियमों में निम्नलिखित सं	शोधन अपनाए गए हैं:		मैं निदेशक मंडल की
डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित	होने के लिए			
नाम				
पद डीआईएन			निदेशक	▼
डीएससी			डीएससी बॉक्स	
			सेव	सबमिट







3क(i) \*इक्विटी शेयर पूंजी

वर्गों की संख्या

#### इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण

शेयरों का वर्ग	प्राधिकृत पूंजी	अभिदत्त पूंजी
इक्विटी शेयरों की संख्या		
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)		

कुल राशि (आईएनआर में)	

3क (ii) \*अधिमानी शेयर पूंजी

वर्गों की संख्या

# अधिमानी शेयर पूंजी का विवरण

शेयरों का वर्ग	प्राधिकृत पूंजी	अभिदत्त पूंजी
अधिमानी शेयरों की संख्या		
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)		
कुल राशि (आईएनआर में)		

#### 3 ख \*सदस्यों की संख्या का विवरण

(क) सदस्यों की अधिकतम संख्या की प्रविष्टि करें	
(ख) प्रस्तावित कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या	
(ग) सदस्यों की संख्या	
(घ) प्रस्तावित कर्मचारी/कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की संख्या	

#### 4 क \* पत्राचार पता

\* पंक्ति ।

पंक्ति ॥

\* पिन कोड

\*क्षेत्र/इलाका

शहर\*

\*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

\*जिला

संपर्क विवरण: दूरभाष संख्या

संपर्क विवरण: मोबाइल नंबर

फ़ैक्स

कंपनी की ईमेल आईडी





4ख\* क्या पत्राचार के लिए पता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है **ि हां ि नहीं** *(यदि हाँ का चयन किया जाता है, तो कृपया अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विवरण प्रस्तुत करें* 

## अनुदैर्ध्य

अनुप्रस्थ

#### अनुलग्नक:

- एनओसी के साथ कार्यालय के पते का प्रमाण यदि लागू हो (हस्तांतरण पत्र/लीज विलेख/वाहन) किराए की रसीदों के साथ किराया समझौता;
- उपयोगिता बिलों की प्रतिलिपि (दो महीने से अधिक पुरानी नहीं);

4ग	*कंपनी	रजिस्ट्रार	के	कार्यालय	का	नाम	जिसमें	प्रस्तावित	कंपनी
पंजी	कृत की	जानी है							

#### 5. \*एमओए के प्रथम ग्राहकों और कंपनी के निदेशकों की संख्या

	मान्य डीआईएन होना	मान्य डीआईएन नहीं होना
(क) पहले अभिदाताओं की कुल संख्या		
(गैर-व्यक्तिगत + व्यक्तिगत)		
(ख) गैर-व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (ओं) की		
संख्या		
(ग) व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (ओं) सह		
निदेशक (कों) की संख्या		
(घ) निदेशकों की कुल संख्या निदेशक (कों)		
जो अभिदाता नहीं हैं + अभिदाता (ओं) सह		
निदेशक (कों) जैसा कि ऊपर पंक्ति संख्या		
3 में उल्लेख किया गया है)		

6. अभिदाता (आँ) सह निदेशकों के अलावा गैर-व्यक्तिगत अभिदाताओं/व्यक्तिगत अभिदाताओं का विवरण

6क \* गैर-व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (ओं) का विवरण

6क(i) इकाई की विशिष्टियाँ

\*श्रेणी

(कंपनी/विदेशी कंपनी/भारत के बाहर निगमित कंपनी निकाय कारपोरेट/अन्य)

\* कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन) या कोई अन्य पंजीकरण



प्री फिल-

संख्या	
* निकाय कारपोरेट का नाम	
पंजीकृत कार्यालय का पता या भारत में व्यापार का प्रमुख स्थान भारत के बाहर व्यापार का प्रमुख स्थान	न या
* पंक्ति ।	
पंक्ति ॥	
* देश	
* पिन कोड	
क्षेत्र/इलाका	
* शहर	
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
जिला	
* फोन (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ)	
फैक्स	
* कंपनी की ईमेल आईडी	
6क(ii) इकाई द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण	
निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) डिजिलॉकर से प्राप्त करें	ਧੀ फਿਕ-
*प्रथम नाम	
मध्य नाम	
*उप नाम	
* पिता का प्रथम नाम	
पिता का मध्य नाम	

* पिता का उपनाम	
* लिंग	
(पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)	
*जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
*राष्ट्रीयता	
आयकर- पैन	विवरण की जाँच करें
*जन्म स्थान (जिला एवं राज्य)	
* व्यवसाय का प्रकार	
(व्यवसाय/पेशेवर/सरकारी/रोजगार/निजी रोजगार/गृहिणी/छात्र/अन्य)	
* व्यवसाय का क्षेत्र	
* यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें	
*शैक्षिक योग्यता	
(प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक योग्यता/स्नातक डिग्री	
/स्नातकोत्तर डिग्री/डॉक्टरेट या उच्च/व्यावसायिक डिप्लोमा)	
यदि अन्य का चयन होता है तो कृपया निर्दिष्ट करें	

## वर्तमान पता

* पंक्ति ।	
पक्ति ॥	
* पंक्ति । पक्ति ॥ *देश	
* पिन कोड	
*क्षेत्र/इलाका	
*शहर	

Г

* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र				
जिला				
* फोन (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ)				
फ़ैक्स				
कंपनी की ई-मेल आईडी				
*पहचान प्रमाण (पहचानपत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)				
*आवासीय प्रमाण (पहचानपत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)				
*पहचान प्रमाण सं.				
*आवासीय प्रमाण सं.				
*पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करें(क) *पहचान	<b>का प्रमाण</b> अधिकतम MI	3 2	हटाएं	डाउनलोड
(ख) *आवासीय प्रमाण	अधिकतम MB 2	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड
शेयर पूंजी का विवरण				
कुल अभिदत्त शेयर पूंजी (आईएनआर में) इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण				
* वर्गों की संख्या				
<b>शेयरों का वर्ग</b> इक्विटी शेयरों की संख्या	अभिदत्त पूंर्ज	Ì		
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)				
कुल राशि (आईएनआर में)				

# वरीयता शेयर पूंजी का विवरण

\*वर्गों की संख्या

शेयरों का वर्ग	अभिदत्त पूंजी
वरीयता शेयरों की संख्या	
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर	
में)	
कुल राशि (आईएनआर में)	

0 मुझे शेयरों के अभिदान से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और इसे प्राप्त कर लिया गया है, और इसके साथ संलग्न है।

या

0 शेयरों के अभिदान से पहले मुझे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

6ख अभिदाता सह निदेशक (वैध डीआईएन वाले) के अलावा व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (ओं) का विवरण

\*निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

\*नाम

शेयर पूंजी का विवरण

कुल अभिदत्त शेयर पूंजी (आईएनआर में)

इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण

\*वर्गों की संख्या

शेयरों का वर्ग	अभिदत्त पूंजी	
इक्विटी शेयरों की संख्या		
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर		
में)		
कुल राशि (आईएनआर में)		

वरीयता शेयर पूंजी का विवरण

\*वर्गों की संख्या

प्रीफिल-

शेयरों का वर्ग	अभिदत्त पूंजी
वरीयता शेयरों की संख्या	
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)	
कुल राशि (आईएनआर में)	

मुझे शेयरों के अभिदान से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम ,2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और इसे प्राप्त कर लिया गया है और इसके साथ संलग्न है।

या

शेयरों के अभिदान से पहले मुझे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

6ग \*अभिदाता सह निदेशक (वैध डीआईएन नहीं रखने वाले) के अलावा व्यक्तिगत प्रथम अभिदाता (ओं) की विशिष्टियाँ

ाडाजलाकर स प्राप्त कर		
*प्रथम नाम		
मध्य नाम		
*उपनाम		
*पिता का पहला नाम		
पिता का मध्य नाम		
*पिता का उपनाम		
*लिग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)		
*जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)		
∗राष्ट्रीयता		
*जन्म स्थान (जिला एवं राज्य)		
*व्यवसाय का प्रकार		V
(व्यवसाय/पेशेवर/सरकारी/रोजगार/निजी रोजगार/गृत्	हणा/छात्र/अन्य)	
व्यवसाय का क्षेत्र		
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो	कृपया निर्दिष्ट करें	

*शैक्षिक योग्यता			V
(प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक योग्यता/स्नातक डिग्री		<u> </u>	
स्नातकोत्तर डिग्री/डॉक्टरेट या उच्च/पेशेवर डिप्लोमा/अन्य)			
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें			
पैन			विवरण की जाँच करें
*ईमेल आईडी			
स्थायी पता			
*पंक्ति ।			
पंक्ति ॥			
*देश			
*पिन कोड			
*क्षेत्र/इलाका			
*शहर			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला			
*फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)			
*क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता एक ही है	🔾 हाँ	🔘 नहीं	
<b>* वर्तमान पता</b> * पंक्ति।			
* पंक्ति ॥			
* देश			
* पिन कोड			
क्षेत्र/इलाका			
* शहर			

[PART II—SEC. 3(i)]

अधिकतम 2 एमबी

अधिकतम 2 एमबी

फ਼ਾਤਕ ਹੁਜੇ

फ਼ਾਤਕ ਚਜੇਂ

अभिदत्त पूंजी

▼

V

डाउनलोड

डाउनलोड

हटाना

हटाना

जिला

104

\* फोन (एसटीडी/ आईएसडी कोड के साथ)

(वर्ष -> 0 से 99

(पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)

(पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)

\* पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करें

शेयरों का वर्ग

प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)

माह -> 0 से 11)

\*यदि वर्तमान पते पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पिछले निवास का पता

\* पहचान प्रमाण

\* आवासीय प्रमाण

\* पहचान प्रमाण सं.

\* आवसीय प्रमाण सं.

(क) \*पहचान का सबूत

(ख) \* आवासीय प्रमाण

शेयर पूंजी का विवरण

\*वर्गों की संख्या

कुल अभिदत्त शेयर पूंजी (आईएनआर में)

इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण

इक्विटी शेयरों की संख्या

कुल राशि (आईएनआर में)

निवास

वर्तमान पते पर रहने की अवधि (वर्ष/माह)

\* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

#### वरीयता शेयर पूंजी का विवरण

\*वर्गों की संख्या

शेयरों का वर्ग	अभिदत्त पूंजी
वरीयता शेयरों की संख्या	
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)	
कुल राशि (आईएनआर में)	

0 मुझे शयरों के अभिदान से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और इसे प्राप्त कर लिया गया है, और इसके साथ संलग्न है।

या

0 मुझे शेयरों के अभिदान से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

कंपनी के अभिदाता (ओं) सह निदेशकों/निदेशकों का ब्यौरा
 ७ अभिदाता (ओं) सह निदेशकों (वैध डीआईएन वाले) का ब्यौरा
 ७ अभिदाता सह निदेशकों का मूल ब्यौरा

निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	पूर्व पूरित
* नाम	
* पदनाम (निदेशक/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/नामित निदेशक)	
*श्रेणी (प्रोमोटर/पेशेवर/स्वतंत्र/नामित)	
🔲 अध्यक्ष	
🔲 कार्यकारी निदेशक	
🔲 गैर-कार्यकारी निदेशक	
* उस कंपनी या संस्थान का नाम जिसका नामित व्यक्ति नियुक्त किया गय	۶ آ <del>ا</del>
* ईमेल आईडी शेयर पूंजी का विवरण	
कुल अभिदत्त शेयर पूंजी (आईएनआर में)	

## इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण

\*वर्गों की संख्या

शेयरों का वर्ग	अभिदत्त पूंजी
इक्विटी शेयरों की संख्या	
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)	
कुल राशि (आईएनआर में)	

#### वरीयता शेयर पूंजी का विवरण

\* वर्गों की संख्या

शेयरों का वर्ग	अभिदत्त पूंजी	
वरीयता शेयरों की संख्या		
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)		
कुल राशि (आईएनआर में)		

#### 7क(ii) उन संस्थाओं की घोषणा जिनमें अभिदाता सह निदेशकों की रुचि है

उन संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक की रुचि है

*सीआईएन/एलएलपीआईएन/एफसीआरएन/रजिस्ट्रेशन नंबर		प्री फिल-
* नाम		
* पता		

* रुचि की	* पदनाम अन्य (निदिष्ट करें)
प्रकृति	शेयर धारिता का प्रतिशत राशि (आईएनाआर में)

0 मुझे शेयरों के अभिदान से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और इसे प्राप्त कर लिया गया है, और इसके साथ संलग्न है।

या

0 शेयरों के अभिदान से पहले मुझे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है

## 7ख. अभिदाता सह निदेशकों का विवरण (जिनके वैध डीआईएन नहीं है)

# डिजिलॉकर से प्राप्त करें

7ख(i) अभिदाता सह निदेशकों का मूल ब्यौरा	
*प्रथम नाम	
मध्य नाम	
*उप नाम	
* पिता का प्रथम नाम	
पिता का मध्य नाम	
* पिता का उपनाम	
* लिंग	
* जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
* राष्ट्रीयता	
* जन्म स्थान	
भारत का नागरिक	🔾 हां 🔘 नहीं
भारत का निवासी	🔾 हां 🔘 नहीं
*व्यवसाय का प्रकार	
(व्यापार/पेशेवर/सरकारी/रोजगार/निजी रोजगार/गृहिणी/छात्र/अन्य)	
*व्यवसाय का क्षेत्र	
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें	
*शैक्षिक योग्यता	
(प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक योग्यता/स्नातक डिग्री/	
स्नातकोत्तर डिग्री/डॉक्टरेट या उच्च/व्यावसायिक डिप्लोमा/अन्य)	
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है,तो कृपया निर्दिष्ट करें	

पैन		विवरण की जांच करें		
*पदनाम		<b></b>		
(निदेशक/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/नामित निदेशक)				
*श्रेणी				
(प्रोमोटर/पेशेवर/स्वतंत्र/नामित) अध्यक्ष				
कार्यकारी निदेशक				
🔲 गैर-कार्यकारी निदेशक				
* उस कंपनी या संस्थान का नाम जिसका नामित व्यक्ति	नियक्त किया गया है			
	3			
* मोबाइल नंबर				
* ईमेल आईडी				
स्थायी पता * पंक्ति ।				
* भारत ।				
* पंक्ति ॥				
* देश				
* पिन कोड				
* क्षेत्र/इलाका				
* शहर				
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
* जिला				
फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)				
*क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय प	ता एक है	O हाँ O नहीं		
c .				
* वर्तमान पता				
* पंक्ति ।				
			-	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	-------	---------
* देश				
* पिन कोड				
* क्षेत्र/इलाका				
* शहर				
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
* जिला				
फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)				
वर्तमान पते पर रहने की अवधि (वर्ष/माह)				
(वर्ष -> 0 से 99 माह -> 0 से 11) * यदि वर्तमान पते पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पिछले निवास का पता				
* पहचान प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)				
* आवासीय प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)				
* पहचान प्रमाण सं. आवासीय प्रमाण सं.				
* पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करें				
* पहचान का प्रमाण	अधिकतम MB 2	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड
आवासीय प्रमाण	अधिकतम MB 2	फ़ाइल चनें	हटाना	डाउनलोड
शेयर पूंजी का विवरण				
कुल अभिदत्त शेयर पूंजी (आईएनआर में)				
इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण				
* • •				

\* वर्गों की संख्या

शेयरों का वर्ग	अभिदत्त पूंजी
इक्विटी शेयरों की संख्या	
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)	
कुल राशि (आईएनआर में)	

वरीयता शेयर पूंजी का विवरण

\* वर्गों की संख्या

शेयरों का वर्ग	अभिदत्त पूंजी
वरीयता शेयरों की संख्या	
प्रति शेयर नाममात्र राशि (आईएनआर में)	
कुल राशि (आईएनआर में)	

7ख (ii) उन संस्थाओं की घोषणा जिनमें अभिदाता सह निदेशकों की रुचि है

उन संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक की रुचि है

- \* सीआईएन/एलएलपीआईएन/एफसीआरएन/रजिस्ट्रेशन नंबर
- \* नाम
- \* पता

* रुचि की प्रकृति	*पदनाम अन्य (निर्दिष्ट करें)
	शेयरधारिता का प्रतिशत

0 मुझे शेयरों के अभिदान से पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और इसे प्राप्त कर लिया गया है, और इसके साथ संलग्न है।

0 शेयरों के अभिदान से पहले मुझे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

7ग. निदेशकों का विवरण (वैध डीआईएन वाले)				
7ग(i) निदेशकों का मूल विवरण				
* निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)				
* नाम				
* पदनाम (निदेशक/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/नामित निदेशक)				
* श्रेणी (समर्थक/पेशेवर/स्वतंत्र/नामित)				
🔲 अध्यक्ष				
🔲 कार्यकारी निदेशक				
🔲 गैर-कार्यकारी निदेशक				
उस कंपनी या संस्थान का नाम जिसका नामित व्यक्ति नियुक्त किया गया है				
* ईमेल आईडी				
7ग (ii) उन संस्थाओं की घोषणा जिसमें अभिदाता सह निदेशकों की रुचि है				
उन संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक की रुचि है				
<ul> <li>* सीआईएन/एलएलपीआईएन/एफसीआरएन/रजिस्ट्रेशन नंबर</li> </ul>				
* नाम				
* पता				

* रुचि की प्रकृति	* पदनाम अन्य (निर्दिष्ट करें)
C	शेयरधारिता राशि का प्रतिशत

7 घ. निदेशकों का विवरण (जिनका डीआईएन नहीं है)



Г

7घ(i) निदेशकों का मूल विवरण			
* प्रथम नाम			
मध्य नाम			
* उपनाम			
* पिता का पहला नाम			
पिता का मध्य नाम			
* पिता का उपनाम			
* लिंग			
* जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)			
* राष्ट्रीयता			
* जन्म स्थान			
क्या भारत का नागरिक हैं		🔿 हाँ	🔾 नहीं
क्या भारत का निवासी है		🔿 हाँ	🔘 नहीं
* व्यवसाय का प्रकार (व्यापार/पेशेवर/सरकारी/रोजगार/निजी रोजगार/गृहिणी/छात्र/अन्य			V
* व्यवसाय			V
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें			
* शैक्षिक योग्यता			
(प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक योग्यता/स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री/डॉक्टरेट या उच्च/व्यावसायिक डिप्लोमा/अन्य)	डेग्री/		<b>(</b> ▼]
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है,तो कृपया निर्दिष्ट करें			
पैन			विवरण की जाँच करें
*पदनाम			

(निदेशक/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/नामित निदेशक)

▼

#### \* श्रेणी

(प्रोमोटर/पेशेवर/स्वतंत्र/नामित)

क्य	T

- 🛛 अध्यक्ष
- 🔲 कार्यकारी निदेशक
- 🔲 गैर-कार्यकारी निदेशक

\* उस कंपनी या संस्थान का नाम जिसका नामित व्यक्ति नियुक्त किया गया है

- \* मोबाइल नंबर
- \* ईमेल आईडी

#### स्थायी पता

- \* पंक्ति ।
- \* पंक्ति ॥
- \* देश
- \* पिन कोड

क्षेत्र/इलाका

- \* शहर
- \* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

#### जिला

फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)

\*क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता समान

- \* वर्तमान पता
- \* पंक्ति ।

\* पंक्ति ॥

\* देश

\* पिन कोड

त नियुक्त किया गया है	
य पता समान	○ हाँ ○ नहीं
৭ পরে। রেন্সাল	্ হ। ় লহ।

* क्षेत्र/इलाका			
* शहर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
जिला			
फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)			
वर्तमान पते पर रहने की अवधि (वर्ष/व (वर्ष -> 0 से 99 <i>माह -&gt; 0 से 11)</i>	माह)		
* यदि वर्तमान पते पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पिछले निवास का पता			
* पहचान प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अ	ताधार)		
* आवासीय प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अ	गधार)		
* पहचान प्रमाण सं.			
* आवासीय प्रमाण सं.			
* पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत			
(क) *पहचान का प्रमाण			
(ख) *आवासीय प्रमाण			
7घ(ii) उन संस्थाओं की घोषणा जिनमें निदेशकों की रुचि है			
उन संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशव	क की रुचि है		
* सीआईएन/एलएलपीआईएन/एफसीआरएन/रजि	नेस्ट्रेशन नंबर		
* नाम			
* पता			

* रुचि की प्रकृति	* पदनाम अन्य (निर्दिष्ट करें)							
1 200	शेयरधारिता का प्र	ग्रतिशत	राशि (आईएन3	भार में)				
8. ओपीसी ना	मांकन							
8क ∗नामांकन	г							
मैं*		संगम र	ज्ञापन का अभिदाता					
इसके एतद्व	द्वारा	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम				
		त्यु या अनुबंध करने में अक्ष नन) नियम, 2014 के नियम		का सदस्य बन जाएगा। मैं घोषणा करता हूं नामांकन के लिए पात्र है।				
	व्यक्ति का विवरण ए प्राधिकृत व्यक्ति							
	पहचान संख्या (ई रुर से प्राप्त करें	ीआईएन)						
*प्रथम नाम								
मध्य नाम								
*उपनाम								
*पिता का प्रथ	म नाम							
पिता का म	ध्य नाम							
*पिता का उप	नाम							
*लिंग								
*जन्म तिथि (	(दिन/माह/वर्ष)							
∗राष्ट्रीयता								

\*आयकर - पैन

\* वर्तमान पता

*जन्म स्थान (जिला एवं राज्य)	
*व्यवसाय का प्रकार (व्यापार/पेशेवर/सरकारी/रोजगार/निजी रोजगार/गृहिणी/छात्र/अन्य)	
*व्यवसाय का क्षेत्र यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें	
*शैक्षिक योग्यता (प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक योग्यता/स्नातक डिग्री स्नातकोतर डिग्री/डॉक्टरेट या उच्च/व्यावसायिक डिप्लोमा/अन्य)	
यदि 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें	
*मोबाइल नंबर	
*ईमेल आईडी	
स्थायी पता	
*पंक्ति ।	
*पंक्ति ॥	
*देश	
*पिन कोड	
*क्षेत्र/इलाका	
*शहर	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
जिला	
फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)	
फैक्स	
क्या वर्तमान पता स्थायी पते के समान है	<b>ि हाँ ि</b> नहीं

*पंक्ति ।		
*पंक्ति ॥		
*देश		
*पिन कोड		
*क्षेत्र/इलाका		
*शहर		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
जिला		
फोन (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ)		
वर्तमान पते पर रहने की अवधि (वर्ष/माह) <i>(वर्ष -&gt; 0 से 99 माह -&gt; 0 से 11)</i> *यदि वर्तमान निवास पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पिर निवास	छले निवास का पता	
*पहचान प्रमाण (पहचान पत्र/पास पोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)		
*आवासीय प्रमाण (पहचान पत्र/पास पोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार)		
*पहचान प्रमाण सं.		
*आवासीय प्रमाण सं.		
* पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण जमा करें		
(क) *पहचान का प्रमाण	अधिकतम MB 2	फ़ाइल चनें हटाना डाउनलोड
(ख) आवासीय प्रमाण	अधिकतम MB 2	फ़ाइल चनें हटाना डाउनलोड

$\sim$	$\sim$		\	`	-	$\sim$
* नामित	त्याकृत	टताग	हार्षणा	ਸ਼	माथ	ਸਫਸ਼ਾਟ
• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	99111	911-11	-17	11-1	10.11

में	एतट	द्वारा कंपनी के अभिदाता/सदस्य	की मृत्यु या	अनुबंद करने में उसकी
अक्षमता की स्थिति में			का सदस्य	1 बनने के लिए अपनी

सहमति देता हूं।

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं और भारत का निवासी हूं और मुझे किसी भी कंपनी या एलएलपी के प्रचार, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी भी पिछले कंपनी कानून या एलएलपी अधिनियम के तहत किसी भी धोखाधड़ी या कदाचार या किसी भी कंपनी के कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि

मैं किसी अन्य एकल व्यक्ति कंपनी में नामांकित व्यक्ति नहीं हूं और मैं निर्धारित अवधि के भीतर नियम 3 (3) में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का पालन करूंगा। मैं समझता हूं कि मुझे नामित करने वाला व्यक्ति मेरी सहमति के बिना मेरा नामांकन वापस ले सकता है।

#### नामित व्यक्ति द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा

# डीएससी बॉक्स

## 9. स्टाम्प इयूटी के भुगतान का विवरण

9क राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसके संबंध में स्टाम्प इयूटी का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना है

9ख \*क्या स्टाम्प इयूटी का भगतान एमसीए 21 प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना है

🔾 हाँ 🔾 नहीं 🔾 लागू नहीं

9ख(i) भुगतान की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी का ब्यौरा

दस्तावेज का प्रकार/विवरण	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संस्था के अंतर्नियम
स्टाम्प इयूटी की राशि जिसका भुगतान			
किया जाना है (रुपये में)			

## 9ख (ii) पहले से ही भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क का विवरण प्रदान करें

दस्तावेज का प्रकार/विवरण	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संस्था के अंतर्नियम	अन्य
भुगतान की गई स्टाम्प				
ड्यूटी की कुल राशि (रुपये				
में)				
स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान				
का तरीका				
विक्रेता या कोषागार या				
प्राधिकरण या किसी अन्य				
सक्षम एजेंसी का नाम जो				

स्टाम्प ड्यूटी एकत्र करने		
या स्टाम्प पेपर बेचने या		
दस्तावेज को अलंकृत करने		
या सरकार की ओर से		
स्टाम्प वाउचर वितरित		
करने के लिए प्राधिकृत है		
अलंकृत करना या स्टाम्प		
या स्टाम्प पेपर या		
कोषागार चालान संख्या की		
क्रम संख्या		
विक्रेता की पंजीकरण		
संख्या		
स्टाम्प या स्टाम्प पेपर की		
खरीद या स्टाम्प ड्यूटी के		
भुगतान की तिथि		
(दिन/माह/वर्ष)		
स्टाम्प या स्टाम्प पेपर की		
खरीद या स्टाम्प ड्यूटी के		
भुगतान का स्थान		

#### पैन/टैन की जानकारी

# 10. \*स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती खाता संख्या (टैन) लागू करने के लिए अतिरिक्त जानकारी

कोई आय नहीं

पैन के लिए विशिष्ट जानकारी

क्षेत्र कोड		एओ प्रकार रेंज कोड		एओ सं.						

#### टैन के लिए विशिष्ट जानकारी

🔲 अन्य स्रोतों से आय

	क्षेत्र कोड		एओ प्रकार		रेंज कोड		एओ सं.					
* आय का स्रोत												
	व्यापार	/व्यवसाय र	से आय		पूंजीगत ल	<b>ग</b> भ	[		गर की संपर्ग	ते से आय		

#### \*व्यापार/व्यवसाय कोड

#### सैल

(क) संगम ज्ञापन

(ख) संस्था के अंतर्नियम

(ग) प्रथम अभिदाता (ओं) और निदेशक (कों) द्वारा घोषणा
 (शापथपत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है);

(घ)	विदेशी निकाय कारपोरेट के निगमन के प्रमाण पत्र की प्रति	
	और विदेशी कंपनी द्वारा पारित कारपोरेट संकल्प या	
	संवैधानिक दस्तावेज के माध्यम से दिया गया प्राधिकार	;;

(ड) फ्रेमोटर कंपनी द्वारा पारित संकल्प;

(च) अन्य संस्थाओं में प्रथम निदेशक की रुचि

(छ) वैकल्पिक अन्लग्नक (यदि कोई हो)

अधिकतम MB 2	फ़ाडल चनें	हटाना	डाउनलोड
अधिकतम MB 2	फ਼ਾਤਕ ਚਰੇਂ	हटाना	डाउनलोड

फ਼ਾਤਕ चनें

हटाना

डाउनलोड

#### घोषणा

मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और नाम के आरक्षण के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया है, उसके अर्थ को समझा है और प्रस्तावित नाम उसके अनुरूप है।

अधिकतम MB 2

मैंने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पोर्टल पर उपलब्ध खोज सुविधाओं का उपयोग क्रमशः पहले से पंजीकृत कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) या पहले से अनुमोदित नामों के साथ प्रस्तावित नाम की समानता की जांच करने के लिए किया है। मैंने ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत एक आवेदन के पंजीकृत ट्रेडमार्क और ट्रेड मार्क विषय के साथ प्रस्तावित नाम की समानता की जांच करने के लिए खोज सुविधा का भी उपयोग किया है और प्रस्तावित नाम की समानता की जांच करने के लिए अन्य प्रासंगिक खोज की है ताकि नाम और नियमों की समानता के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अन्पालन के साथ खुद को संत्ष्ट किया जा सके।

प्रस्तावित नाम समय-समय पर यथा संशोधित प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

प्रस्तावित नाम लोगों के किसी भी वर्ग के लिए अपमानजनक नहीं है, उदाहरण के लिए प्रस्तावित नाम में अशिष्टता या शब्द या वाक्यांश शामिल नहीं हैं जिन्हें आम तौर पर एक जातीय समूह, धर्म, लिंग या आनुवंशिकता के विरूद्ध अपमानजनक माना जाता है। प्रस्तावित नाम ऐसा नहीं है कि कंपनी द्वारा इसका उपयोग किसी भी समय लागू किसी भी कानून के तहत अपराध माना जाएगा।

यदि नाम बाद में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) और धारा 4(4) और उसके नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो मैं परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने का वचन देता हूं और मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5) (ii) (क) और (ख) और उसके अधीन नियम के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है और समझा है और उसके परिणामों के लिए खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार घोषित करता हँ।

\*मैं, \_\_\_\_\_\_ के निदेशक के रूप में आर्टिकल में नामित एक व्यक्ति को, कंपनी के प्रमोटरों द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाएं और निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के संबंध में इसके तहत बनाए गए नियम, कंपनी के पंजीकरण और उसके उदाहरण या आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है।

मैं इस घोषणा को देने और और प्रथम निदेशक (को) इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम करने प्राधिकृत हूं।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि, कंपनी अपना व्यवसाय तब तक शुरू नहीं करेगी, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी आदि जैसे क्षेत्रीय विनियामकों से सभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिए जाते हैं।

में आगे घोषणा करता हूं कि कंपनी, निधि का व्यवसाय तब तक शुरू नहीं करेगी, जब तक कि अधिनियम की धारा 406 के तहत घोषणा सहित सभी आवश्यक अनुमोदन केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं किए जाते हैं;

में प्रवर्तकों और प्रथम निदेशकों की ओर से यह घोषणा करता हूं कि पंजीकृत कार्यालय निगमन पर प्रस्तावित कंपनी को संबोधित सभी संचार और नोटिस प्राप्त करने और स्वीकार करने में सक्षम है, और इस प्ररूप के मद 4 (क) में दिए गए पते पर बनाए रखा जाएगा;

\*मैं, प्रस्तावित कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में नामित सभी प्रथम निदेशकों की ओर से सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई घोषणा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है, इस एकीकृत आवेदन पत्र में निगमन और संलग्नक के लिए दी गई जानकारी सही और पूर्ण है, और इस प्ररूप से संबंधित कुछ भी छिपाया नहीं गया है। सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से, सही ढंग से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप के साथ संलग्न हुए हैं और प्रमोटरों द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार हैं जो संगम और संस्था के अंतर्नियम की सदस्यता लेते हैं।

मैं, उन प्रस्तावित निदेशकों की ओर से, जिनका डीआईएन आवंटन के लिए विवरण उपरोक्त के अनुसार भरा गया है, इस बात की पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 और 169 सहित प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए रोका, अयोग्य, हटाया नहीं गया है, और किसी भी आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) पहले से ही आवंटित नहीं की गई है, और मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449, 450 और 451 के साथ धारा 154, 155, 447 और 448 के प्रावधानों को पढ़ा और समझा है।

मैं, प्रस्तावित निदेशकों की ओर से, यह घोषणा करता हूं कि नियुक्ति चाहने वाला व्यक्ति उस देश का नागरिक है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक सुरक्षा मंजूरी सहमति के साथ संलग्न की जाएगी। 0 हां 0 नहीं (यदि हां का विकल्प चुना जाता है, तो सुरक्षा मंजूरी की एक प्रति संलग्न करें)

डीआईएन/पैन/पासपोर्ट नंबर

हार्ड कॉपी में इस प्ररूप के साथ संलग्न एमओए और एओए, प्ररूप के साथ संलग्न होने वाले ई-एमओए और ई- एओए के समान है।
मैं कंपनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली के नियम 5(iv) के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि अधिनियम के इस भाग में परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले उक्त एलएलपी ने वे सभी दस्तावेज फाइल किए हैं जिन्हें एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत रजिस्ट्रार एलएलपी के पास फाइल किया जाना आवश्यक है।
सदस्यता संख्या
और/या अभ्यास संख्या, प्रमाण पत्र धारा 7 (1) (ख) के तहत घोषणा देने के लिए लगाया गय है और ऐसी घोषणा नीचे दी गई है।
नोट: धारा 7 (5) और 7 (6) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि किसी भी जानकारी का कोई गलत या गलत विवरण प्रस्तुत करना या किसी भी भौतिक जानकारी को दबाना धारा 447 के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा को आकर्षित करेगा। धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं
* निदेशक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डीएससी बॉक्स *डीआईएन/पैन
11. पेशेवर द्वारा घोषणा और प्रमाणन
मैं का सदस्य जिसका कार्यालय
* स्थित है, कंपनी के गठन में शामिल हूँ, यह घोषित करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से विधिवत रूप से लगाया गया है। इसके द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलेखों से उपर्युक्त विवरणों (संलग्नक सहित) का सत्यापन किया है जो इस प्रपत्र की विषय वस्तु है और उन्हें सही और पूर्ण सत्य पाया है और इस प्रपत्र की कोई भी जानकारी सामग्री दबाई नहीं गई है। मैं इसे और प्रमाणित करता हूं;

- मसौदा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम धारा 4 और 5 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं; और
- ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 7 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित नियमों और उसके उदाहरण या आकस्मिक मामलों का अनुपालन किया गया है।

- iii. उक्त रिकॉर्ड को उचित रूप से तैयार किया गया है, कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्सार बनाए रखा गया है और इसे व्यवस्थित पाया गया है।
- मैंने इस प्ररूप के सभी संलग्नक खोल दिए हैं और इन्हें आवश्यकताओं के अनुसार, पूर्ण और पठनीय सत्यापित किया है; iv.
- मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैंने ऊपर उल्लिखित पते पर प्ररूप में दिए गए प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के परिसर का व्यक्तिगत रूप से ۷. दौरा किया है और सत्यापित किया है कि कंपनी का उक्त प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए काम करेगा (जहां भी प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के संबंध में लागू किया गया है)।
- vi. यह समझा जाता है कि अगर किसी भी स्तर पर कोई गलत प्रमाणन पाया जाता है तो मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहंगा।
- vii. मसौदा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम धारा 8 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं; और
- viii. कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित नियमों और उसके उदाहरण या आकस्मिक मामलों का अन्पालन किया गया है।
- 🔘 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- लागत लेखापाल (पूर्णकालिक अभ्यास में) या  $\bigcirc$
- कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)  $\bigcirc$

एसोसिएट हैं या फेलो	
⊖ एसोसिएट	
पैक्टिस संख्या का प्रमाण पत्र	
आयकर पैन	
	प्रस्तुत करें सेव करें
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर	
यह ई-प्ररूप एतद्द्वारा पंजीकृत है	डीएससी बॉक्स
हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	

हिंदी

फार्म भाषा

) अंग्रेजी

प्ररूप सं. आईएनसी -33

**ई-एमओए (संगम ज्ञापन)** [कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची । (धारा 4 और 5 देखें) के अन्सरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

\* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

\*कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्सूची । के तहत अधिसूचित कंपनी पर लागू तालिका (क शेयरों दवारा सीमित कंपनी के संगम ज्ञापन ख - गारंटी दवारा सीमित और शेयर पूंजी नहीं होने वाली कंपनी के संगम ज्ञापन ग - गारंटी दवारा सीमित और शेयर पूंजी वाली कंपनी के संगम ज्ञापन घ - असीमित और शेयर पूंजी नहीं होने वाली कंपनी के संगम ज्ञापन ड. - असीमित और शेयर पूंजी वाली कंपनी के संगम ज्ञापन) तालिका क/ख/ग/घ/ड. 1 \* कंपनी का नाम 2 \* कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जिस राज्य में स्थित होगा 3 (क) \*कंपनी द्वारा अपने निगमन पर पूरे किए जाने वाले उद्देश्य हैं: (ख) \*खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उददेश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक विषय हैं 4 सदस्य(यों) का दायित्व सीमित है, और यह दायित्व उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर अप्रदत्त राशि तक सीमित है। सदस्य (यों) का दायित्व सीमित है सदस्य (ओं) का दायित्व असीमित है

5 कंपनी का प्रत्येक सदस्य योगदान करने का वचन देता है:

124

- (i) यदि वह सदस्य है, या सदस्य नहीं रहने के एक वर्ष के भीतर, कंपनी के ऋणों और देनदारियों या ऐसे ऋणों और देनदारियों के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति में योगदान करेगा, जो उसके सदस्य होने से पहले अनुबंधित किए गए हैं।
- (ii) समापन की लागत, प्रभार और व्यय (और आपस में अंशदायी के अधिकारों के समायोजन के लिए), ऐसी राशि जो अपेक्षित हो, ..... रुपए से अधिक न हो।

(iii) कंपनी की शेयर पूंजी रुपये है, जो निम्नलिखित में विभाजित है?

	इक्विटी/वरीयता 🔻	के	प्रत्येक रुपये	
		शेयर		
पंक्ति जोई	उं पंक्ति हटाएँ			

हम, कई व्यक्ति, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, संगम ज्ञापन के अन्सरण में एक कंपनी में गठित होने के 6 इच्छुक हैं, और हम क्रमशः अपने संबंधित नामों के सामने निर्धारित कंपनी की पूंजी में शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत हैं:

मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, संगम ज्ञापन के अनुसरण में, एक कंपनी बनाने का इच्छ्क हूं और कंपनी की पूंजी में सभी शेयर लेने के लिए सहमत हुं:

हम, कई व्यक्ति, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी में गठित होने के इच्छुक हैं:

#### अभिदाता का ब्यौरा

पंक्ति हटाएँ

क्र.सं.	अभिदाता का ब्यौरा				
	* नाम, पता,	डीआईएन/पैन/पासपोर्ट	लिए गए शेयरों	डीएससी	दिनांक
	विवरण और	नंबर	की संख्या		
	व्यवसाय				
1	पूर्व पूरित	पूर्व पूरित	पूर्व पूरित		
2	पूर्व पूरित	पूर्व पूरित	पूर्व पूरित		
लिए गए कुल शेयर			पूर्व पूरित		

	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए					
गवाह की सदस्यता का प्रकार	* गवाह का नाम	* पता, विवरण और व्यवसाय	*डीआईएन/पैन/ पासपोर्ट नंबर/सदस्यता	डीएससी	दिनांक	
(एसीए/एफसीए/एसीएस/एफसीएस/एसी			संख्या			
एमए/एफसीएमए)						
V						
		7 8	भ्री/श्रीमती			
का/की	निवासी, आयु					
एकमात्र व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति म	में नामांकित व	व्यक्ति होगा।				
संलग्नक						
प्रथम अभिदाता(ओं) शीट		अधिकतम 2 एमढ	ग्री फ़ाइल चुनें	हटाना	डाउनलोड	
घोषणा						
संकल्प	ត	देनांक	के	अनुसरण में,	, मैं निदेशक	
मंडल की ओर से यह घोषणा करता हूं कि	संगम ज्ञापन	में निम्नलिखित संशो	धिनों को अपनाया व	गया है:		
डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित						
नाम			निदेशक			
पदनाम			ाणदराफ			
डीआईएन						
डीएससी			डीएससी बॉक्स सेव करें	ा जमा व	र्भ	

ई-एओए (संस्था के ई-अंतर्नियम) [कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची । (धारा 4 और 5 देखें) के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

\* में चिहिनत सभी कॉलम अनिवार्य हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची । के तहत यथाअधिसूचित कंपनी के लिए लागू तालिका (च, छ, ज, झ, ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची । के तहत यथा-अधिसूचित तालिका च/ छ/ ज/ झ/ ज (उपर्युक्त क्षेत्र के चयन के आधार पर) के लिए लागू है (च - शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी छ - गारंटी द्वारा सीमित और शेयर पूंजी वाली कंपनी ज - गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और शेयर पूंजी नहीं है झ - एक असीमित कंपनी और शेयर पूंजी वाली ज - एक असीमित कंपनी और जिसकी शेयर पूंजी नहीं है)

कंपनी का नाम

जांचें कि क्या लागू नहीं है	जांचें कि क्या बदला गया है	आर्टिकल	विवरण
			व्याख्या
			(1) इन विनियमों में-
			(क) "अधिनियम" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 है, (ख) "मुहर" का अर्थ कंपनी की सामान्य मुहर है।





▼
---



	Г	1
		(2) जब तक संदर्भ की आवश्यकता न हो, शब्दों या अभिव्यक्तियों में निहित है इन विनियमों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या उसके किसी वैधानिक संशोधन में लागू होता है जिस तारीख को ये नियम कंपनी पर बाध्यकारी हो जाते हैं।
		सदस्यों की संख्या (तालिका छ / तालिका झ के मामले में) / सदस्य (तालिका
		ज/तालिका ञ के मामले में )
		कंपनी के पंजीकृत होने का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों की संख्या सौ है, लेकिन
		निदेशक मंडल समय-समय पर सदस्यों की वृद्धि दर्ज कर सकता है।
		ज्ञापन के अभिदाता और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें बोर्ड सदस्यता के लिए स्वीकार
		करेगा, कंपनी के सदस्य होंगे।
		शेयर पूंजी और अधिकारों की भिन्नता
		अधिनियम और इन आर्टिकलों के प्रावधानों के अधीन, कंपनी की पूंजी में शेयर
		निदेशकों के नियंत्रण में होंगे जो ऐसे व्यक्तियों को या उनमें से किसी को इस अनुपात
		में जारी, आवंटित या अन्यथा निपटान कर सकते हैं और ऐसे नियमों और शर्तों पर
		और या तो प्रीमियम पर या सममूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर
		उचित समझें।
		(i) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में एक सदस्य के रूप में दर्ज किया
		गया है, ज्ञापन अभिदाताओं के मामले में या आवंटन के बाद या हस्तांतरण के
		पंजीकरण या पारेषण या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जैसा कि जारी करने की शर्तें
		प्रदान की जाएंगी, के लिए आवेदन के बाद एक महीने के भीतर निगमन के दो महीने
		के भीतर प्राप्त करने का हकदार होगा।
		(क) बिना किसी शुल्क के भुगतान के अपने सभी शेयरों के लिए एक प्रमाण पत्र; या
		(ख) पहले के बाद प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए बीस रुपये के भुगतान पर, उसके एक या
		अधिक शेयरों में से प्रत्येक के लिए कई प्रमाण पत्र।
		(ii) प्रत्येक प्रमाण पत्र मुहर के अधीन होगा और उन शेयरों को निर्दिष्ट करेगा जिनसे
		यह संबंधित है और उस पर प्रदत्त राशि।
		(iii) किसी भी शेयर या कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए शेयरों के संबंध में,
		कंपनी एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगी, और कई संयुक्त
		धारकों में से एक को शेयर के लिए प्रमाण पत्र की डिलीवरी होगी ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त वितरण
		(i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र खराब, विकृत, विकृत या फटा हुआ है या यदि
		हस्तांतरण के समर्थन के लिए पीछे की तरफ कोई और जगह नहीं है, तो कंपनी को
		प्रस्तुत करने और आत्मसमर्पण करने पर, उसके बदले में एक नया प्रमाण पत्र जारी
		न्द्रपुरा गरेग आर आरगराग गरेग गरे, उराग अपरा म एग गया त्रमाय येवे औरा 

	किया जा सकता है , और यदि कोई प्रमाणपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसके प्रमाण पर कंपनी की संतुष्टि के लिए और ऐसी क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर जैसा कि कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस आर्टिकल के तहत प्रत्येक प्रमाण पत्र प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए बीस रुपये के भुगतान पर जारी किया जाएगा। (ii) अनुच्छेद (2) और (3) के प्रावधान <i>यथावश्यक परिवर्तनों सहित</i> कंपनी के ऋणपत्रों पर लागू होंगे।
	कानून द्वारा आवश्यक के अतिरिक्त, (यहां तक कि नोटिस होने पर भी) किसी भी न्यायसंगत, आकस्मिक , किसी भी शेयर में भविष्य या आंशिक हित, या किसी शेयर के किसी भी आंशिक हिस्से में कोई हित, या (केवल इन विनियमों या कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर) किसी भी शेयर के संबंध में कोई अन्य अधिकार, पंजीकृत धारक में उसके संपूर्ण अधिकार को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कंपनी द्वारा किसी भी ट्रस्ट पर कोई शेयर रखने के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, और कंपनी किसी भी तरह से बाध्य नहीं होगी, या किसी भी तरह से पहचानने के लिए बाध्य नहीं होगी।
	<ul> <li>(i) कंपनी धारा 40 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त भुगतान कमीशन की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, बशर्ते कि दर प्रतिशत या भुगतान किए जाने के लिए सहमत कमीशन की राशि का उस धारा और उसके अधीन बनाए गए नियम द्वारा प्रकटीकरण अपेक्षित तरीके से किया जाएगा।</li> <li>(ii) कमीशन की दर या राशि धारा 40 की उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित दर या राशि से अधिक नहीं होगी।</li> <li>(iii) कमीशन नकद भुगतान या पूरी तरह या आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों के आवंटन या आंशिक रूप से एक तरह से और आंशिक रूप से दूसरे तरीके से संतुष्ट हो सकता है।</li> </ul>
	(i) यदि किसी भी समय शेयर पूंजी को शेयरों के विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो किसी भी वर्ग से जुड़े अधिकार (जब तक कि उस वर्ग के शेयरों को जारी करने की शर्तों द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है), धारा 48 के प्रावधानों के अधीन हो सकता है, और कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है या नहीं, उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के तीन-चौथाई के धारकों की लिखित सहमति से, या के धारकों

	की एक अलग बैठक में पारित एक उस वर्ग के शेयर विशेष प्रस्ताव की मंजूरी के साथ परिवर्तित किया जा सकता है। (ii) ऐसी प्रत्येक अलग बैठक के लिए, सामान्य बैठकों से संबंधित इन विनियमों के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू <i>होंगे</i> , लेकिन आवश्यक कोरम कम से कम दो व्यक्तियों का होना चाहिए जिनके पास संबंधित वर्ग के जारी किए गए शेयरों का कम से कम एक तिहाई हिस्सा हो। .
	प्रदत्त या अन्य अधिकारों के साथ जारी किए गए किसी भी वर्ग के शेयरों के धारकों को दिए गए अधिकार, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उस वर्ग के शेयरों के जारी करने की शर्तों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, को आगे के शेयरों के साथ-साथ इसको प्रदत्त या जारी करने से भिन्न नहीं माना जाएगा।
	धारा 55 के प्रावधानों के अधीन, कोई भी वरीयता शेयर, सामान्य संकल्प की मंजूरी के साथ, इस शर्त पर जारी किया जा सकता है कि उन्हें ऐसी शर्तों पर और इस तरह से भुनाया जाना है जैसे कंपनी शेयरों के जारी होने से पहले हो सकती है, विशेष संकल्प द्वारा, निर्धारित करें।
	ग्रहणाधिकार
	<ul> <li>(i) कंपनी का पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा-</li> <li>(क) प्रत्येक शेयर पर (पूरी तरह से प्रदत्त शेयर के अतिरिक्त), सभी राशि (चाहे वर्तमान में देय हो या नहीं) के लिए, या एक निश्चित समय पर देय, के संबंध में वह हिस्सा; और</li> <li>(ख) एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत सभी शेयरों (पूरी तरह से प्रदत्त शेयर के अतिरिक्त) पर, कंपनी को उसके या उसकी संपत्ति द्वारा वर्तमान में देय सभी राशि के लिए: परंतु कि निदेशक मंडल किसी भी समय किसी भी घोषणा कर सकता है शेयर को इस खंड के प्रावधानों से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दी जाएगी।</li> <li>(ii) किसी शेयर पर कंपनी का ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों के संबंध में समय समय पर घोषित सभी लाभांशों और बोनस तक विस्तारित होगा।</li> </ul>
	कंपनी ऐसे किसी भी शेयर को उस ढंग से जिसे बोर्ड उचित समझें, बेच सकती है जिस पर कंपनी का ग्रहणाधिकार है:

1	3	1
_	-	_

(क) जब तक कि राशि जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार मौजूद है, वर्तमान में देय है; या (ख) एक लिखित नोटिस के बाद चौदह दिनों की समाप्ति तक और उस राशि के ऐसे हिस्से के भुगतान की मांग करते हुए, जिसके संबंध में धारणाधिकार मौजूद है जैसा कि वर्तमान में देय है, शेयर के समय के लिए पंजीकृत धारक को दिया गया है या व्यक्ति अपनी मृत्यु या दिवालिया होने के कारण उसका हकदार है।
(i) ऐसी किसी भी बिक्री को प्रभावी करने के लिए, बोर्ड किसी व्यक्ति को उसके खरीदार को बेचे गए शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। (ii) क्रेता ऐसे किसी भी हस्तांतरण में शामिल शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत होगा।
(iii) क्रेता खरीद राशि के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा, और न ही शेयरों के लिए उसका शीर्षक बिक्री के संदर्भ में कार्यवाही में किसी भी अनियमितता या अमान्यता से प्रभावित होगा।
(i) बिक्री की आय कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी और उस राशि के ऐसे हिस्से के भुगतान में लागू की जाएगी जिसके संबंध में धारणाधिकार मौजूद है जैसा कि वर्तमान में देय है।
(ii) अवशेष, यदि कोई हो, बिक्री से पहले शेयरों पर मौजूद राशि के लिए समान ग्रहणाधिकार के अधीन, वर्तमान में देय नहीं होगा, बिक्री की तारीख पर शेयरों के हकदार व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।
शेयर की मांग
<ul> <li>(i) बोर्ड समय-समय पर, सदस्यों से उनके शेयरों पर भुगतान न किए गए किसी भी राशि के संबंध में मांग कर सकता है (चाहे शेयरों के नाममात्र मूल्य के कारण या प्रीमियम के माध्यम से) और आवंटन की शर्तों से नहीं निर्धारित समय पर देय: बशर्ते कि कोई भी मांग शेयर के नाममात्र मूल्य के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी या अंतिम पूर्ववर्ती मांग के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि से एक महीने से कम समय में देय नहीं होगी।</li> <li>(ii) प्रत्येक सदस्य, भुगतान के समय या समय और स्थान को निर्दिष्ट करते हुए कम से कम चौदह दिनों का नोटिस प्राप्त करने के अधीन, कंपनी को समय या समय और स्थान पर, निर्दिष्ट समय पर, उसके शेयरों पर मांगी गई राशि का भुगतान करेगा।</li> <li>(iii) बोर्ड के विवेक पर मांग को रद्द या स्थगित किया जा सकता है।</li> </ul>

	मांग को उस समय किया गया माना जाएगा जब मांग को अधिकृत करने वाले बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया गया था और किश्तों में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।
	किसी शेयर के संयुक्त धारक उसके संबंध में सभी मांगों का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे।
	(i) यदि किसी शेयर के संबंध में मांगी गई राशि का भुगतान उसके भुगतान के लिए नियत दिन से पहले या उस दिन नहीं किया जाता है, तो जिस व्यक्ति से राशि देय है, वह उसके भुगतान के लिए नियत दिन से वास्तविक भुगतान के समय तक उस पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष या ऐसी कम दर पर, यदि कोई हो, जैसा कि बोर्ड निर्धारित करे ब्याज का भुगतान करेगा। (ii) बोर्ड ऐसे किसी भी ब्याज के भुगतान को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ करने के लिए स्वतंत्र होगा।
	<ul> <li>(i) कोई भी राशि जो शेयर जारी करने की शर्तों के अनुसार आवंटन पर या किसी निश्चित तिथि पर देय हो जाती है, चाहे शेयर के नाममात्र मूल्य के कारण या प्रीमियम के रूप में, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, विधिवत रूप से किया गया और देय माना जाता है, जिस पर जारी करने की शर्तों के अनुसार ऐसी राशि देय हो जाती है।</li> <li>(ii) ऐसी राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, ब्याज और व्यय के भुगतान, जब्ती या अन्यथा के रूप में इन विनियमों के सभी प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे जैसे कि ऐसी राशि विधिवत किए गए और अधिसूचित मांग के आधार पर देय हो गई थी।</li> </ul>
	बोर्ड- (क) यदि यह ठीक समझे, तो किसी भी सदस्य से उसे अग्रिम देने के इच्छुक किसी भी सदस्य से प्राप्त कर सकता है, उसके द्वारा रखे गए किसी भी शेयर पर बिना मांगे और अवैतनिक धन प्राप्त कर सकता है; और (ख) सभी या किसी भी धन पर, (जब तक कि वह, लेकिन इस तरह के अग्रिम के लिए, वर्तमान में देय हो जाता है) ऐसी दर से, अधिक से अधिक बारह प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान नहीं कर सकता है, जब तक कि कंपनी सामान्य बैठक में अन्यथा निर्देशित न करे, , जैसा कि बोर्ड और सदस्य के बीच अग्रिम राशि का भुगतान करने पर सहमति हो सकती है।
	शेयरों का हस्तांतरण
	(i) कंपनी में किसी भी शेयर के हस्तांतरण का साधन हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती दोनों द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित किया जाएगा।

	(ii) हस्तांतरणकर्ता को तब तक शेयर का धारक माना जाएगा जब तक कि उसके संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में अंतरिती का नाम दर्ज नहीं किया जाता है।
	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है-
	(क) एक शेयर का हस्तांतरण, जो पूरी तरह से किए गए भुगतान का हिस्सा नहीं है,
	किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वे स्वीकृति नहीं देते हैं; या (ख) शेयरों का कोई हस्तांतरण जिस पर कंपनी का धारणाधिकार है।
	बोर्ड हस्तांतरण के किसी भी साधन को मान्यता देने से इनकार कर सकता है जब तक
	कि-
	(क) हस्तांतरण का साधन धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित रूप में है;
	(ख) हस्तांतरण के साधन के साथ शेयरों का प्रमाण पत्र होता है जिससे यह संबंधित
	होता है, और ऐसे अन्य सबूत जो बोर्ड को हस्तांतरण करने के लिए हस्तांतरणकर्ता के
	अधिकार को दिखाने के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है; और
	(ग) हस्तांतरण का साधन शेयरों के केवल एक वर्ग के संबंध में है।
	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिनों की
	पूर्व सूचना देने पर, स्थानान्तरण का पंजीकरण ऐसे समय पर और ऐसी अवधि के
	लिए निलंबित किया जा सकता है जो बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे:
	बशर्ते कि ऐसा पंजीकरण किसी भी समय तीस दिनों से अधिक या किसी भी वर्ष में कुल पैंतालीस दिनों से अधिक के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।
	<i>शेयरों</i> का अंतरण/प्रेषण
	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उत्तरजीवी या उत्तरजीवी जहां सदस्य एक संयुक्त धारक
	था, और उसके नामिती या नामांकित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि जहां वह एकमात्र
	धारक थे, कंपनी द्वारा किसी भी शीर्षक के रूप में शेयरों में अधिकार के लिए मान्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे।
	(ii) खंड (i) में कुछ भी किसी मृत संयुक्त धारक की संपत्ति को किसी भी शेयर के संबंध
	में किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा जो उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

 •	1	
		(i) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणाम में हिस्से का हकदार बनने
		वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर
		उचित रूप से आवश्यक हो और विषय, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है,
		चुनाव कर सकता है, या तो-
		(क) खुद को शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होना; या
		(ख) शेयर का ऐसा हस्तांतरण करने के लिए जैसा कि मृतक या दिवालिया सदस्य कर
		सकता था।
		(ii) बोर्ड को, किसी भी मामले में, पंजीकरण को अस्वीकार करने या निलंबित करने
		का वही अधिकार होगा जैसा कि उसके पास होता, यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने
		अपनी मृत्यु या दिवालिया होने से पहले शेयर को स्थानांतरित कर दिया था।
		(i) यदि इस प्रकार हकदार होने वाला व्यक्ति स्वयं शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने
		का चुनाव करेगा, तो वह कंपनी को लिखित रूप में अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक
		नोटिस भेजेगा, जिसमें कहा गया है कि वह ऐसा करता है।
		(ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति शेयर को स्थानांतरित करने का चुनाव करेगा, तो वह शेयर के
		हस्तांतरण को निष्पादित करके अपने चुनाव की गवाही देगा।
		(iii) शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार और हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित इन
		नियमों की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान पूर्वोक्त किसी भी नोटिस या
		हस्तांतरण पर लागू होंगे जैसे कि सदस्य की मृत्यु या दिवालिया नहीं हुआ था और
		नोटिस या स्थानांतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित स्थानांतरण था।
		धारक की मृत्यु या दिवालिया होने के कारण शेयर का हकदार बनने वाला व्यक्ति
		उन्हीं लाभांशों और अन्य लाभों का हकदार होगा जिनके वह हकदार होता अगर वह
		शेयर का पंजीकृत धारक होता, सिवाय इसके कि वह इससे पहले नहीं होगा शेयर के
		संबंध में एक सदस्य के रूप में पंजीकृत होने के नाते, कंपनी की बैठकों के संबंध में
		सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए इसके संबंध में
		हकदार होंगे:
		बशर्ते कि बोर्ड किसी भी समय नोटिस दे सकता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को या तो खुद
		को पंजीकृत होने या शेयर को स्थानांतरित करने के लिए चुनने की आवश्यकता है,
		और यदि नोटिस का पालन नब्बे दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो बोर्ड उसके
		बाद सभी लाभांश बोनस या शेयर के संबंध में देय अन्य धन के भुगतान को रोक प्रकटर है जब बन कि रोगिए की अप्रेथ्मओं का अप्राप्य नहीं किएम जाता है।
		सकता है जब तक कि नोटिस की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है।

	एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में-
	(i) एकमात्र सदस्य की मृत्यु पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसे
	कंपनी द्वारा सदस्य के सभी शेयरों के स्वामित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है;
	(ii) सदस्य की मृत्यु के मामले में नामित व्यक्ति को ऐसे शेयरों का हकदार बनने पर
	कंपनी के बोर्ड द्वारा ऐसी घटना के बारे में सूचित किया जाएगा;
	(iii) ऐसा नामिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और देनदारियों का हकदार
	होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार या उत्तरदायी था;
	(iv) सदस्य बनने पर, ऐसा नामित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की पूर्व लिखित सहमति से
	किसी अन्य व्यक्ति को नामित करेगा, जो सदस्य की मृत्यु की स्थिति में कंपनी का
	सदस्य बन जाएगा।
	शेयरों की जब्ती
	यदि कोई सदस्य किसी मांग या मांग की किस्त का भुगतान करने के लिए नियत दिन
	पर भुगतान करने में विफल रहता है, तो बोर्ड उसके बाद किसी भी समय ऐसे समय के
	दौरान जब मांग या किस्त का कोई भी हिस्सा बकाया रहता है, तो उसे नोटिस जारी
	कर सकता है। मांग या किस्त का इतना भुगतान करने की आवश्यकता है जो कि
	भुगतान नहीं किया गया है, साथ में कोई ब्याज जो अर्जित हो सकता है।
	पूर्वोक्त नोटिस -
	(क) एक और दिन का नामकरण करेगा (नोटिस की तामील की तारीख से चौदह दिनों
	की समाप्ति से पहले नहीं होना चाहिए) जिस दिन को या उससे पहले नोटिस द्वारा
	आवश्यक भुगतान किया जाना है; तथा
	5 ~ 1
	(ख) यह बताएगा कि, इस प्रकार नामित दिन को या उससे पहले भुगतान न करने की
	स्थिति में, जिन शेयरों के संबंध में मांग की गई थी, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
	ात्यात म, जिन रायरा क तथव म मान का गई था, उन्ह जब्द कर लिया जाएगा।
	यदि पूर्वोक्त किसी भी नोटिस की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कोई
	भी शेयर जिसके संबंध में नोटिस दिया गया है, उसके बाद किसी भी समय, नोटिस के
	ना रायर जिसक संबंध में नाटिस दिया गया ह, उसक बोद किसा मा समय, नाटिस क लिए आवश्यक भुगतान किए जाने से पहले बोर्ड द्वारा एक संकल्प द्वारा जब्त किया
	ालेए जायरयेथे मुगताने किए जाने ते पहले बाँड द्वारी एक तकल्प द्वारी जब्दा किया जा सकता है।
	(i) एक ज़ब्त किए गए शेयर को ऐसी शर्तों पर और इस तरह से बेचा जा सकता है या
	अन्यथा निपटाया जा सकता है जैसे बोर्ड ठीक समझे।

	(ii) पूर्वोक्त रूप में बिक्री या निपटान से पहले किसी भी समय, बोर्ड जब्ती को ऐसी शर्तों पर रद्द कर सकता है जो वह उचित समझे।
	(i) एक व्यक्ति जिसके शेयर ज़ब्त कर लिए गए हैं, ज़ब्त किए गए शेयरों के संबंध में सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन ज़ब्ती के बावजूद, कंपनी को उस सभी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेगा, जो कि जब्ती की तारीख में, वर्तमान में उसके द्वारा शेयरों के संबंध में कंपनी को देय थे। (ii) ऐसे व्यक्ति का दायित्व तब समाप्त हो जाएगा जब कंपनी को शेयरों के संबंध में
	ऐसे सभी धन का पूरा भुगतान प्राप्त हो जाएगा। (i) लिखित रूप में एक विधिवत सत्यापित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक या सचिव है, और यह कि कंपनी में एक शेयर को घोषणा में बताए गए दिनांक पर विधिवत जब्त कर लिया गया है, शेयर के हकदार होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के विरूद्ध बताए गए तथ्यों का निर्णायक साक्ष्य होगा।
	(ii) कंपनी किसी भी बिक्री या निपटान पर शेयर के लिए दिए गए विचार, यदि कोई हो, प्राप्त कर सकती है और उस व्यक्ति के पक्ष में शेयर का हस्तांतरण निष्पादित कर सकती है जिसे शेयर बेचा या निपटाया जाता है;
	(iii) इसके बाद अंतरिती को शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा; तथा (iv) अंतरिती खरीद धन के आवेदन यदि कोई हो, को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा, और न ही शेयर के लिए उसका शीर्षक जब्ती, बिक्री या निपटान के संदर्भ में कार्यवाही में किसी अनियमितता या अमान्यता से प्रभावित होगा।
	जब्ती के संबंध में इन विनियमों के प्रावधान किसी राशि का भुगतान न करने की स्थिति में लागू होंगे, जो शेयर जारी करने की शर्तों के अनुसार, एक निश्चित समय पर देय हो जाता है, चाहे वह शेयर के नाममात्र मूल्य के कारण हो या प्रीमियम का तरीका, जैसे कि विधिवत किए गए और अधिसूचित मांग के आधार पर देय हो। <b>प्रंजी</b> का परिवर्तन
	्रूज़/ का परिवतन कंपनी, समय-समय पर, सामान्य संकल्प द्वारा, शेयर पूंजी को इतनी राशि से बढ़ा सकती है, जिसे उस राशि के शेयरों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि संकल्प में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
	धारा 61 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी सामान्य संकल्प द्वारा, -

	(क) अपनी सभी या किसी भी शेयर पूंजी को अपने मौजूदा शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों में समेकित और विभाजित करें;
	(ख) अपने सभी या पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित करें, और उस स्टॉक को किसी भी मूल्यवर्ग के पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों में परिवर्तित करें;
	(ग) अपने मौजूदा शेयरों या उनमें से किसी को ज्ञापन द्वारा तय की गई छोटी राशि के शेयरों में उप-विभाजित करें;
	(घ) किसी भी शेयर को रद्द करें, जो संकल्प के पारित होने की तारीख में, किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया है या लेने के लिए सहमत नहीं है।
	जहां शेयरों को स्टॉक में बदला जाता है, —
	(क) स्टॉक के धारक उसी या उसके किसी भी हिस्से को उसी तरीके से स्थानांतरित कर सकते हैं, और उन्हीं विनियमों के अधीन, जिनके तहत, जिन शेयरों से स्टॉक उत्पन्न हुआ था, उन्हें परिवर्तन से पहले, या उसके निकट के रूप में परिस्थितियाँ स्वीकार करती हैं: स्थानांतरित किया जा सकता था।
	बशर्ते कि बोर्ड समय-समय पर, हस्तांतरणीय स्टॉक की न्यूनतम राशि तय कर सकता है, हालांकि, यह न्यूनतम राशि उन शेयरों की नाममात्र राशि से अधिक नहीं होगी जिनसे स्टॉक उत्पन्न हुआ था।
	(ख) स्टॉक धारकों के पास उनके द्वारा रखे गए स्टॉक की मात्रा के अनुसार, लाभांश के संबंध में, कंपनी की बैठकों में मतदान और अन्य मामलों के समान अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे होंगे, जैसे कि उनके पास शेयर थे जिनमें से स्टॉक उठ गया; लेकिन ऐसा कोई विशेषाधिकार या लाभ (कंपनी के लाभांश और लाभ और समापन पर परिसंपत्तियों में भागीदारी को छोड़कर) स्टॉक की एक राशि द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा, जो शेयरों में मौजूद होने पर, उस विशेषाधिकार या लाभ को प्रदान नहीं करता।
	(ग) कंपनी के ऐसे विनियम जो प्रदत्त शेयरों पर लागू होते हैं, स्टॉक पर लागू होंगे और उन विनियमों में "शेयर" और "शेयरधारक" शब्दों में क्रमशः "स्टॉक" और "स्टॉक- धारक" शामिल होंगे।

	1
	कंपनी, विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी तरह से और कानून द्वारा आवश्यक किसी भी
	घटना को अधिकृत और सहमति के अधीन कम कर सकती है, -
	(क) यह शेयर पूंजी;
	(ख) कोई पूंजी मोचन आरक्षित खाता; या (ग) कोई शेयर प्रीमियम खाता।
	लाभ का पूंजीकरण
	(i) कंपनी आम बैठक में, बोर्ड की सिफारिश पर, संकल्प कर सकती है-
	(क) कि कंपनी के किसी भी आरक्षित खाते के क्रेडिट के लिए, या लाभ और हानि खाते
	के क्रेडिट के लिए, या वितरण के लिए अन्यथा उपलब्ध राशि के किसी भी हिस्से को
	पूंजीकृत करना वांछनीय है; तथा
	(ख) कि ऐसी राशि तदनुसार खंड (ii) में निर्दिष्ट तरीके से उन सदस्यों के बीच वितरण
	के लिए मुक्त की जाती है जो इसके हकदार होते, यदि लाभांश के रूप में और उसी
	अनुपात में वितरित किए जाते हैं।
	(ii) पूर्वोक्त राशि का भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा, लेकिन लागू किया जाएगा,
	खंड (iii) में निहित प्रावधान के अधीन, या तो –
	(क) ऐसे सदस्य द्वारा क्रमशः आयोजित किसी भी शेयर पर अवैतनिक किसी भी राशि
	का भुगतान;
	् (ख) पूर्वोक्त अनुपात में ऐसे सदस्यों को और उनके बीच आवंटित और वितरित किए
	जाने वाले कंपनी के पूर्ण रूप से जारी किए गए शेयरों का भुगतान, पूरी तरह से
	भुगतान किए गए के रूप में जमा;
	ु (ग) आंशिक रूप से उप में निर्दिष्ट तरीके से -खंड (क) और आंशिक रूप से उप-खंड
	(ख) में निर्दिष्ट तरीके;
	(घ) एक प्रतिभूति प्रीमियम खाता और एक पूंजी मोचन आरक्षित खाता, इस
	विनियमन के प्रयोजनों के लिए, बिना जारी किए गए शेयरों के भुगतान में लागू किया
	जा सकता है कंपनी के सदस्यों को पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप
	में जारी किया जाएगा; (ड.) बोर्ड इस विनियमन के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित
	संकल्प को प्रभावी करेगा।
	(i) जब भी पूर्वोक्त जैसा संकल्प पारित किया जाएगा, बोर्ड-
	(क) अविभाजित लाभ को पूंजीकृत करने के लिए सभी विनियोग और आवेदनों को

	करेगा, और सभी आवंटन और पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के मुद्दे, यदि कोई हों; और
	(ख) आम तौर पर सभी कार्यों और चीजों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक चीजें करेगा।
	(ii) बोर्ड के पास शक्ति होगी-
	(क) अंशों में वितरण योग्य होने वाले शेयरों के मामले में आंशिक प्रमाण पत्र जारी
	करके या नकद में भुगतान करके या अन्यथा जैसा उचित समझे, ऐसे प्रावधान करना;
	और
	(ख) किसी भी व्यक्ति को उसके हकदार सभी सदस्यों की ओर से कंपनी के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करने के लिए क्रमशः उन्हें आवंटित करने के
	लिए प्रदान किया जाता है, जिसे पूरी तरह से भुगतान के रूप में जमा किया जाता है,
	जिसके लिए वे हो सकते हैं। इस तरह के पूंजीकरण के हकदार हैं, या जैसा कि मामला
	आवश्यक हो सकता है, कंपनी द्वारा उनकी ओर से भुगतान के लिए, लाभ के उनके
	संबंधित अनुपात के पूंजीकृत होने के लिए हल किए गए आवेदन द्वारा मौजूदा शेयर,
	राशि या शेष राशि के किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया जा सकता है।
	(iii) ऐसे प्राधिकार के तहत किया गया कोई भी समझौता ऐसे सदस्यों के लिए प्रभावी
	और बाध्यकारी होगा।
	शेयरों का पुन क्रम
	इन लेखों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, लेकिन धारा 68 से 70 के प्रावधानों
	और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधान या किसी अन्य कानून के लागू होने के
	अधीन, कंपनी अपने स्वयं के शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद कर सकती के
	है। आम बैठकें
	आग पठम वार्षिक आम बैठक के अतिरिक्त अन्य सभी आम बैठकों को असाधारण आम बैठक कहा
	जाएगा।
	(i) बोर्ड, जब भी वह उचित समझे, एक असाधारण आम बैठक बुला सकता है।
	(ii) यदि किसी भी समय कार्य करने में सक्षम निदेशक, जो कोरम बनाने के लिए
	पर्याप्त संख्या में हैं, भारत के भीतर नहीं हैं, तो कोई भी निदेशक या कंपनी के दो
	सदस्य उसी तरीके से एक असाधारण आम बैठक, जितना संभव हो सके, बुला सकते हैं
	जैसी कि बोर्ड द्वारा वेसी बैठक बुलाई जा सकती है।
	जैसी कि बोर्ड द्वारा वेसी बैठक बुलाई जा सकती है।

	सदस्यों की एक कोरम उस समय मौजूद न हो जब बैठक व्यवसाय के लिए आगे बढ़ती है।
	(ii) यहां अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, आम बैठकों के लिए कोरम धारा 103 में प्रदान किया जाएगा।
	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी की प्रत्येक आम बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।
	यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है, या यदि वह बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय
	के पंद्रह मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होता है, या बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य
	करने के लिए तैयार नहीं है, तो उपस्थित निदेशक अपने सदस्यों में से एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।
	यदि किसी बैठक में कोई निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है या यदि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय के पंद्रह मिनट के भीतर कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।
	एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में-
	(i) कंपनी की आम बैठक में पारित करने के लिए आवश्यक संकल्प को पारित माना जाएगा यदि संकल्प को एकमात्र सदस्य द्वारा सहमति दी गई है और कंपनी को सूचित किया गया है और धारा 118 के तहत बनाए गए कार्यवृत्त को पुस्तिका में दर्ज किया गया है;
	(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होगी और दिनांकित होगी; (iii) संकल्प एकमात्र सदस्य द्वारा ऐसे कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने की तिथि प्रभावी होगा।
	बैठक का स्थगन
	(i) अध्यक्ष, किसी भी बैठक की सहमति से, जिसमें एक कोरम मौजूद है, और यदि बैठक द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो बैठक को समय-समय पर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थगित कर सकता है।
	(ii) जिस बैठक से स्थगन हुआ था, उस बैठक में अपूर्ण व्यवसाय के अतिरिक्त किसी भी स्थगित बैठक में कोई व्यवसाय नहीं किया जाएगा।

	(iii) जब कोई बैठक तीस दिन या उससे अधिक के लिए स्थगित की जाती है, तो स्थगित बैठक की सूचना वैसी ही दी जाएगी जैसी मूल बैठक के मामले में दी जाती है।
	(iv) पूर्वोक्त के अतिरिक्त, और जैसा कि अधिनियम की धारा 103 में प्रदान किया गया है, स्थगित बैठक में किए जाने वाले स्थगन या व्यवसाय के बारे में कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा।
	मताधिकार
	शेयरों के किसी वर्ग या वर्गों के साथ कुछ समय के लिए संलग्न किन्हीं अधिकारों या प्रतिबंधों के अधीन, -
	(क) हाथ दिखाने पर, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा; और
	(ख) मतदान पर, सदस्यों के वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उसके हिस्से के अनुपात में होंगे।
	एक सदस्य बैठक में धारा 108 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकता है और केवल एक बार मतदान करेगा।
	(i) संयुक्त धारकों के मामले में, वरिष्ठ व्यक्ति का वोट, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा वोट देता है, अन्य संयुक्त धारकों के वोटों को छोड़कर स्वीकार किया जाएगा।
	(ii) इस प्रयोजन के लिए, वरिष्ठता का निर्धारण उस क्रम से किया जाएगा जिसमें सदस्यों के नाम रजिस्टर में दर्ज हैं।
	एक विकृत दिमाग वाला सदस्य, या जिसके संबंध में पागलपन में अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, चाहे उसके हाथ दिखाने पर या मतदान पर, उसकी समिति या अन्य कानूनी अभिभावक द्वारा, और ऐसी किसी भी समिति या अभिभावक द्वारा मतदान पर, प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं।
	इसके अतिरिक्त कोई भी व्यवसाय जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान के लंबित रहने तक आगे जारी रखा जा सकता है।
	कोई भी सदस्य किसी भी आम बैठक में वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि कंपनी में शेयरों के संबंध में उसके द्वारा वर्तमान में देय सभी मांगों या अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

	(i) किसी बैठक या स्थगित बैठक को छोड़कर किसी भी मतदाता की योग्यता पर कोई
	आपत्ति नहीं उठाई जाएगी, जिसमें वोट देने या प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई गई है,
	और ऐसी बैठक में अस्वीकार नहीं किया गया प्रत्येक वोट सभी उद्देश्यों के लिए मान्य
	होगा।
	(ii) नियत समय में की गई ऐसी कोई भी आपत्ति, बैठक के अध्यक्ष को संदर्भित की
	जाएगी, जिसका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।
	प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा
	प्रॉक्सी के एक उपाय की शर्तों के अनुसार दिया गया वोट मान्य होगा, भले ही
	प्रिंसिपल (मूल आवेदक) की पहले ही मृत्यु के मामले में या पागलपन या प्रॉक्सी या
	उस प्राधिकरण का निरसन हो जिसके तहत प्रॉक्सी को निष्पादित किया गया था, या
	शेयरों का हस्तांतरण किया गया था, जिसके संबंध में प्रॉक्सी दी गई थी:
	रायरा फा हत्तातरण फिया गया था, जिसक संबंध में प्रायसा दा गई था.
	बशर्ते कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, निरसन या स्थानांतरण की लिखित में कोई सूचना
	कंपनी द्वारा अपने कार्यालय में बैठक या स्थगित बैठक जिसमें प्रॉक्सी का उपयोग
	किया गया है के शुरू होने से पहले प्राप्त नहीं की गई हो।
	परोक्षी (प्रॉक्सी)
	प्रॉक्सी और मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो नियुक्त करने वाला कोई
	उपाय, जिसके तहत यह हस्ताक्षरित है या उस शक्ति या प्राधिकार की नोटरीकृत प्रति
	है, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक या स्थगित बैठक आयोजित करने का समय से
	कम से कम 48 घंटे पहले जमा की जाएगी जिसमें लिखत में नामित व्यक्ति मतदान
	करने का प्रस्ताव करता है, या, मतदान के मामले में, मतदान करने के लिए नियत
	समय से कम से कम 24 घंटे पहले जमा किया जाएगा; और डिफ़ॉल्ट रूप से प्रॉक्सी के
	उपाय को वैध नहीं माना जाएगा।
	एक प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला एक साधन धारा 105 के तहत बनाए गए नियमों में
	निर्धारित किए प्ररूप में होगा।
	प्रॉक्सी के एक साधन की शर्तों के अनुसार दिया गया वोट, प्रिंसिपल (आवेदक) की
	पिछली मृत्यु या पागलपन या प्रॉक्सी के निरसन या प्राधिकार के तहत जिसके तहत
	प्रॉक्सी को निष्पादित किया गया था, या शेयरों के हस्तांतरण जिसके संबंध में प्रॉक्सी
	टिया गया है के तातज़्द तैश होगा
	दिया गया है के बावजूद वैध होगा:
	दिया गया है के बावजूद वैध होगा: बशर्ते कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, निरसन या स्थानांतरण की कोई लिखित सूचना कंपनी द्वारा अपने कार्यालय में बैठक या स्थगित बैठक जिसमें प्रॉक्सी का उपयोग

	किया जाता है के शुरू होने से पहले प्राप्त नहीं की जाएगी।
	निदेशक मंडल
	निदेशकों की संख्या और प्रथम निदेशकों के नाम ज्ञापन के अभिदाताओं या उनमें से अधिसंख्या द्वारा लिखित रूप में निर्धारित किए जाएंगे।
	(i) निदेशकों का पारिश्रमिक, जहां तक कि इसमें मासिक भुगतान शामिल है, दिन- प्रतिदिन अर्जित माना जाएगा।
	(ii) अधिनियम के अनुसरण में उन्हें देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त, निदेशकों को उनके
	द्वारा किए गए सभी यात्रा, होटल और अन्य खर्चों का भुगतान उचित रूप से किया जा सकता है-
	ागणा ठ- (क) निदेशक मंडल की बैठकों या किसी भी उसकी समिति या कंपनी की आम बैठक में
	भाग लेने और लौटने में; या (ख) कंपनी के कारोबार के संबंध में।
	माग लग जार लाटग म, पा (ख) कवना क काराबार क राषव मा
	बोर्ड कंपनी को खड़ा करने और पंजीकृत करने में होने वाले सभी खर्चों का भुगतान कर सकता है।
	कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने के संबंध में धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर
	सकती है; और बोर्ड (उस धारा के प्रावधानों के अधीन) ऐसे किसी भी रजिस्टर को
	रखने के संबंध में ऐसे विनियम बना सकता है और बदल सकता है जो वह ठीक समझे।
	सभी चेक, प्रॉमिसरी नोट, ड्राफ्ट, <i>हुंडी</i> , एक्सचेंज के बिल और अन्य परक्राम्य लिखत,
	और कंपनी को भुगतान किए गए धन की सभी रसीदें, जैसा भी मामला हो, ऐसे
	व्यक्ति और इस तरह से जिसे हस्ताक्षरित, तैयार, स्वीकृत, पृष्ठांकित या अन्यथा
	निष्पादित की जाएंगी। बोर्ड समय-समय पर संकल्प द्वारा निर्धारित करेगा।
	बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित प्रत्येक निदेशक उस
	प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तक में अपने हस्ताक्षर करेगा।
	(i) धारा 149 के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड के पास किसी भी समय, और समय-समय
	पर, एक व्यक्ति को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी,
	बशर्ते निदेशकों और अतिरिक्त निदेशकों दोनों की संख्या किसी भी समय आर्टिकलों द्वारा बोर्ड के लिए निर्धारित अधिकतम क्षमता से अधिक नहीं होगी।
	(ii) ऐसा व्यक्ति कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद धारण रहे पर लेकिन अधिनियम के प्रानंधन में के अधीन उम्ह नैयन में नंगरी त्याप निवेधन के
	करेगा लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उस बैठक में कंपनी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
	ल्प म ।पत्रु। सम्पर्भ रात्र हागा।

	बोर्ड की कार्यवाही
	(i) निदेशक मंडल व्यवसाय के संचालन, अपनी बैठकों को स्थगित और अन्यथा विनियमित करने, जैसा वह उचित समझे, के लिए बैठक कर सकता है। (ii) एक निदेशक, और निदेशक की मांग पर प्रबंधक या सचिव, किसी भी समय, बोर्ड की बैठक बुला सकता है।
	(i) अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, बोर्ड की किसी भी बैठक में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय बहुमत से किया जाएगा। (ii) मतों की समानता के मामले में, बोर्ड के अध्यक्ष, यदि कोई हो, का दूसरा या निर्णायक मत होगा।
	बोर्ड में किसी रिक्ति के होते हुए भी पिछले समय कार्यरत निदेशक कार्य कर सकते हैं; लेकिन, यदि और जिस अवधि तक उनकी संख्या बोर्ड की बैठक के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित कोरम से कम कर दी जाती है, तो कार्यरत निदेशक या निदेशक, निदेशकों की संख्या को कोरम के लिए निर्धारित संख्या तक बढ़ाने के या कंपनी की एक आम बैठक बुलाने के, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, उद्देश्य से कार्य कर सकते हैं।
	(i) बोर्ड अपनी बैठकों के अध्यक्ष का चुनाव कर सकता है और उस अवधि का निर्धारण कर सकता है जिसके लिए उसे पद धारण करना है। (ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, या यदि किसी बैठक में अध्यक्ष बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय के बाद पांच मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित निदेशक अपनी संख्या में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।
	(i) बोर्ड, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अपनी किसी भी शक्ति को, ऐसे सदस्य या उसके निकाय के सदस्यों से मिलकर बनी समितियों को सौंप सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। (ii) इस प्रकार गठित कोई भी समिति, इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड द्वारा उस पर लगाए जा सकने वाले किसी भी विनियम के अनुरूप होगी।
	(i) एक समिति अपनी बैठकों के अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है।
	(ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, या यदि किसी बैठक में अध्यक्ष बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय के बाद पांच मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य, अपने सदस्यों में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	(i) एक समिति बैठक कर सकती है और स्थगित कर सकती है जैसा वह उचित समझे। (ii) समिति की किसी भी बैठक में उठने वाले प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।
	बोर्ड या उसकी समिति या निदेशक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी बैठक में किए गए सभी कार्य, भले ही बाद में यह पता चल सके कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की नियुक्ति में कोई दोष था या पूर्वोक्त के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, या कि वे या उनमें से कोई भी अयोग्य था, उतने ही मान्य होंगे जैसे कि ऐसा प्रत्येक निदेशक या ऐसा व्यक्ति विधिवत रूप से नियुक्त किया गया हो और निदेशक बनने के लिए योग्य रहा हो।
	अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, बोर्ड या समिति की एक बैठक के नोटिस प्राप्त करने के हकदार होने के लिए बोर्ड या उसकी समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित संकल्प वैध और प्रभावी होगा जैसे कि वह बोर्ड या समिति की विधिवत बुलाई गई और आयोजित बैठक में पारित किया गया हो।
	एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में- (i) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है, बोर्ड की बैठक में किए जाने वाले सभी व्यवसायों को धारा 118 के तहत अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किया जाएगा; (ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका पर निदेशक द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे; (iii) संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्तों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी
	अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, -

<u>т</u>	
	<ul> <li>(i) एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को बोर्ड द्वारा ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकता है जो वह ठीक समझे; और इस प्रकार नियुक्त किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को बोर्ड के एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है;</li> <li>(ii) एक निदेशक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है</li> </ul>
	एक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा अधिनियम या इन विनियमों के प्रावधान द्वारा किसी चीज़ को करने के लिए इसे अधिकृत करने के लिए दोनों को कार्य करने वाले निदेशक के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में या के स्थान पर एक ही व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा किए जाने से संतुष्ट नहीं होगा।
	<i>मुहर</i>
	(i) बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा। (ii) कंपनी की मुहर जब तक कि बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत बोर्ड की एक समिति के प्रस्ताव के अधिकार के अतिरिक्त, और कम से कम दो निदेशकों की उपस्थिति को छोड़कर और सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति का जिसे बोर्ड इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे किसी भी उपकरण पर नहीं लगाई जाएगी; और वे दो निदेशक और सचिव या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति हर उस लिखत पर हस्ताक्षर करेंगे जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुहर इस प्रकार लगाई गई है।
	लाभांश और रिजर्व
	कंपनी आम बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है, लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा।
	धारा 123 के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड समय-समय पर सदस्यों को ऐसे अंतरिम लाभांश का भुगतान कर सकता है जो कंपनी के लाभ से उचित प्रतीत होते हैं।
	(i) बोर्ड, किसी भी लाभांश की सिफारिश करने से पहले, कंपनी के लाभ में से ऐसी रकम को अलग रख सकता है, जिसे वह रिजर्व या आरक्षित के रूप में उचित समझता है, जो कि बोर्ड के विवेक पर, किसी भी उद्देश्य के लिए लागू होगा। कंपनी के लाभ को ठीक से लागू किया जा सकता है, जिसमें आकस्मिकताओं को पूरा करने या लाभांश को

	बराबर करने का प्रावधान शामिल है; और इस तरह के आवेदन के लंबित होने पर, समान विवेक पर, या तो कंपनी के व्यवसाय में नियोजित किया जा सकता है या ऐसे निवेशों (कंपनी के शेयरों के अतिरिक्त) में निवेश किया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड समय-समय पर उचित समझे।
	(ii) बोर्ड ऐसे किसी भी लाभ को आगे बढ़ा सकता है जिसे वह आरक्षित के रूप में अलग रखे बिना विभाजित नहीं करना आवश्यक समझे।
	<ul> <li>(i) लाभांश के रूप में विशेष अधिकारों के साथ शेयरों के हकदार व्यक्तियों के अधिकारों, यदि कोई हो, के अधीन, सभी लाभांश घोषित और भुगतान की गई राशि के अनुसार भुगतान किए गए या जमा किए गए शेयरों के संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यदि और जब तक कंपनी में किसी भी शेयर पर कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता है, लाभांश घोषित किया जा सकता है और शेयरों की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है, लाभांश घोषित किया जा सकता है और शेयरों की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है, लाभांश घोषित किया जा सकता है और शेयरों की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है, लाभांश घोषित किया जा सकता है और शेयरों की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जा सकता है।</li> <li>(ii) मांग के अग्रिम में शेयर पर भुगतान के रूप में भुगतान या जमा की गई किसी भी राशि को इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए शेयर पर भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा।</li> <li>(iii) सभी लाभांशों का विभाजन और भुगतान उस अवधि के किसी हिस्से या हिस्से के दौरान शेयरों पर भुगतान या जमा की गई राशि के अनुपात में किया जाएगा, जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया गया है; लेकिन अगर कोई शेयर इस शर्त पर जारी किया जाता है कि यह किसी विशेष तारीख से लाभांश के लिए क्रमबद्ध करेगा तो ऐसा शेयर तदनुसार लाभांश के लिए क्रमबद्ध करेगा।</li> </ul>
	बोर्ड कंपनी के शेयरों के संबंध में मांग या अन्यथा कंपनी को उसके द्वारा वर्तमान में देय धन की राशि से, यदि कोई हो, तो किसी भी सदस्य को देय किसी भी लाभांश से
	कटौती कर सकता है।
	(i) शेयरों के संबंध में नकद में देय किसी भी लाभांश, ब्याज या अन्य धनराशि का भुगतान चेक या वारंट द्वारा धारक के पंजीकृत पते पर डाक से अथवा संयुक्त धारकों के मामलों में, संयुक्त धारकों में से एक जिसका सदस्यों के रजिस्टर में सबसे पहले नाम है, या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पते पर जो धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में निर्देशित करें, कर सकते हैं। (ii) ऐसा प्रत्येक चेक या वारंट उस व्यक्ति के आदेश पर देय होगा जिसे इसे भेजा गया है।

	एक शेयर के दो या दो से अधिक संयुक्त धारकों में से कोई भी ऐसे शेयर के संबंध में देय किसी भी लाभांश, बोनस या अन्य धन के लिए प्रभावी रसीदें दे सकता है।
	घोषित किए गए किसी भी लाभांश की सूचना, अधिनियम में उल्लिखित तरीके से उसमें हिस्सा लेने के हकदार व्यक्तियों को दी जाएगी।
	कंपनी द्वारा किसी भी लाभांश पर ब्याज देय नहीं होगा।
	लेखे
	(i) बोर्ड समय-समय पर यह निर्धारित करेगा कि क्या और किस हद तक और किस समय और स्थानों पर और किन शर्तों या विनियमों के तहत, कंपनी के खाते और बहियां, या उनमें से कोई भी, निदेशक न होते हुए भी सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। (ii) किसी भी सदस्य (निदेशक न होते हुए) को बिना कानून द्वारा या बोर्ड द्वारा या कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में अधिकृत किए जाने के कंपनी के किसी भी खाते या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा,
	समापन
	अधिनियम के अध्याय XX के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अध्यधीन- (i) यदि कंपनी का परिसमापन होना है, तो परिसमापक, कंपनी के एक विशेष संकल्प की स्वीकृति और अधिनियम द्वारा आवश्यक किसी अन्य मंजूरी के साथ, सदस्यों के बीच, मुद्रा या वस्तु में, कंपनी की संपत्ति या किसी भी हिस्से को, चाहे वह एक ही प्रकार की संपत्ति है या नहीं, विभाजित कर सकता है।
	<ul> <li>(ii) पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए, परिसमापक इस तरह के मूल्य को निर्धारित कर सकता है जैसा कि वह पूर्वोक्त रूप से विभाजित की जाने वाली किसी संपत्ति पर उचित समझता है और यह निर्धारित कर सकता है कि सदस्यों या सदस्यों के विभिन्न वर्गों के बीच इस तरह का विभाजन कैसे किया जाएगा।</li> <li>(iii) परिसमापक, इस तरह की मंजूरी के साथ, अंशदायियों के लाभ के लिए ऐसे ट्रस्टों में ट्रस्टियों में संपत्तियों को पूरी तरह से या उसके किसी भी हिस्से को निहित कर</li> </ul>

	सकता है, यदि वह आवश्यक समझता है, लेकिन किसी भी सदस्य को किसी भी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जिन पर कोई देयता है को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
	क्षतिपूर्ति
	कंपनी के प्रत्येक अधिकारी को किसी भी कार्यवाही, चाहे सिविल या आपराधिक, जिसमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया हो या जिसमें वह बरी हो गया हो या जिसमें अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा राहत मिली हो, का बचाव करने में उसके द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के विरुद्ध कंपनी की संपत्ति से क्षतिपूर्ति की जाएगी।
	अन्य

## अभिदाता का विवरण

क्रमांक	अभिदाता का विवरण				
	नाम, पता, विवरण और	डीआईएन / पैन /	स्थान	डीएससी	दिनांक
	व्यवसाय	पासपोर्ट नंबर			
1.					
2					

		मेरे सामन	ने हस्ताक्षर किए			
पूर्व नाम	*साक्ष्य	∗पता, विवरण	*डीआईएन/पैन/पासपोर्ट	*स्थान	डीएससी	दिनांक
(एसीए/एफसीए/एसीएस/	का नाम	और व्यवसाय	नंबर/सदस्यता संख्या			
एफसीएस/एसीएमए/एफसीएमए)						

संलग्नक

प्रथम अभिदाता शीट

अधिकतम २ एमबी फाइल चुने हटाएं डाउनलोड

### घोषणा

में, निदेशक मंडल की ओर से संकल्प संख्या	दिनांक,	के अनुसार
घोषणा करता हूं कि संस्था के अंतर्नियमों में निम्नलिखि	त संशोधनों को अपनाया गया है:	-

डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित	
नाम	
	निदेशक
पदनाम	
डीआईएन	
डीएससी	डीएससी बॉक्स



[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 38क के अनुसरण में] ।	सत्यमेव जयते	(वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रजिस्ट्रीकरण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन)
-----------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### (यह एजीआईएलई-प्रो प्ररूप जीएसटीआईएन/ईपीएफओ/ईएसआईसी के लिए स्पाइस+ ई-प्ररूप का भाग है)

- 1. \*क्या आप जीएसटीआईएन के लिए आवेदन करना चाहते हैं? O हां O नहीं
- 2. \*राज्य (स्पाइस+ में प्रविष्टि किए गए अनुसार) .....
- 3. \*जिला (स्पाइस+ में प्रविष्टि किए गए अनुसार) .....
- 4. \*राज्य क्षेत्राधिकार .....
  - \*सेक्टर/सर्किल/वार्ड/चार्ज/इकाई .....

प्रभाग .....

रैंज .....

6. \*रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के कारण ...... (स्वैच्छिक)

\*क्या संस्थान पट्टे पर है
 0 हां 0 नहीं

\*पट्टे की अवधि ..... से ..... तक

7 (क) \*परिसर के अधिग्रहण का स्वरूप .....

(स्वामित्व/पट्टे पर/किराये पर/सहमति/साझी/अन्य)

(ख) \*व्यवसाय के मूल स्थान का प्रमाण .....

संपत्ति कर की पावती (टीएएक्सआर)/निगम खाता नियम (सीएमयूके), बिजली बिल (ईएलसीबी)/किराया/बट्टा करार (आरएलएटी)/स्वीकृति पत्र (सीएनएलआर)/किराया पावती एनओसी के साथ(नहीं या कालांतित करार के मामले में), विधि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलओडब्ल्यूएन)

व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र का प्रमाणपत्र ..... फाइल चूने हटाएं डाउनलोड

(ग) \*क्या संस्थान का भवन/परिसर निजी है या किराए पर है .....

\*यदि किराए पर है या इकाई/स्वामित्व के नाम में बदलाव है,

कृपया दर्शाएं .....

\*पट्टे की अवधि ..... से ..... से ....

- 8. \*संयोजन हेत् विकल्प O हां O नहीं
- (क) संयोजन की घोषणा
  - मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त व्यवसाय संयोजन कराधार के तहत आयकर देने के लिए इस अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और बाध्यताओं का पालन करेगा।

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की श्रेणी

• गैर अधिसूचित वस्तुओं का निर्माता

- खादय और गैर-मादक पेय वितरक
- कोई अन्य पात्र वितरक
- 9. \*उपर्युक्त परिसर में की जाने वाले व्यवसायिक कार्यकलापों का स्वरूप (कृपया जो लागू है, उस पर निशान लगाएं)
- 9(क) \*प्राथमिक व्यवसाय कार्यकलाप.....

\*यदि अन्य का चयन किया गया है, तो कृपया इसका उल्लेख करें .....

- (ख) \*कार्य/व्यवसाय की वास्तविक प्रकृति .....
  - \*कार्य उप-श्रेणी .....

\*व्यवसाय कार्य की प्रकृति .....

10. व्यवसाय द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण

एचएसएन कोड (चार अंक) .....

वस्तुओं के ब्यौरे .....

11. \*व्यवसाय द्वारा वितरित की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे .....

सेवा लेखांकन कोड .....

सेवाओं का विवरण .....

12. निदेशकों/प्राथमिक स्वामियों/पदधारी एवं अन्य कार्यालय वाहकों के विवरण

(ओपीसी के लिए प्रविष्ट किए जाने वाले निदेशकों की न्यूनतम संख्या 1, प्राइवेट कंपनी के मामले में 2, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में 3 और उत्पादक कंपनी के मामले में 5 होगी।)

निदेशकों की संख्या का विवरण प्रविष्ट किया जाना है .....

12(क) \*उस निदेशक का विवरण जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल स्वामी/पदधारी भी है

(निदेशक का नाम सर्च और सिलेक्ट करें)
*डीआईएन
*पैन
*पहला नाम
मध्य नाम
*अंतिम नाम
*निजी मोबाइल संख्या+91
*निजी ई मेल पता-
*मोबाइल संख्या के लिए ओटीपी लिखें (ओटीपी सत्यापित करें)
*ई-मेल पता के लिए ओटीपी लिखें
*फोटोग्राफ
जीएसटीआईएन के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नियुक्ति का प्रमाण
(आधिकारिक बीओडी द्वारा संस्तुति संकल्प की प्रति/प्रबधन समिति तथा स्वीकृत पत्र के
पत्र/इनमें से निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हो सकते हैं)
*ईपीएफओ के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नमूना हस्ताक्षर

(ख) \*प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल स्वामी/पदधारी के अलावा निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम सर्च और सिलेक्ट करें)	
डीआईएन	
पैन/पासपोर्ट संख्या	
पहला नाम	
ध्य नाम	

*अंतिग	म नाम
*निजी	मोबाइल संख्या 91+
*निजी	ई-मेल पता
*फोटो	ग्राफ
13.	*पुलिस थाना
14.	*नियोक्ता का ब्यौरा
	*उचित कार्यालय शाखा का चयन करें
	*जांच कार्यालय का चयन करें
15.	*बैंक का विवरण
	*बैंक का नाम
	बैंक खाता खोलने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण
16.	दुकानों एवं प्रतिष्ठान रजिस्ट्रीकरण का विवरण
	न्या दुकानों और प्रतिष्ठान के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है? O हां O नहीं *प्रतिष्ठान की श्रेणी
	*व्यवसाय का स्वरूप
	वार्ड
	एसएसी वार्ड
	अनुभाग
	संपत्ति खाता संख्या
	फ्लैट नंबर
	बिल्डिंग यूआईडी

### जीएसटी घोषणा (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

 मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

### ईएसआईसी घोषणा (पदधारी द्वारा)

 मैं यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
 मैं क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय 🖂 ईएसआई निगम को यथासमय किसी प्रकार के बदलाव होने के साथ-साथ बदलाव के विषय में सूचित भी करूंगा।

### व्यवसाय कर घोषणा

उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

### ईपीएफओ की घोषणा (मूल स्वामी द्वारा)

 मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अन्सार सही एवं पूर्ण है और इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

### बैंक घोषणा (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता है कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

मैं बैंक और उसके अधिकारियों को बैंक खाता खोलने के उद्देश्य से मुझसे/हमसे फोन/ईमेल/एसएमएस पर संपर्क करने के लिए अधिकृत करता हूं।

मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न बैंक खाता संख्या बैंकों द्वारा एमसीए के साथ साझा की जाएगी।

मैं/हम खाते को सक्रिय करने से पहले बैंक केवाईसी मानदंडों के अनुसार सभी दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन देते हैं।

### दुकानें और प्रतिष्ठान (दिल्ली) घोषणा (प्राथमिक स्वामी द्वारा)

में एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दुकानें और प्रतिष्ठान (मुंबई) घोषणा (प्राथमिक मालिक द्वारा)

मैं/हम, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि जो व्यवसाय/हमने शुरू किया है वह किसी भी अधिनियम, नियम, कानून या किसी भी न्यायालय या किसी भी आदेश द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध नहीं है। सक्षम प्राधिकारी और परिसर जहां मैं / हम उक्त व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, किसी भी अधिनियम, नियम, किसी भी न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के उल्लंघन से मुक्त है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे व्यक्तिगत जान, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मुझे गलत जानकारी देने के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी है। यदि जानकारी झूठी पाई जाती है, तो मैं भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) और/या उस पर लागू किसी अन्य कानून के तहत मुकदमा चलाने और सजा के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

मैं/हमने उपयुक्त प्राधिकारी से इस व्यवसाय के संचालन और व्यवसाय के स्थान के लिए आवश्यक लाइसेंस, अन्मतियां, परमिट प्राप्त कर लिए हैं।

मैं/हम उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमति से कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे यदि व्यवसाय उचित लाइसेंस, अन्मति के बिना संचालित किया जाता है।

में/हम प्रस्तुत करते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं/हम कोई भी अवैध गतिविधि या भारत में लागू कानून में निषिद्ध कोई व्यवसाय नहीं करेंगे।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि व्यवसाय का स्थान किसी भी क्षेत्र में स्थित नहीं है जिसमें किसी सक्षम प्राधिकारी के किसी कानून या आदेश द्वारा इस तरह के व्यवसाय को शुरू करना/चलाना निषिद्ध है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे द्वारा प्रमाणित प्रतियां मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि अगर प्रतियां झूठी/जाली पाई जाती हैं, तो मैं भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) और/या उस पर लागू किसी अन्य कानून के तहत मुकदमा चलाने और सजा के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

में/हम महाराष्ट्र की दुकानों और स्थापना (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन), अधिनियम, 2017 (2017 के एमएएच. LXI) के प्रावधान और किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित नियमों और आदेशों का पालन करने का वचन देते हैं।

*स्थान	
*दिनांक	
*पदनाम	

### \*निदेशक द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएं (डीएससी बॉक्स)

\*डीआईएऩ/पैन .....

 एजीआईएलई प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल स्वामी/पदधारी अपना स्थायी खाता संख्या उपलब्ध कराएंगे)



🔾 सार्वजनिक कंपनी को एक निजी कंपनी में परिवर्तन 🛛 अन्य		
4 (क) उद्देश्य का विवरण निर्दिष्ट करें (यदि 'अन्य' को ऊपर चुना गया है)		
(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा जिसके तहत आवेदन किया गया है		▼
5 (क) कंपनी का सीआईएन जिसके लिए नाम सुधारने के लिए आवेदन किया जा रहा है		
(ख) उस कंपनी का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है		
6 कृपया नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत और समाप्ति की तारीख का उल्लेख करें		
(क) प्रारंभिक दिनांक (दिन/माह/वर्ष)		
(ख) समाप्ति दिनांक (दिन/माह/वर्ष)		
7 * इसका विवरण कि क्या कोई कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत है	О <sub>ह</sub> ї	🔿 नहीं
8 (क) बोर्ड समाधान पारित होने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
(ख) समाधान का तरीका (भौतिक/परिपत्र)		V
(ग) पक्ष में डाले गए मतों की संख्या		
(घ) विरोध में डाले गए मतों की संख्या		
9 (क) प्ररूप एमजीटी -14 की सेवा अनुरोध संख्या		
(ख) विशेष समाधान पारित करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
10 * आवेदन फाइल करने का आधार		
11 (क) कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के अनुसार अंग्रेजी भाषा में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
(ख) कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के अनुसार स्थानीय भाषा में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
12. लेनदारों और डिबेंचर धारकों की विशिष्टियां		

	क्र.सं.	लेनदार/डिबेंचर धारक	प्रकार	पता	देय राशि	टिप्पणी (ऋण / दावा / देयता
		का नाम				की प्रकृति)
ĺ						
	पंक्ति ज	।ईं पंक्ति हटाएँ	एक्सेल	डाउनलोड	इम्पोर्ट करें	

13 (क) वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के लिए पिछले पांच वर्षों के भीतर किए गए किसी भी पिछले आवेदन का विवरण और उसके परिणाम

(ख) पिछले पांच वर्षों के भीतर किए गए किसी भी परिवर्तन का विवरण और उसके परिणाम

अनुलग्नक				
(क) बोर्ड समाधान की प्रति	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड करें
(ख) विशेष समाधान की प्रति	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड करें
(ग) विज्ञापन की प्रति	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड करें
(घ) वैकल्पिक अनुलग्नक (ओं) - यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड करें

### घोषणा

\* मुझे कंपनी केनिदेशक मंडल द्वारा दिनांक के संकल्प पत्र के तहत इस प्ररूप संख्या पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने का अधिकार दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।

∗ □ मैं इसके द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी इस प्ररूप के अनुलग्नक सही, सटीक और पूर्ण है और किसी भी सामग्री को छुपाया नहीं गया है।

### कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के तहत घोषणा

\* ] मैं, निदेशक मंडल की ओर से, यह घोषणा करता हूं कि धारा 2 की उप-धारा (68) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों की संख्या को दो सौ तक सीमित करती है और साथ ही कंपनी द्वारा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई जमा स्वीकार नहीं की गई है।

\* 🗌 मैं, निदेशक मंडल की ओर से, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम में यह घोषणा करता हूं कि धारा 73 से 76 ए, 77, 178, 185, 186 और 188 का कोई गैर-अन्पालन नहीं है।

\* 🗌 मैं, निदेशक मंडल की ओर से, यह घोषणा करता हूं कि धारा की उप-धारा (3) के संदर्भ में कोई समाधान दायर करने के लिए लंबित नहीं है और कंपनी को कभी भी किसी भी क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया था और यदि ऐसा सूचीबद्ध था, तो सभी प्रतिभूतियों द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों के अनुसार शेयरों की पूर्ण डीलिस्टिंग के लिए पूर्ण रूप से अन्पालन किया गया, भारतीय विनिमय बोर्ड में आवश्यक प्रक्रियाएं थीं।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए	डीएससी बॉक्स
* पदनाम	V
(निदेशक/प्रबंध आर/कंपनी सचिव/ सीएफओ/सीईओ)	
*निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक/सीईओ/सीएफओ का डीआईएन या पैन;	
या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या	

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों पर ध्यान वापस लिया जाता है, जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे बयान के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

सेव करें

जमा करें

### प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

यह ई-प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है

इस ई-प्ररूप को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

डीएससी बॉक्स	
डीएससी बॉक्स	

[फा. सं. 1/13/2013-सीएल-V, खंड.IV]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (1) में संख्यांक सा.का.नि.250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 643(अ), तारीख 18 अगस्त, 2022 द्वारा इन्हें अंतिम बार संशोधित किया गया।

### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 19th January, 2023

**G.S.R. 42(E).**—In exercise of the powers conferred under section 3, section 4, sub-sections (5) and (6) of section 5, section 6, sub-sections (1) and (2) of section 7, sub-sections (1) and (2) of section 8, clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 11, sub-sections (2), (3), (4), (5) and (9) of section 12, sub-sections (3), (4) and proviso to sub-section (5) of section 13, sub-section (2) of section 14, sub-section (1) of section 17, sub-sections (1) and (2) of section 20 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from  $23^{rd}$  January 2023.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 4,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The name of the person nominated under sub-rule (1) shall be mentioned in the memorandum of One Person Company and such nomination details along with consent of such nominee shall be filled in Form No. INC-32 (SPICe+) as a declaration and the said Form alongwith fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 shall be filed with the Registrar at the time of incorporation of the company along with its e-memorandum and e-articles.";

(ii) in proviso to sub-rule (3), for the words, letters and figure, "in Form No. INC.3" the words, letters and figure, "which shall be filed in form of a declaration in Form no. INC.4." shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4), for the words, letters and figure, "in Form No. INC.3", the words, letters and figure, "in form of a declaration in Form No. INC-4" shall be substituted;

(iv) in sub-rule (5), for the words, letters and figure, "prior consent of such another person in Form No. INC-3", the words, letters and figure, "consent of such another person and his declaration shall be filed in Form No. INC-4" shall be substituted;

(v) in proviso to sub-rule (5), for the words, letters and figure, "written consent of the new nominee in Form No. INC-3" the words, letters and figure, "particulars of consent of new nominee in form of a declaration in Form No. INC-4" shall be substituted;

(vi) in sub-rule (6), for the words, letters and figure, "prior written consent of the person so nominated in Form No. INC-3" the words, letters and figure, "particulars of consent of the person so nominated in form of declaration in Form No. INC-4" shall be substituted;

3. In rule 6 of the said rules,-

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The company shall file an application in e-Form No. INC-6 for its conversion into Private or Public Company, other than under section 8 of the Act, alongwith fees as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 with altered e-MOA and e-AOA.";

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) On being satisfied that the requirements have been complied with, the Registrar after examining the latest audited financial statement shall approve the form and issue certificate.";

4. In rule 7 of the said rules,-

(i) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The company shall file an application in e-Form No. INC-6 for its conversion into One Person Company alongwith fees as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 by attaching the following details or documents, namely:-

- (i) altered e-MOA and e-AOA;
- (ii) copy of NOC of every creditors with the application for conversion;
- (iii) affidavit of directors confirming that all the members of the company have given their consent for conversion.";
- (ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) On being satisfied that the requirements stated herein have been complied with, the Registrar after examining the latest audited financial statement shall approve the form and issue certificate.";

5. in rule 19 of the said rules,-

- (i) in sub-rule (3),-
- (a) in sub-clause (b), the words, letters and figures, "in Form No. INC.14", shall be omitted;
- (b) in sub-clause (d), the words, letters and figures, "in Form No. INC-15", shall be omitted;

6. in rule 20 of the said rules,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The application under sub-rule (1), shall be accompanied by the following details and documents, namely:-

- (a) the e-Memorandum of Association and e-Article of Association of the company;
- (b) the declaration by an Advocate, a Chartered Accountant, Cost Accountant or Company Secretary in Practice, that the memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 of the Act and rules made thereunder and that all the requirements of the Act and the rules made thereunder or supplemental thereto have been complied with;
- (c) a statement showing in detail the assets (with the values thereof), and the liabilities of the company, as on the date of the application or within thirty days preceding that date;
- (d) the certified copy of the resolution passed in general or board meetings approving registration of the company under section 8 of the Act; and
- (e) a declaration by each of the persons making the application.";

(ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The Registrar shall after considering two years financial statements immediately preceding the date of application or when the company has functioned only for one financial year, for such year including Board's reports and audit reports, relating to the existing companies, and after considering objections, if any received by it within thirty days from the date of publication of notice, and after consulting any authority, regulatory body, Department or Ministry of Central Government or the State Government(s), as it may, in its discretion, decide whether the license should or should not be granted.";

7. in rule 21of the said rules, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) An intimation along with copy of the application with annexures as filed in Form no. INC.18 with the Regional Director shall also go to the Registrar through MCA system.";

8. in rule 22 of the said rules,-

(i) in sub-rule (6), for the words, "attach with the application a certificate" the words, "file the application with a declaration " shall be substituted;

(ii) in sub-rule (10), in clause (ii), for sub-clause (b) the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(b) amended e-Memorandum of Association and amended e-Article of Association of the company.";

**9.** In rule 28 of the said rules, in sub-rule (1) for the words, "following documents" the words "following details and documents" shall be substituted;

10. In rule 30 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the words "following documents" the words "following details and documents", shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2) for the words "attached to the application", the words, "particulars of" and for the word "details" the words, "details in the application" shall be substituted.

(iii) in sub-rule (4),-

(A) the words "Registrar and" shall be omitted;

(B) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the applicant need not to submit separate copy of application with the Registrar and an intimation of filing of application in Form no. INC-23 with the Regional Director shall be shared with the Registrar through MCA system."

11. in rule 33 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely.-

"(2) subject to the provisions of sub-rule (1), for effecting the conversion of a public company into a private company, Service Request Number (SRN) of Form No. RD-1, pertaining to order of the Regional Director approving the alteration, shall be mentioned in Form No. INC-27 to be filed with Registrar along with fee together with the altered e-Memorandum of Association and e-Article of Association within fifteen days from the date of receipt of the order from the Regional Director."

12. in rule 37 of the said rules,-

(i) in sub-rule (3),

(a) for the words, "by attaching the following documents", the words "by attaching the following documents and declarations" shall be substituted;

(b) in clause d., for the words "a copy of altered Memorandum of Association as well as Articles of Association", the words, "altered e-Memorandum of Association as well as e-Articles of Association" shall be substituted;

**13.** in rule 39 of the said rules, in sub-rule (5), for the words "enclosing the altered Memorandum of Association and altered Articles of Association", the words "along with e- Memorandum of Association and altered e-Articles of Association" shall be substituted;

14. in rule 40 of the said rules, in sub-rule (2), the words, letters and figure "in e-form RD-GNL 5" shall be omitted;

15. in rule 41 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), in clause (a), for the words, "a draft copy of the Memorandum of Association and Articles of Association", the words "e-Memorandum of Association and e-Articles of Association", shall be substituted;

(ii) in sub-rule (6), in clause (b) the words, letters and figure "in e-form RD-GNL-5" shall be omitted;

**16.** in Annexure to the said rules,-(i) the form numbers, INC-3 One Person Company-Nominee Consent Form, INC-14 Declaration, INC-15 Declaration and RD-GNL-5- Form for filing addendum for rectification of defects or incompleteness shall be omitted; (ii) for Form numbers RUN, INC-4, INC-6, INC- 9, INC-12, INC-13, INC-18, INC-20, INC-20A, INC-22, INC-23, INC-24, INC-27, INC-28, INC-31, SPICE+ (INC-32), INC-33, INC-34, INC-35 and RD-1, the following forms shall be substituted, namely:-

Form RUN Reserve Unique Name (For change of name only) [Pursuant to section 4 and 13 of Companies Act, 2013 read with rule 8, 9 and 29 of Companies (Incorporation) Rules, 2014]	सत्यमेव जयते	Form language English Hindi
Refer instruction kit for filing the form All fields marked in * are mandatory		
1. Type of Application		<new request=""> / <resubmission></resubmission></new>
2. *Corporate Identity Number		
3. *Proposed Name 1		
4. Proposed Name 2		
5. *Comments		
Attachment	Max 2 MB	Choose File Remove Download       Auto check     Save

Once you have submitted the name reservation request for change of name of company it will then be checked and, if found feasible, approved by the Central Registration Centre (CRC). You will receive an email from the CRC advising the outcome of the name reservation request.

## म्रित्यमेव जयतेForm languageHindi

Form No. INC-4

**One Person Company - Change in Member/Nominee** [Pursuant to Section 3(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 (4),(5) & (6) of The Companies (Incorporation) Rules, 2014]

भारत	का	राजपत्र	٠	असाधारण
		<b>N - 1 1 1</b>	•	-1 (11 - 41 (

### Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

### Purpose of filing

- 1 \*This form is for
  - Notice of withdrawal of consent by the nominee of OPC
  - Intimation about change in the name of the nominee of OPC
  - Intimation of Cessation

### **Company Information**

2 *Corporate Identity Number (CIN)	
3 (a) *Name of the one-person company	
(b) *Registered office address	
(c) *Email id of the company	

### Notice of Withdrawal of consent by Nominee (Following fields are applicable in case option 1 is selected in data field 1)

### 4 Notice of withdrawal of consent

Notice is hereby given that		was nominated as the	nominee of
	has withdrawn his/her consent	vide his/her notice dated	
a copy of which is attached herew	ith.		

### Intimation about change in nomination (Following fields are applicable in case option 2 is selected in data field 1)

5 Intimation about change in nomination	
Notice is hereby given that	member of has
nominated	
First name	
Middle name	
Surname	
vide intimation dated	as his/her nominee in place of
who shall become the member of the company in the	event of his/her death or his/her incapacity to contract. He/she declares
that the nominee is eligible for nomination within the	meaning of Rule 3 of the Companies (Incorporation) Rules,2014.

### Intimation of Cessation of member (Following fields are applicable in case option 3 is selected in data field 1)

6 Intimation of Cessation of member	
(a) Intimation is hereby given that has ce	ased to be member of
w.e.f.	due to (Death of the member/ Incapacity of member
to contract/ Change in ownership) and	
First name	
Middle name	
Surname	
(his/her nominee/ the transferee) Thas become company.	e the sole member of the above-mentioned
(b) Whether the nominee is same (in case of change in ownership)	O Yes O No
Intimation about the change of nominee (Following fields are applicable in case option 2	l or 3 is selected in data field 1)
7 Intimation about the change of nominee	
Further notice is given that (Member/ New member)	ber)
of has nominated	
First name/Name of the existing nominee	
Middle name	
Surname	
as his nominee w.e.f. who shall become th	e member of the company in the event of
his/her death or his/her incapacity to contract. He/she declare that the nominee is	eligible for nomination within the meaning of
Rule 3 of the Companies (Incorporation) Rules 2014.	
Particulars of the nominee (Following fields are applicable in all the cases except the case	'Yes' is selected in field 6(b))
8 Particulars of the nominee	
Director Identification number (DIN)	

Fetch from Digi locker

First Name

Fetch		

Middle Name	
Surname	
Father's First name	
Father's Middle name	
Father's Surname	
Gender (Male/Female/Transgender)	
Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
Nationality (List of countries)	
Income-tax PAN	
	Verify Income tax PAN
Place of Birth (District and State)	
Occupation type (Business/Professional/Government /Employment/Private Employment/Housewife/Student/Others)	
Area of Occupation ('As per occupation list' available in MCA database (SPICe+ Part B))	
If 'Others' selected, please specify	
*Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification/Bachelor's degree/Master's degree/ Doctorate or higher/Professional/Diploma/Others)	
If 'Others' selected, please specify	
Permanent address	
Address Line 1	
Address Line 2	
Country	
Pin Code/Zip code	
Area/Locality	
City	
District	

State/ UT

Phone (with STD/ISD code)		
Mobile No.		
Fax		
email ID		
Whether present residential address same as permanent resid	ential address	O Yes O No
Present address		
Address Line 1		
Address Line 2		
Country		
Pin Code/Zip code		
Area/Locality		
City		
District		
State/ UT		
Duration of stay at present address	V year(s)	month(
If Duration of stay at present address is less than one year the	n address of previous re	esidence
*Proof of Identity (Driving License/Aadhar Card/Voter ID Card/Passport)		
Proof of Identity Number		
Identity Proof Document	Max 2 MB	Choose File Remove Download
Residential Proof (Bank Statement/ Electricity Bill/Telephone bill/Mobile bill)		
Residential Proof No		
Residential Proof Document	Max 2 MB	Choose File Remove Download

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

### Consent along with declaration by Nominee

1	hereby give my con	sent to become the member of		,
in the event of death of		member of the company or his	incapacity to contract.	

I do solemnly declare that I am an Indian citizen and resident in India and I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company or LLP and have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law or LLP Act in the last five years. I further declare that

I am not a nominee in any other One Person Company, and I shall comply with the eligibility criteria specified in Rule 3(3) within the prescribed period. I understand that the person nominating me may withdraw my nomination without my consent.

*To be digitally signed by Nominee	DSC BOX	

Particulars of the new member (Following fields are applicable in case option 3 is selected in data field 1)

9 Particulars of the new member	
Director Identification number (DIN)	
Fetch from Digi locker	Fetch
First Name	
Middle Name	
Surname	
Father's First name	
Father's Middle name	
Father's Surname	
Gender (Male/Female/Transgender)	
Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
Nationality (List of countries)	
Income-tax PAN	
	Verify Income tax PAN
Place of Birth (District and State)	
Occupation type (Business/Professional/Government /Employment/Private Employment/Housewife/Student/Others)	

Area of Occupation ('As per occupation list' available in MCA database (SPICe+ Part B))		
If 'Others' selected, please specify		
Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification/Bachelor's degree/Master's degree/ Doctorate or higher/Professional/Diploma/Others)		
If 'Others' selected, please specify		
Permanent address		
Address Line 1		
Address Line 2		
Country		V
Pin Code/Zip code		
Area/Locality		▼
City		
District		
State/ UT		
Phone (with STD/ISD code)		
Mobile No.		
Fax		
email ID		
Whether present residential address same as permanent residential address	O Yes	O No
Present address		]
Address Line 1		
Address Line 2		
Country		
Pin Code/Zip code		

Area/Locality

City

▼

▼

Submit

Save

District		
State/ UT		
Duration of stay at present address	V year(s)	T month(s)
If Duration of stay at present address is less than one year the	n address of previous reside	nce
Proof of Identity (Driving License/Aadhar Card/Voter ID Card/Passport)		
Proof of Identity Number		
Identity Proof Document	Max 2 MB	Choose File Remove Download
Residential Proof (Bank Statement/ Electricity Bill/Telephone bill/Mobile bill)		
Residential Proof No.		
Residential Proof Document	Max 2 MB	Choose File Remove Download

### Attachments

(a) Notice of withdrawal of consent filed by the nominee	Max 2 MB	Choose File Remove Download
(b) Copy of intimation given by member for change in nominee	Max 2 MB	Choose File Remove Download
(c) Proof of Cessation of member	Max 2 MB	Choose File Remove Download
(d) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose File Remove Download

# Declaration \*To be digitally signed by member \*Income-tax PAN or Director identification number (DIN) of the member \*To be digitally signed by DSC BOX \*Designation (Director/ Manager/ Company Secretary/ CEO/ CFO) \*DIN of the director or Income tax PAN of the manager or CEO or CFO or Membership number of the company secretary

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

### For office use only:

Form No. INC-6

**Application for Conversion** 

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYY)



()



*Refer instruction kit for filing the form.* 

One Person Company and Private Company -

[Pursuant to section 18 of the Companies Act, 2013 and Rule 6 and 7(4) the Companies (Incorporation) Rules,

All fields marked in \* are mandatory

### **Entity's details**

2014]

- 1 \*Application for
  - O Conversion of OPC into private company
    - Conversion of Private company into OPC
- 2 (a) \*Corporate Identity Number (CIN)
- 3 (a) \*Name of the Company
  - (b) \*Category
  - (c) \*Sub-category of the company
  - (d) \*Address of Registered office of the company
  - (e) \*Date of incorporation of the company

Conversion of OPC into public company





(f) *email ID of the company				
(g) *Whether company is having share capital or not				
4 *Name of the company at the time of incorporation (to be	displayed in the certificate)			
5 *Existing number of directors in the company (Number of directors shall be minimum 2 in case of conver or 3 in case of conversion into public company)	sion into private company			
6 Particulars of special resolution				
(a) *SRN of Form MGT-14				
(b) *Date of passing the special resolution (DD/MM/YYYY)				
7 (I) Capital structure of the company (in case having share capital)				
(a) *Total Authorised Share capital (in INR)				
*Total Classified Authorised Share capital (in INR)				
Total Unclassified Authorised Share capital (in INR)				
*Total paid up Share capital (in INR)				
(b) Equity Share Capital				
*Number of classes				
Class of shares	Authorised capital	Paid up capital		
*Number of equity shares				
*Nominal amount per share (in INR)				
*Total amount (in INR)				

### (c) Preference Share Capital

\*Number of classes

Class of shares	Authorised capital	Paid up capital
*Number of Preference shares		
*Nominal amount per share (in INR)		
*Total amount (in INR)		

### 7 (II) Number of members (in case not having share capital)

(a)	*Maximum number of members	
(b)	*Maximum number of members excluding proposed employees	
(c)	*Number of members	
(d)	*Number of members excluding proposed employee(s)	

### 8 Particulars of the person who will be sole member of the OPC subsequent upon conversion

Director I	Identification	number	(DIN)
------------	----------------	--------	-------

Fetch from digilocker		
*First Name		
Middle Name		
*Surname		
*Father's First name		
Father's Middle name		
*Father's Surname		
*Gender		
O Male O Female	O Transgender	
*Nationality		
*Date of Birth (DD/MM/YYYY)		
*Income-tax PAN		
		Verify Income tax PAN
*Place of Birth (District and State)		

*Educational Qualification (X/SSLC/Junior/Equivalent/XII/SSC/High/Equivalent Graduation/Bachelor/Equivalent/Postgraduate/Master/Equivalent Professional/Executive Program/Doctorate/Diploma/Others)				V
*Occupation type (Business/Professional/Government /Employment/Private Employment /Housewife Student/Others)				V
*Area of Occupation (Government/Teaching/Others)				
Permanent residential address				
*Address Line 1				
*Address Line 2				
*Country				
*Pin code				
*Area/ Locality				
*City				
*District				
*State / UT				
Phone (with STD/ISD code)				
*Mobile (with country code)				
Fax				
*Email ID				
*Whether present residential address is same as permanent residential address	0	Yes	0	No
Present address				
*Address Line 1				
*Address Line 2				
*Country				
*Pin code				

*Area/ Locality				
*City				
*District				
*State / UT				
*Phone (with STD/ISD code)				
*Duration of stay at present address (Year(s)/Month(s))				
If Duration of stay at present address is less than one year then address is less than one year	dress of previous			
*Identity Proof (Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)	*Residential Proof ((Bank Statement / Electri	icity Bill / Telephon	e bill / Mobile	bill))
*Identity Proof No.	*Residential Proof No	).		
Submit the proof of identity and proof of address				
(a) * Proof of identity	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(b) *Residential proof	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
9 Nomination          I*       , the member of*         (First Name)*       (Middle Name)         member of the company in the event of my death or incapacity to within the meaning of Rule 3 of the Companies (Incorporation) Rule			l become t	
10 Particulars of the person who will be nominee of the sole mer	nber subsequent upon co	nversion		
Director Identification number (DIN)				
Fetch from digilocker				
*First Name				
Middle Name				
*Surname				
*Father's First name				

*Father's Surname	
*Gender	
O Male O Female O Transgender	
*Nationality	
*Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
*Income-tax PAN	
	Verify Income tax PAN
*Place of Birth (District and State)	
*Educational Qualification (X/SSLC/Junior/Equivalent/XII/SSC/High/Equivalent Graduation/Bachelor/Equivalent/Postgraduate/Master/Equivalent Professional/Executive Program/Doctorate/Diploma/Others)	
*Occupation type (Business/Professional/Government /Employment/Private Employment /Housewife Student/Others)	
*Area of Occupation (Government/Teaching/Others)	
*Permanent residential address	
*Permanent residential address *Address Line 1	
*Address Line 1	
*Address Line 1 *Address Line 2	
*Address Line 1 *Address Line 2 *Country	
*Address Line 1 *Address Line 2 *Country *Pin code	
*Address Line 1 *Address Line 2 *Country *Pin code *Area/ Locality	
*Address Line 1 *Address Line 2 *Country *Pin code *Area/ Locality *City	
<ul> <li>*Address Line 1</li> <li>*Address Line 2</li> <li>*Country</li> <li>*Pin code</li> <li>*Area/ Locality</li> <li>*City</li> <li>*District</li> </ul>	
*Address Line 1 *Address Line 2 *Country *Pin code *Area/ Locality *City *District *State / UT	

* Email ID	
*Whether present residential address is same as permanent residential ad	nddress O Yes O No
*Present address	
*Address Line 1	
*Address Line 2	
*Country	
*Pin code	
*Area/ Locality	
*City	
*District	
*State / UT	
Phone (with STD/ISD code)	
Duration of stay at present address (Year(s)/Month(s))	
If Duration of stay at present address is less than one year then address Residence	of previous
	Residential Proof
	esidential Proof No.
Submit the proof of identity and proof of address	
(a) * Proof of identity	2 MB Choose File Remove Download
(b) *Residential proof	2 MB Choose File Remove Download

### 11 Consent along with declaration by Nominee

	hereby give my consent to become the member of		,
in the event of death of	member of the company or his	incapacity to contract.	

I do solemnly declare that I am an Indian citizen and resident in India and I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company or LLP and have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law or LLP Act in the last five years. I further declare that:

I am not a nominee in any other One Person Company, and I shall comply with the eligibility criteria specified in Rule 3(3) within the prescribed period. I understand that the person nominating me may withdraw my nomination without my consent.

### \*To be digitally signed

DSC BOX

### 12 Details of creditors and members

(A) List of Creditors

S. No.	Name of the Creditor	Address	Amount Due	Remarks (Nature of Debt / Claim / Liability)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)



### (B) List of Members

Name of the menber	Address
(ii)	(iii)

Add row	Delete row	Download excel	Import

### Attachments

- (a) Copy of NOC of every creditors with the application for Conversion;
- (b) Affidavit confirming that all the members of the company have given their consent for conversion.
- (c) Optional attachment(s), if any


#### **Declaration by Director**

Г

I, *	the director of the company, hereby declare that all the members of the company have
given their consent for conversion.	

*To be digitally signed by	DSC BOX
Director	
* DIN	

#### Declaration

I, *	a *	(Director/Manager/company secretary/ceo/cro/ of the
com	pany declare that all the requirements o	of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect to the conversion
of th	e company and matters precedent or in	cidental thereto have been complied with. I am authorised by the board of directors to
give	this declaration and to sign and submit	this Form. It is further declared and verified that

\* Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.

\*No objection certificate has been received from the members and creditors allowing conversion from private company into OPC or OPC company into public or private company, as the case maybe.

\*All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

*To be digitally signed by	DSC BOX
*Designation	 
(Director/Manager/ Company Secretary/CFO/CEO)	
* Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary	
To be digitally signed by	DSC BOX
Member (In case of conversion of OPC)	
PAN or DIN of member	
	Save Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement/ certificate and punishment for false evidence respectively.

#### For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

#### Digital signature of the authorising officer

This eForm is hereby registered

Date of signing (DD/MM/YYYY)



DSC BOX	

Form No. INC-9

#### **Declaration by Subscribers and First Directors**

[Pursuant to Sections 7(1)(c) to the Companies Act, 2013 and rule 15 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]





Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

#### 1 \*Name of the Company

#### 2(a) This declaration is in respect of:

	Having valid DIN	Not having valid DIN
*Total number of first subscribers		
(non-individual + individual)		
*Number of non-individual first		
subscriber(s)		
*Number of individual first		
subscriber(s) cum director(s)		
*Total number of directors		
(director(s) who is/are not		
subscriber(s) + subscriber(s) cum		
director(s) as mentioned in above		
Row no. 3)		

#### 2(b) Authorized person of non-individual first subscriber(s)

2(b)(I) \*Director Identification Number (DIN)

Declaration
I * being the subscriber to the memorandum, of the above-named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:
*I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and
*I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years;
I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith; or
I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares; and
*All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief.
I provide my consent to the proposed conversion of the entity and have no objection to the same.
I am a member of the company applying for registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 and hereby undertake as per Rule 3(4) and Rule 5(i) of Companies (Authorised to Register) Rules that in the event of registration under this Part, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, within 15 days, for its dissolution, as the case may be. I further undertake that no activity / business shall be carried out in the name and style of the previous / converted entity; and
I declare that the proposed company has its objects in accordance with clause (a) of subsection (1) of section 8 of the Act and it intends to comply with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause (b) and clause (c) of that sub-section.
The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with
*DSC;

#### 2(b)(II) \*Income-tax permanent account number (PAN)

Decl	aration
*	being the subscriber to the memorandum, of the above-named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:
	*I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and
<b>□</b> *	I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years;
	I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith; or
	I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares; and
	*All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief.
	I provide my consent to the proposed conversion of the entity and have no objection to the same.
	I am a member of the company applying for registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 and hereby undertake as per Rule 3(4) and Rule 5(i) of Companies (Authorised to Register) Rules that in the event of registration under this Part, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, within 15 days, for its dissolution, as the case may be. I further undertake that no activity / business shall be carried out in the name and style of the previous / converted entity; and
	I declare that the proposed company has its objects in accordance with clause (a) of subsection (1) of section 8 of the Act and it intends to comply with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause (b) and clause (c) of that sub-section.
	The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
	All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with
*DS	C DSC BOX

#### 2(c) Particulars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director)

#### 2(c)(I) Block 1

I. \*Director Identification Number (DIN)

Г

Declaration
I* being the subscriber to the memorandum, of the above-named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:
*I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and
*I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years;
I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith; or
I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares; and
*All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief.
I provide my consent to the proposed conversion of the entity and have no objection to the same.
I am a member of the company applying for registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 and hereby undertake as per Rule 3(4) and Rule 5(i) of Companies (Authorised to Register) Rules that in the event of registration under this Part, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, within 15 days, for its dissolution, as the case may be. I further undertake that no activity / business shall be carried out in the name and style of the previous / converted entity; and
I declare that the proposed company has its objects in accordance with clause (a) of subsection (1) of section 8 of the Act and it intends to comply with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause (b) and clause (c) of that sub-section.
The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with
*DSC BOX

# 2(c)(II) Block 2

\*Income-tax permanent account number (PAN)

Declaration
I * being the subscriber to the memorandum, of the above-named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:
*I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and
*I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years;
□ I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith; or
□ I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares; and
*All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief.
I provide my consent to the proposed conversion of the entity and have no objection to the same.
I am a member of the company applying for registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 and hereby undertake as per Rule 3(4) and Rule 5(i) of Companies (Authorised to Register) Rules that in the event of registration under this Part, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, within 15 days, for its dissolution, as the case may be. I further undertake that no activity / business shall be carried out in the name and style of the previous / converted entity; and
I declare that the proposed company has its objects in accordance with clause (a) of subsection (1) of section 8 of the Act and it intends to comply with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause (b) and clause (c) of that sub-section.
The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with
*DSC BOX

2(d) Particulars of individual first subscriber(s) cum directors

2(d)(I) Block 1

\*Director Identification Number (DIN)

Declaration
I * being the subscriber to the memorandum and named as first director in the articles, of the above-named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:
*I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and
*I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years;
I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith; or
I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares; and
*All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief.
I provide my consent to the proposed conversion of the entity and have no objection to the same.
I am a member of the company applying for registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 and hereby undertake as per Rule 3(4) and Rule 5(i) of Companies (Authorised to Register) Rules that in the event of registration under this Part, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, within 15 days, for its dissolution, as the case may be. I further undertake that no activity / business shall be carried out in the name and style of the previous / converted entity; and
I declare that the proposed company has its objects in accordance with clause (a) of subsection (1) of section 8 of the Act and it intends to comply with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause (b) and clause (c) of that sub-section.
The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with
*DSC DSC BOX

2(d)(II) Block 2

\*Income-tax permanent account number (PAN)

# Form No. INC-12

### Application for grant of License to an existing company under Section 8

[Pursuant to section 8(5) of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]



All fields marked in \* are mandatory

#### **Company Information**

- 1 (a) \*Corporate Identity Number (CIN)
- 2 (a) \*Name of the Company
  - (b) \*Address of the Registered Office of the company
  - (c) \*Email ID of the company
- 3 (a) \*Company is (Private company /Public company) (b) \*Category (Company limited by shares/Company limited by guarantee) (c) \*Sub Category
  - (Union government company/State government company/Non-government company, Subsidiary of foreign company/Guarantee and association company)
  - (d)\* Whether the company is having share capital (Yes /No)

(b) Maximum number of members

(c) Maximum number of members excluding present and past employees

5 (a)(i) \*Main division of industrial activity of the company

(ii) \*Description of the main division

(b)(i) \*Main division of industrial activity of the company being pursued or





▼

▼

V

▼





#### proposed to be done in pursuance of section 8

- (ii) \*Description of the main division of industrial activity of the company being pursued or proposed to be done in pursuance of section 8
- (c) \*Grounds on which application is made

#### Director(s) / KMP (s) Details

6 \*Enter the number of Directors

#### Particulars of the directors

Designation (Director/Nominee Director/Managing director/Whole-time director/Alternate director/Additional director/Director appointed in casual vacancy)	Director identification number (DIN)	Name of the person	Name of the company or institution whose nominee the appointee is (Only in case of nominee director)
(a)	(b)	(c)	(d)
	)		

#### 7 \*Enter the number of key managerial personnel

#### Particulars of the key managerial personnel

Designation (Manager/Secretary/CEO/CFO)	Director identification number (DIN) or Income-tax permanent account number (PAN)	Name of the person	Membership number (in case of Company secretary)
(a)	(b)	(c)	(d)

#### 8 (a) \*Whether the Articles are entrenched

(If yes, entrenched Articles should be annexed thereto)

(b) Number of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

#### Details of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

Sr No	Article Number	Content

9 Estimation of future income and expenditure for the next three years



 $\cap$ 



Period	Estimated income (in INR)	Estimated expenditure (in INR)	Estimated surplus / deficit (in INR)	Remarks (Source of Income, Objects of Expenditure)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

10 \*Whether resolution passed in Board meeting or General Meeting for conversion

O Board Meeting O	General Meeting		
(a)* Date of passing resolution (DD/MM/Y	YYY)		
(b) *Mode of Resolution			
(c) *Number of votes casted in favour			
(d)*Number of votes casted against			
(e)*SRN of MGT-14			

#### Attachments

(a)	Approval/concurrence/NOC of the concerned authority/sectoral regulator, department or Ministry of the Central or State Government(s)	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(b)	*Statement showing in detail the assets and the liabilities of the company, as on the date of the preceding that date	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(c)	*Copy of resolution passed in board meeting	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(d)	Optional attachment, if any	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Declar	ation				
I*	authorised by the Board of Direc	ctors of the Company vide re	esolution numbe	er*	
dated*	declare that:				
	l the requirements of Companies Act, 2013 and the Rules thereto mac nplied with.	le thereunder in respect of t	he subject mat	ter of this for	m have been
_					

\*All the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

\*The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of Section 8 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with.

*To be digitally signed by	DSC BOX
*Designation (Director/Manager/ Company Secretary/CFO/CEO)	
* Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary	

#### **Declaration by Practicing Professional**

\*The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder; and

\*All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied witI further certify that:

DSC BOX

#### \* To be digitally signed by

$\bigcirc$	Chartered accountant (in whole-time practice)
------------	-----------------------------------------------

- Cost accountant (in whole-time practice)
- O Company secretary (in whole-time practice)
- Advocate (in whole-time practice)

#### Whether associate or fellow:

O Associate O Fellow	
Membership number	
Certificate of practice number	
Permanent Account Number	
	Save

Note: Attention is drawn to provisions of Section 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under Section 447.

Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
Digital signature of the authorising officer	
This eForm is hereby approved	DSC BOX
This eForm is hereby rejected	DSC BOX
Date of signing (DD/MM/YYYY)	

Declaration
I * being the subscriber to the memorandum and named as first director in the articles, of the above-named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:
*I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and
*I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years;
I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith; or
I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares; and
*All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief.
I provide my consent to the proposed conversion of the entity and have no objection to the same.
I am a member of the company applying for registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 and hereby undertake as per Rule 3(4) and Rule 5(i) of Companies (Authorised to Register) Rules that in the event of registration under this Part, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, within 15 days, for its dissolution, as the case may be. I further undertake that no activity / business shall be carried out in the name and style of the previous / converted entity; and
I declare that the proposed company has its objects in accordance with clause (a) of subsection (1) of section 8 of the Act and it intends to comply with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause (b) and clause (c) of that sub-section.
The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with

\*DSC

DSC BOX

Γ

Г

# 2(e) Particulars of directors (other than first subscribers)

2(e)(I) Block 1

*Director Identification Number (DIN)
Declaration
I * being named as first director in the articles, of the above-named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:
*I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and
*I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years; and
*All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief.
The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with
*DSC DSC BOX

# 2(e)(II) Block 2

*Income-tax permanent account number (PAN)
Declaration
I* being named as first director in the articles, of the above-named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:
*I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and
*I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years; and

٦

194

Hindi

\*All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief. The memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with DSC BOX \*DSC

# Form No. INC-13

e-MOA (e-Memorandum of Association) [Pursuant to sections 4 and 8 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Schedule I]



All fields marked in \* are mandatory

1 \*The name of the company is 2 \*The registered office of the company will be situated in the State of 3 (a) \*The objects to be pursued by the company on its incorporation are: (b) \*Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are

the doing of all such other lawful things as considered necessary for the furtherance of the above objects:

Provided that the company shall not support with its funds, or endeavor to impose on, or procure to be observed by its members or others, any regulation or restriction which, as an object of the company, would make it a trade union.

- 4 \*The objects of the company extend to the
- 5 (i) \*The profits, if any, or other income and property of the company, when-so-ever derived, shall be applied, solely for the promotion of its objects as set forth in this memorandum.

Form language

English

(ii) \*No portion of the profits, other income or property aforesaid shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise by way of profit, to persons who, at any time are, or have been, members of the company or to any one or more of them or to any persons claiming through any one or more of them.

(iii) \*No remuneration or other benefit in money or money's worth shall be given by the company to any of its members, whether officers or members of the company or not, except payment of out-of-pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company.

(iv) \*Nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being member), in return for any services actually rendered to the company.

(v) \*Nothing in these clauses (iii) and (iv) shall prevent the payment by the company in good faith of prudence remuneration to any of its members in return for any services (not being services of a kind which are required to be rendered by a member), actually rendered to the company

6 \*No alteration shall be made to this memorandum of association or to the articles of association of the company which are for the time being in force, unless the alteration has been previously submitted to and approved by the Registrar.

7 \*The liability of the members is limited.

#### 8 \*Table applicable to Section 8/ Part I Section 8 company

Table A / B / C

(A- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES/ B - MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING SHARE CAPITAL/ C - MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE BY GUARANTEE AND HAVING SHARE CAPITAL)

Each member, undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within one year afterwards, for the payment of the debts or liabilities of the company contracted before he ceases to be a member and of the costs, charges and expenses of winding up, and for adjustment of the rights of the contributories among themselves such amount as may be required not exceeding a sum of Rs \*

٦	The share capital of the company is		rupees, divided into				
					-		
		Equity	Shares of			Rupees each	

Add row Delete row

9 \*True accounts shall be kept of all sums of money received and expended by the company and the matters in respect of which such receipts and expenditure take place, and of the property, credits and liabilities of the company; and, subject to any reasonable restrictions as to the time and manner of inspecting the same that may be imposed in accordance with the regulations of the company for the time being in force, the accounts shall be open to the inspection of the members. Once at least in every year, the accounts of the company shall be examined, and the correctness of the balance-sheet and the income and expenditure account ascertained by one or more properly qualified auditor or auditors.

10 \*If upon a winding up or dissolution of the company, there remains, after the satisfaction of all the debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be distributed amongst the members of the company but shall be given or transferred to

Submit

Save

such other company having objects similar to the objects of this company, subject to such conditions as the Tribunal may impose, or may be sold and proceeds thereof credited to the Rehabilitation and Insolvency Fund formed under Section 269 of the Act.

11 \*The Company can be amalgamated only with another company registered under section 8 of the Act and having similar objects.

12 We, the several persons, whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company , in pursuance of this memorandum of association:

#### **Subscriber Details**

S. No.	*Name, Address, Description and Occupation	DIN / PAN / Passport number	No. of equity shares taken	DSC	Dated
1.					
2					
Total shares taken					

Signed before me					
Membership type of the witness	*Name of the witness	*Address, Description and Occupation	*DIN/PAN/Passport Number/Membership Number	*DSC	Dated

# 

Name	
Designation	Director
DIN	
DSC	DSC BOX

# Form No. INC-18

Application to Regional Director for conversion of section 8 company into company of any other kind [Pursuant to section 8(4)(ii) of The Companies Act, 2013 and Rule 21(4) of The Companies (Incorporation) Rules, 2014]







#### Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

#### **Entity's details**

- 1 (a) \*Corporate Identity Number (CIN)
- 2 (a) \*Name of the Company
  - (b) \*Registered office address of the company
  - (c) \*email id of the company
- 3 \*License number issued to the Company under Section 8
- 4 (a) \*Date of incorporation of Company (DD/MM/YYYY)
  - (b) \*Type of Company
- 5 (a) \*Present objects of the company
  - (b) \*Description of objects
- 6 (a) \*Main division of industrial activity of the company being proposed to be pursued after the proposed conversion
  - (b) \*Description of the main division of industrial activity of the company being proposed to be pursued after the proposed conversion
- 7 \*Detailed reasons for conversion into any other kind of company
- 8 \*SRN of Form MGT-14
- 9 (a) \*Whether the company is regulated under a Special Act or has obtained any special , status/ privilege as mentioned in rule 22(5) or has been regulated by any sectoral regulators?

(Where yes is chosen, copy of approval to be mandatorily attached)

Q

No

O Yes

(b) Number of such regulators

(c) Please furnish the details below for each regulator:

S. No	Name of the regulatory body	Date of obtaining 'No Objection Certificate (NOC)' / letter of concurrence (DD/MM/YYYY)	Serial number of such NOC / letter of concurrence
	(i)	(ii)	(iii)

10 (a) \*Number of existing director(s) and key managerial personnel

(b) Particulars of existing director(s) and key managerial personnel

	(i) *DIN or Income Tax PAN			]
	(ii) *Name			]
	(iii) *Designation (Director, Managing director, Alternate director, Additional director, Director appointed in casual vacancy, Nominee director, Whole-time director, Manager, Company secretary, CEO, CFO)			]
11	*Whether the company has acquired any immovable property through lease or otherwise from any Government or authority or body corporate or person since incorporation at concessional rate or free of cost (If yes, attach proof of payment of differential amount as per rules)	() Yes	O No	
12	(a) *Whether company has received any donation and/or grant/benefits from any person or authority since incorporation	O Yes	O NO	
	(b) Please provide the details of such donation and/or grant/benefits:	Add Row	Delete Row	

S. No	Category of source of such donation	Aggregate amount / notional value of benefit received from the selected source (in INR)		Remarks
(i)	(ii)	(iii)		(iv)
<ul> <li>13 *Whether there is any surplus amount after paymen</li> <li>IEPF as per applicable rule</li> <li>If yes, mention the amount to be so transferred</li> </ul>		nt of dues to be transferred to	O Yes	O No
	IOC is obtained from all the creditors ch the NOC)		O <sup>Yes</sup>	O <sup>No</sup>

15 I\*

- (a) The conversion is not being sought with the object of depriving the creditors of their dues or to cause loss or prejudice to any person.
- (b) No portion of the income or property of the company has been paid or transferred directly or indirectly by way of dividend or bonus or otherwise to persons who are or have been members or promoters of the company or to any one or more of them or to any persons claiming through any one or more of them.
- (c) I/We shall be liable under section 448 of the Act and under relevant provision of the Indian Penal Code, 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found to be false or any fact in any material particular is found to be omitted.

#### Attachments

(a) *Statement of assets and liabilities of the company, as on the date not earlier than thirty days of that date duly certified	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
by the auditor				
(b) Copy of approval from concerned authorities	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(c) Proof of payment of differential amount	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(d) NOC from all the creditors	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(e) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

#### Declaration

I am authorised by the Board of Dir	ectors of the Company vide resolution no* $\left[ ight]$		dated *
	to sign this is form and declare that all the	requirements of Companies Act, 20	)13 and the
rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.			

I further declare that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

	DSC BOX
*Director	
*DIN of the director	

#### **Declaration and Certification by Professional**

It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

\* To be digitally signed by

200	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]
O Chartered accountant (in who	le-time practice)	
O Cost accountant (in whole-tim	ne practice)	
O Company secretary (in whole-	time practice)	
* Whether associate or fellow:		
O Associate O Fellow	1	
Membership number		
Certificate of practice number		
		Save
	sions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 Inment for false evidence respectively.	3 which provide for punishment for false
For Office use only:		

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This eForm is hereby approved

This eForm is hereby rejected

Date of signing (DD/MM/YYYY)

# Form No. INC-20

Intimation to Registrar of revocation/surrender of license issued under section 8

[Pursuant to section 8(4) and 8(6) of The Companies Act, 2013 and Rule 23 of The Companies (Incorporation) Rules, 2014]



DSC BOX

DSC BOX

Form language

Hindi

English

Refer instruction kit for filing the form.

All fields marked in \* are mandatory

#### **Entity's Details**

1 (a) *Corporate Identity Number (CIN)	
2 (a) *Name of the Company	
(b) *Address of the registered office of the company	
(c) *Type of company	
(d) *email ID of company	
3 (a) *License number issued under section 8	

#### **Other Details**

4 *Whether application for revocation of license is made	O Voluntarily	On directions of the central government
5 (a) *Date of issue of order (DD/MM/YYYY)		
(b) *Due date for filing the order (DD/MM/YYYY)		
(c) *SRN of form INC-18		
<ul> <li>6 * Mention the name of the company in view of the order of r under section 8 (The word(s) Private limited, Limited may be added in nam the word(s) like Electoral trust, foundation, forum, associat</li> </ul>	e of the company and tion, federation, chaml	bers,

the word(s) like Electoral trust, foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council etc. shall be removed from the name. Thereupon the status of company will be changed accordingly.)

#### Attachment(s)

(a) Copy of order of Central Government	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(b) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

#### Declaration

I am authorised by the Board of Dir	ectors of the Company vide resolution no $^{*}$		dated *
	to sign this is form and declare that all the	requirements of Companies Act, 20	)13 and the
rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.			

I further declare that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

#### 3 Further, the conditions, if any imposed by the Central Government have also been fully complied with.

* To be digitally signed by	DSC BOX
* Designation	
(Director/Manager/Company Secretory/CFO/ CEO)	
* DIN of the director OR DIN or PAN of the manager or CEO or CFO or membership number of the company secretary	
	Save

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

# For office use only: eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY) Digital signature of the authorising officer This eForm is hereby registered Date of signing (DD/MM/YYYY)

# Form No. INC-20A

#### **Declaration for commencement of business**

[Pursuant to Section 10A(1)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 23A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

#### **Company Information**

1\*Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) \*Name of the Company



Form language English Hindi



(b) *Registered office address		
(c) *email id		
(d) *Longitude		
(e) *Latitude		
3 *Whether the company's activities is/are regulated by a Sectoral Regulator like RBI, SEBI, IRDAI etc.	O Yes	O No
(a) If Yes, specify Name of the regulator (IRDA/RBI/SEBI/MCA/Others)		V
(b) If Others, please specify		
(c) Letter number/registration number/ approval issued under section 406		
(d) Date of approval/registration of regulatory body as the case may be		

#### 4 Details of subscriber payment for value of shares

(a) *Number of Shareholders for which company wish to report					
S.no	Name of shareholder	Name of the bank with IFSC code in which amount of subscription money is received for shares subscribed during incorporation	Account number	Date of receipt	Amount of receipt
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1					
2					
3					
4					

#### Attachments

- (a) \*Photograph of Registered Office showing external building and inside office also showing therein at least one Director/ KMP
- (b) Certificate of Registration issued by the RBI (Only in case of Non-Banking Financial Companies) /from other regulator
- (c) Notification declaration as a Nidhi Company

Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINAR
-------------------------------------

Max

(d) Optional attachment(s) - if any

2 MB	Ch
------	----

#### Declaration

I am authorised by the Board of Direct	tors of the Company vide resolution no *	Dated
*	to sign this is form and declare that all the requirements of Companies Act, 2	013 and the
rules made thereunder in respect of t	he subject matter of this form and matters incidental thereto have been comp	olied with.

I further declare that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

3 Every subscriber to the MOA has paid the value for shares agreed to be taken by him.

4 The company has filed with the registrar a verification of its registered office as provided in subsection (2) of section 12.

#### \*To be digitally signed by

*Director	DSC BOX	
*Director identification number of the director		

#### **Certificate by Practicing Professional**

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder relevant to this form and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed

Chartered accountant (in whole-time practice) or

Cost accountant (in whole-time practice) or

Company secretary (in whole-time practice)

#### \*Whether associate or fellow:

Associate

🔘 Fellow

\*To be digitally signed by

Membership number

Certificate of practice number

Save	Submit

DSC BOX

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the register of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional.

#### For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)



Hindi

English

#### Notice of situation or change of situation of registered office

[Pursuant to section 12(2) & (4) of The Companies Act, 2013 and Rule 25 and 27 of The Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Refer instruction kit for filing the form.

All fields marked in \* are mandatory

#### **1** Company Information

Form No. INC-22

(a) *Corporate Identity Number (CIN)		
(b) *Name of the company		
(c) *Address of the registered office of the company		
(d) *Email ID of the company		
2 *Purpose of filing of form Verification of registered office post incorporation of company/ Change within the local limits of city, town or village / Change outside local limits of city, town or village within the same ROC and state/Change in ROC within the same Change in state within the jurisdiction of existing ROC/Change in State outside the jurisdiction of existing ROC	state/	
3 (a) *Have you filed MGT-14?	⊖ Yes	O No
(a)(i) If yes, enter service request number (SRN) of Form MGT-14		
(b) *Have you filed INC-28?	O Yes	O No
(b)(i) If yes, enter service request number (SRN) of Form INC-28		

# 4 Notice is hereby given that (DD/MM/YYYY) at (a) \*The address of the registered office of the company is situated w.e.f \*Address Line 1 Address Line 2 \*Country ▼ \*Pin code/Zip code \*Area/locality ▼ \*City District \*State/UT \*Longitude \*Latitude 5 Name of office of Proposed RoC or new RoC

#### Attachments

- (a) \*Proof of Registered Office address (Conveyance/Lease deed/Rent Agreement etc. along with the rent receipts) along with standard NOC in case of Leased or rented prope
- (b) \*Copies of the utility bills (not older than two months)
- (c) \*Photograph of Registered Office showing external building and inside office also showing therein at least one director/ KMP who has affixed his/her Digital Signature to this form.
- (d) A proof that the Company is permitted to use the address as the registered office of the Company if the same is owned by any other entity/ Person (not taken on lease by company)
- (e) Optional attachment(s) if any

	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
e	rty			
[	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
g				
	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
[	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
L				
	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

#### Declaration

I*		
a person named in the articles as a	(Director/Manager/Cor	<i>mpany Secretary)</i> of the company
have been authorised by the Board of Directors of the Con	npany vide resolution no.	
dated (DD/MM/YYYY)*	to sign this form and declare that	
* all the requirements of the Companies Act, 2013 and and matters incidental thereto have been complied with.	the rules made thereunder in respec	t of the subject matter of this form:
* I also declare that all the information given herein ab and nothing material has been suppressed.	pove is true, correct and complete inc	cluding the attachments to this form
☐ It is hereby further certified that [Chartered accountant (in whole time practice)/ Company a practice)]	, a, secretary (in whole time practice)/ Co	■ ost accountant (in whole time
having Membership number	and certificate of practice no.	
certifying this form has been duly engaged for this purpose	e.	
*To be digitally signed by		DSC BOX
*Designation	Γ	▼
(Director/Manager/Company Secretory/CFO/ CEO)	L	
*Director identification number of the director; or DIN or F CFO; or Membership number of the Company Secretary	PAN of the manager or CEO or	

#### **Certificate by Practicing Professional**

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the company and maintained as per the relevant provisions of The Companies Act, 2013 and were found to be in order;

2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;

3. I further declare that I have personally visited the registered office given in the form at the address mentioned herein above and verified that the said registered office of the company is functioning for the business purposes of the company.

To b	e digit	ally sigi	ned by
------	---------	-----------	--------

DSC BOX

Category

O Chartered accountant (in wholetime practice)

Form language

Hindi

English

O Company secretary (in wholetime practice)	
Whether	O Associate O Fellow
Membership number	
Certificate of Practice number	
	Save

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement/certificate and punishment for false evidence respectively.

The eForm has been taken on the file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company.

<i>For office use only:</i> eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
Digital signature of the authorising officer	
This eForm is hereby registered	DSC BOX
Date of signing (DD/MM/YYYY)	

# Form No. INC-23

Application to the Regional Director for approval to shift the Registered office from one state to another state or from jurisdiction of one Registrar to another Registrar within the same State



[Pursuant to section 12(5) and 13(4) of the Companies Act, 2013 and rule 28 and 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Refer instruction kit for filing the form.

All fields marked in \* are mandatory

1	Company	Information
---	---------	-------------

(a) *Corporate Identity Number (CIN)			
(b) *Name of the company			
(c) *Address of the registered office of the company			
(d) *Email ID of the company			
2 *Purpose of filing of form Change in ROC within the same state/Change in State within the jurisdiction of existing ROC /Change in State outside the jurisdiction of existing ROC		V	
3 *Have you filed MGT-14?	O Yes	O No	
(a) If yes, enter service request number (SRN) of Form MGT-14			
4 (a) *Name of the state/Union territory where the new registered office of the company would be situated		V	
(b) *Name of the office of new ROC where the new proposed registered office of the company would be situated		V	
5 *Reasons for shifting the Registered Office, along with facts of the case (Provide a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise.)			
6 Advertisement and objection details			
(a) *Any objections received in response to the advertisement	O Yes	O No	
(b) Brief details of the objections received in response to the advertisement			
(c) *Date of publishing of Advertisement in English (DD/MM/YYYY)			
(d) *Date of publishing of Advertisement in Vernacular Language (DD/MM/YYYY)			
7 Details of pending prosecution/ inquiry / inspection/ investigation			
(a) *Whether any prosecution is pending against the company under the Act	O Yes	O No	
(b) If yes, give brief details of the prosecution			
8 (a) Whether any of the following is initiated against the company under the Act			
Inquiry Inspection Investigation			
(b) If yes, give brief details of the inquiry, inspection, investigation			

210	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY		[PART II—SEC. 3(i)]
. ,	hether the company has serviced the copy of the application with complete nnexures with the chief secretary of the state	O Yes	O No
(b) If	yes, specify the date of acknowledgement of service (DD/MM/YYYY)		
	hether any application is pending before the Adjudicating officers, Central overnment and NCLT for condonation of delay, adjudication and compounding	O Yes	O No
(d) If	Yes, specify the details of such pending application		

#### 10 List of creditors

S.N	lo	Name of creditor	Address	Nature	Amounts due in respect of debts, claims or liabilities
1					
2					
3					

Add row Delete row

#### 11 List of debenture holders

S.No	۰ 		Name of debenture holders	Address	Nature	Amounts due in respect of debts, claims or liabilities
1						
2		]				
3						

Add row

Delete row

#### Attachments Max 2 MB Choose File Download (a) \*Power of attorney/vakalatnama/Board resolution Remove (b) \*Copy of newspaper advertisement for notice of Max 2 MB Choose File Remove Download shifting the registered office (c) \*Acknowledgement of Proof of service of the application Choose File Remove Download Max 2 MB to the Chief secretary of the state, SEBI or any other regulatory authority (if applicable) Max 2 MB Choose File Remove Download (d) Copy of objections (if received any) Max 2 MB Choose File Remove Download (e) Optional attachment, if any.

#### Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number \* Dated (DD/MM/YYYY)\* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

#### I further declare that:

For office use only:

\*Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

\*All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

\*Any application, writ petition or suit had not been filed regarding the matter in respect of which this petition/application has been made, before any court of law or any other authority or any other Bench or the Board and not any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

\*The company has not defaulted in payment of dues to its workmen and has either the consent of its creditors for the proposed shifting or has made necessary provision for the payment thereof.

The company shall not seek change in the jurisdiction of the Court where cases for prosecution are pending.

\*No employee shall be retrenched as a consequence of shifting of the registered office from one state to another state and also there shall be an application filed by the company to the Chief Secretary of the concerned State Government or the Union territory.

A full enquiry has been made into the affairs of the company and, having done so, it is concluded that the list of creditors are correct, and that the estimated value as given in the list of the debts or claims payable on a contingency or not ascertained are proper estimates of the values of such debts and claims and that there are no other debts of or claims against the company to their knowledge.

*To be digitally signed by	DSC BOX
*Designation	
(Director/Manager/Company Secretory/CEO/ CFO)	
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company Secretary	

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement/certificate and punishment for false evidence respectively.

eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
Digital signature of the authorising officer	
This eForm is hereby approved	DSC BOX
This eForm is hereby rejected	DSC BOX
Date of signing (DD/MM/YYYY)	

Submit

Save

# Form No. INC-24

Application for approval of Central Government for change of name

[Pursuant to section 13(2) of the Companies Act, 2013 and Rule 29(2) and 33A of the Companies (Incorporation) Rules 2014]





#### Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

#### **Company Information**

- 1 \*Corporate Identity Number (CIN)
- 2 (a) \*Name of the company
  - (b) \*Address of the registered office of the company
  - (c) \*Email ID of the company

#### Details of SRN and change of name

- 3 (a) \*Service Request Number (SRN) of RUN
  - (b) \*Proposed name of the company
- 4 \*Reason(s) for change of name
- 5 Particulars of filing Form MGT-14 with Registrar of Companies (RoC)

\*SRN of Form MGT-14

6 \*Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)

#### **Details of members**

- 7 (a) Number of members present at the meeting where the special resolution was passed for change of name and number of shares held by them
  - (i) \*Number of members
  - (ii) \*Number of shares held by them



(b) Number of members who voted in favour of change of name and number of shares held by them	
(i) *Number of members	
(ii) *Number of shares held by them	
(c) Number of members who voted against the change of name and number of shares held by them	
(i) *Number of members	
(ii) *Number of shares held by them	
(d) Details of members who abstained from voting and number of shares held by them	
(i) *Number of members	
(ii) *Number of shares held by them	
Attachments	

Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

#### Decleration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments is correct and complete and company has obtained all the mandatory approvals from the concerned authorities and departments in respect of change of name of the company.

The Company is not under default for payment or repayment of matured deposits or debentures or interest thereon.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number * * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this application.	dated		
*To be digitally signed by	DSC BOX		
*Designation (Director/Manager/Company Secretary/CEO/CFO)			
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the Manager/CEO/CFO; or Membership number of the Company Secretary			

Note: Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 of the Companies Act, 2013, which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

#### For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This eForm is hereby approved

This eForm is hereby rejected

Date of signing (DD/MM/YYYY)

# Form No. INC-27

Conversion of public company into private company or private company into public company and Conversion of Unlimited Liability Company into a Company Limited by shares or guarantee or conversion of guarantee company into a company limited by shares [Pursuant to section 14 and 18 of the Companies Act, 2013 and Rule 33, Rule 37 and Rule 39 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

#### Entity's details

1 \*Application for

- O Conversion of private company into public company
- O Conversion of public company into private company
- O Conversion of Unlimited Liability Company into a Company Limited by shares
- $\bigcirc$  Conversion of Unlimited Liability Company into a Company Limited by guarantee
- Conversion of company limited by guarantee into a company limited by shares

2 \*Corporate Identity Number (CIN)

3 (a) \*Name of the Company











(b) *Registered office address	
(c) *email ID of the company	
4 *Reason(s) for conversion	
5 Particulars of filing Form MGT-14 with Registrar of Companies (ROC)	
(a) *SRN of Form MGT-14	
(b) *Date of passing the special resolution (DD/MM/YYYY)	
6 Particulars of the order of Central Government	
(a) SRN of Form RD-1	
(b) Date of passing the order (DD/MM/YYYY)	
(c) Date of receiving the order (DD/MM/YYYY)	
7 *Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)	
8 (a) Date of publication of notice in English language as per rule 37 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (DD/MM/YYYY)	

- (b) Date of publication of notice in vernacular language as per rule 37 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (DD/MM/YYYY)
- 9 Particulars of Creditors and Debenture Holders

S. No	Name of the Creditor / Debenture Holder	Туре	Address	Amount Due	Remarks (Nature of Debt / Claim / Liability)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vii)
		▼			

Add row

Download excel

Import

#### Attachments

(a) Copy of Newspaper publication

Delete row

- (b) \*A copy of Statutory Auditors Certificate
- (c) Optional attachment(s), if any

Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

#### Declaration

I have been authorised by the board o		dated (DD/MM/YYYY) *
	to sign and submit this application. I, further declar	e the following:
*To the best of my knowledge and	belief, the information given in this application and	its attachments are correct and complete.
*The company has obtained all the	e mandatory approvals from the concerned authoriti	es, departments and substantial creditors.
*To be digitally signed by		DSC BOX
*Designation		
(Director/Manager/ Company Secretary/CFO/C	EO)	
* Director identification number of the or CFO; or Membership number of t	e director; or DIN or PAN of the manager or CEO he company secretary	

#### **Declarations under rule 37**

I, on behalf of Board of Directors, hereby declare that conversion shall not affect any debts, liabilities, obligations or contracts incurred or entered into by or on behalf of the Company before conversion (except to the extent that the liability of the members shall become limited)

[] I, on behalf of Board of Directors, hereby declare that we have made full enquiry into the affairs of the Company and, having done so, have formed an opinion that the list of creditors is correct, and that the estimated value as given in the list of the debts or claims payable on a contingency are proper estimates of the values of such debts and claims and that there are no other debts or claims against the company to our knowledge.

I, on behalf of Board of Directors, hereby declare that we have made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which we have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of declaration, through a resolution, passed in a duly convened meeting or by circulation

I, on behalf of Board of Directors, hereby declare that no complaints are pending against the company from the members or investors and no inquiry, inspection or investigation is pending against the company or its Directors or officers

I, on behalf of Board of Directors, hereby declare that notice as required under rule 37(2) of The Companies (Incorporation) Rules, 2014 has been dispatched to all the creditors and debenture holders with proof of dispatch.

To be digitally signed by	DSC BOX
Designation (Director)	
Director identification number of the director.	
To be digitally signed by	DSC BOX
Designation (Director)	V
Director identification number of the director;	
-------------------------------------------------	--
Declaration and Certification by Professional	

भारत का राजपत्र : असाधारण

217

[भाग II-खण्ड 3(i)]

13	*	member of*		having office at*	
w	ho is engaged in the conversion of	f the company.	. declare that I have been duly e	ngaged for the purpose	of certification of this

who is engaged in the conversion of the company, declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby also certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that;

(i) The company is eligible for conversion and does not attract any disqualification as specified under rule 8 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, and

(ii) All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to conversion of the company from unlimited liability to limited liability and matters precedent or incidental thereto have been complied with. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

(iii) I have opened all the attachments to this form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;

(iv) It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

*To be digitally signed by	DSC BOX	
O Chartered accountant (in whole-time practice) or		
O Cost accountant (in whole-time practice) or		
O Company secretary (in whole-time practice)		
*Whether associate or fellow:		
O Associate O Fellow		
Membership number		
Certificate of practice number		
	Save	ubmit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement/ certificate and punishment for false evidence respectively.

# For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

#### Digital signature of the authorising officer

This eForm is hereby registered

Date of signing (DD/MM/YYYY)



DSC BOX		

# Form No. INC-28

# Notice of Order of the Court or Tribunal or any other competent authority

[Pursuant to Section 12(6), 13(7), 48(4), 58(5), 87, 111(3), 66(5), 230(8), 232, 233(7), 234, 237, 252(2), 441 and others of the Companies Act, 2013 and Section 17(1), 81(4), 107(3), 167, 186, 391, 394(1), 396, 397, 398, 445, 466, 481, 518, 559, 621A, Amalgamation- Others and others of the Companies Act, 1956 and Section 7, 9, 10, 12A, 22(3), 31, 33, 54, 59(8) and others of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

# **Company Information**

- 1 (a) \*Corporate Identity Number (CIN) or Foreign Company Registration Number (FCRN)
- 2 (a) \*Name of the Company
  - (b) \*Address of the registered office of the company or of the principal place of business in India of the company
  - (c) \*Email ID of the company

# 3 (a) \*Order passed by

(Court/ NCLT/Central Government/NCLAT/BIFR/ Debt Recovery Tribunal (DRT) Any other competent authority)

(b)(i) Name of Court



Form language
English







(b) SRN of the relevant form

(ii) Name of the Central Government office	
(iii) Name of the Debt Recovery Tribunal	
(iv) Name of the competent authority	
(c) *Location	
(c)(i) Others (please specify the bench name)	
(d) *Petition or application number	
(e) *Order number	
4 *Date of passing the order(DD/MM/YYYY)	
5 (a) *Relevant act under which order is passed (The Companies Act, 2013 / The Companies Act, 1956 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)	
(b)(i) Section of the Companies Act, 2013 under which order passed	
(ii) Section of the Companies Act, 1956 under which order passed	
(iii) Section of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 under which order passed	
(c) If others, mention the section of the Act	
(d) Brief description of the applicable section	
6 Number of days within which order is to be filed with Registrar	
(To be entered pursuant to aforesaid sections or in terms of court order or Tribunal order or order of the competent authority, as the case may be)	
7 Date of application to court or Tribunal or the competent authority for issue of Certified copy of order(DD/MM/YYYY)	
8 Date of issue of certified copy of order (DD/MM/YYYY)	
9 *Due date by which order is to be filed with Registrar (DD/MM/YYYY)	
10(a) In case of compounding of offence, enter Service request number SRN(s) of Form 61	

Yes Yes Yes	<ul> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> </ul>
O Yes	0
	O No
feror or transferee	
O Yes	O No

#### **13** Authorised Share capital details

#### 13A Details of Authorised share capital of the Transferor company

 Type of shares
 Class of shares
 Nominal value
 Existing number of shares
 Total

 Image: Ima

# 13B Details of Authorised share capital of the Transferee company

Name of the transferee company

			Before amalgamation		After amalgamation	
Type of shares	Class of shares	Nominal value	Existing number of shares	Total	Revised number of shares	Total
Unclassified shares						
Total share capital						

Add row

Delete row

# 14 In case of winding up, provide following details

14 (a) Date of commencement of winding up under section 445 o	f
The Companies Act, 1956(DD/MM/YYYY)	

(b) Details of the liquidator

Income-tax permanent account number (Income-tax PAN) of the liquidator

Name of Liquidator

Address

Address Line 1

Address Line 2

Country



		٦
		٦

Pin Code/Zip code	
Area/Locality	
City	
District	
State/ UT	
15 Date with effect from which winding up proceedings have been stayed under section 466 of The Companies Act, 1956	
16 Date of dissolution under section 481 of the Companies Act, 1956(DD/MM/YYYY)	
17 (a) Date with effect from which dissolution has been declared as void under section 559 of The Companies Act, 1956	
(b) Whether the order is in respect of company dissolved under section 394 of The Companies Act, 1956	O Yes O No

If yes, provide details of the transferor company whose dissolution has been declared as void

CIN or FCRN

Name

Date of amalgamation(DD/MM/YYYY)

18 The paid up share capital of the company has been reduced from

Type of shares	Class of shares	Nominal value	Existing number of shares	Whether revision required	Reduction in number of shares	Revised number of shares	Existing total value	Revised total value	Total value of reduction
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)

Add row

Delete row

19 Details of Interim Resolution Professional (IRP)/ Details of Resolution Professional (RP) / Details of Liquidator

(a) Income-tax permanent account number (Income-tax PAN)

(b) IBBI Registration No.



(c) Name	
(d) Mobile (with country code)	
(e) Email ID	
(f) Address	
Address Line 1	
Address Line 2	
Country	
Pin Code/Zip code	
Area/Locality	
City	
District	
State/ UT	

#### Attachments

1 *Copy of order of Court/ NCLT/ NCLAT/ BIFR/ Central Government/ DRT / any other Competent Authority	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
2 Optional attachment(s) - if any	MUX E MD	choose the		Download

#### Declaration

am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no *		
dated(DD/MM/YYYY) *	to sign this form and I declare that all the requirements of the	
companies Act,2013 and rules thereunder in respect of the	subject matter of this form and matters incidental thereto have	
peen compiled with. I further declare that:		

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

\*To be digitally signed by

DSC BOX

#### Particulars of person signing the form

\*Name

#### \*Designation

(Director/ Managing director/Manager/ Secretary/AuthorisedRepresentative/ Liquidator /Interim Resolution Professional (IRP)/Resolution Professional (RP)/Others)

Capac	city
-------	------

\*DIN or Income-tax PAN or Membership number

#### **Certificate by Practicing Professional**

It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

Chartered accountant (in whole-time practice) or				
Cost accountant (in whole-time practice) or				
O Company secretary (in whole-time practice)				
To be digitally signed by	DSC BOX			
Whether associate or fellow:				
O Associate O Fellow				
Membership number				
Certificate of practice number				
	Save			
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies A statement / certificate and punishment for false evidence respectively.	Act, 2013 which provide for punishment for false			
For office use only:				
eForm Service request number (SRN)				
eForm filing date (DD/MM/YYYY)				
This eForm is hereby registered				
Digital signature of the authorising officer	DSC BOX			
Date of signing (DD/MM/YYYY)				

# Form No. INC-31

#### e-AOA (e-Articles of Association)

[Pursuant to Section 5 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Schedule I]

# HCZHQ JZA





Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

Table applicable to company as notified under schedule I of the Companies Act, 2013 (F, G, H)

Table F / G / H (basis on the selection of above-mentioned field) as notified under

schedule I of the companies Act, 2013 is applicable to

(F – a company limited by shares

G– a company limited by guarantee and having a share capital

*H* – a company limited by guarantee and not having share capital)

The name of the company is

Check if not applicable	Check if altered	Article No.	Description
			Interpretation
			<ul> <li>(1) In these regulations— <ul> <li>(a) "the Act" means the Companies Act, 2013,</li> <li>(b) "the seal" means the common seal of the company.</li> </ul> </li> <li>(2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.</li> </ul>
			Members / Number of Members
			The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.
			The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.
			Share capital and variation of rights
			Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.
			<ul> <li>(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,—</li> <li>(a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or</li> </ul>





	(b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first.
	(ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon.
	(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders
	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate.
	(ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall <i>mutatis mutandis</i> apply to debentures of the company.
	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.
	<ul> <li>(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder.</li> <li>(ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40.</li> <li>(iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.</li> </ul>
	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class.
	(ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall <i>mutatis mutandis</i> apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.
	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking <i>pari passu</i> therewith.
	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.

(i) The company shall have a first and paramount lien—

Lien

#### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising the call was passed and may be required to be paid by instalments.
	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
	<ul> <li>(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine.</li> <li>(ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.</li> </ul>
	<ul> <li>(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable.</li> <li>(ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.</li> </ul>
	The Board— (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.
	Transfer of shares
	<ul> <li>(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee.</li> <li>(ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.</li> </ul>
	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register— (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or (b) any transfer of shares on which the company has a lien.
	<ul> <li>(a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56;</li> <li>(b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transfer to make the transfer; and</li> <li>(c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.</li> </ul>
	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine: Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.
	Transmission of shares
	<ul> <li>(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares</li> </ul>

	(ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.
	<ul> <li>(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either—</li> <li>(a) to be registered himself as holder of the share; or</li> <li>(b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made.</li> <li>(ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.</li> </ul>
	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects.
	(ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share.
	(iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.
	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company:
	Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.
	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member;
	(ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company;
	(iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable;
	(iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.
	Forfeiture of shares
	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or

	instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.
	The notice aforesaid shall—
	(a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and
	(b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.
	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.
	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit.
	(ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.
	(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares.
	(ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.
	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share;
	(ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of;
	(iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and
	(iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.
	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.
	Alteration of capital
	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.
	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution, $-$
	(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;

	(b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;
	(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum;
	(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.
	Where shares are converted into stock, $-$
	(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.
	(b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.
	(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.
	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law, — (a) its share capital; (b) any capital redemption reserve account; or (c) any share premium account.
	Capitalisation of profits
	(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve—
	(a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and
	(b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.
	<ul> <li>(ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards—</li> <li>(A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively;</li> </ul>
	<ul> <li>(B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid;</li> <li>(C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B);</li> </ul>
	<ul> <li>(D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares;</li> </ul>

1	
	(E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.
	<ul> <li>(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall—</li> <li>(a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and</li> <li>(b) generally do all acts and things required to give effect thereto.</li> </ul>
	<ul> <li>(ii) The Board shall have power—</li> <li>(a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and</li> <li>(b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares;</li> </ul>
	(iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.
	Buy-back of shares
	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.
	General meetings
	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.
	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.
	(ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.
	Proceedings at general meetings
	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.
	(ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.
	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.
	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.
	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.

-		
		In case of a One Person Company—
		(i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118;
		(ii) such minutes book shall be signed and dated by the member;
		(iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.
		Adjournment of meeting
		(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so, directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.
		(ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.
		(iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.
		(iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.
		Voting rights
		Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,—
		<ul><li>(a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and</li><li>(b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.</li></ul>
		A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.
		(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.
		(ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.
		A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.
		Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.
		No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid
	1	

	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.
	(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.
	Every member shall have one vote
	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given:
	Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.
	Ргоху
	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.
	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105.
	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given:
	Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.
	Board of Directors
	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.
	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day.
	<ul> <li>(ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them—</li> <li>(a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or</li> <li>(b) in connection with the business of the company.</li> </ul>
	The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.
	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may think fit respecting the keeping of any such register.
	All cheques, promissory notes, drafts, <i>hundis</i> , bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted,

	endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine.
	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.
	(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles.
	(ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.
	Proceedings of the Board
	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit.
	(ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.
	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.
	(ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.
	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.
	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office.
	(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.
	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.
	(ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.
	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings.
	(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.
	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit.

	(ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.
	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.
	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.
	(i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the
	meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer
	Subject to the provisions of the Act, —
	(i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board;
	(ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer
	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.
	The Seal
	<ul> <li>(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal.</li> <li>(ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.</li> </ul>
	Dividends and Reserve
	The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.

	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.
	<ul> <li>(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit.</li> <li>(ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide,</li> </ul>
	without setting them aside as a reserve.
	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares.
	(ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share.
	(iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.
	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.
	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.
	(ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.
	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.
	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.
	No dividend shall bear interest against the company.
	Accounts
	(i) The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the company, or any of them, shall be open to the inspection of members not being directors.

	Others
	IndemnityEvery officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal.
	(iii) The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories if he considers necessary, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.
	shall consist of property of the same kind or not. (ii) For the purpose aforesaid, the liquidator may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members.
	(i) If the company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the Act, divide amongst the members, in specie or kind, the whole or any part of the assets of the company, whether they
	Subject to the provisions of Chapter XX of the Act and rules made thereunder—
	Winding up
	(ii) No member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by law or authorised by the Board or by the company in general meeting.

# **Subscriber Details**

S. No.	Subscriber Details				
	Name, Address, Description and Occupation	DIN / PAN / Passport number	Place	DSC	Dated
1.					
2					

	Signed before me					
Name Prefix (ACA/FCA/ACS/ FCS/ACMA/FCMA)	*Name of the witness	*Address, Description and Occupation	*DIN / PAN / Passport number / Membership number	*Place	DSC	Dated

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	239
Attachments		▼
First Subscriber (s) sheet	Max 2 MB Choose File	Remove Download
Declaration		
Pursuant to resolution no.	dated,	I, on the behalf of
Board of Directors, declare that following amendments	s have been adopted in Articles of Association:	
To be digitally signed by		
Name		
Designation	Director	
DIN		▼
DSC	DSC BOX	
	Save	Submit
SPICe+ Part-A	Form I	anguage sh Hindi
Name Reservation [Pursuant to section 4 of Companies Act, 2013 read wit rule 8 and 9 of Companies (Incorporation) Rules 2014] Form NO. INC-32		
Refer instruction kit for filing the form		
All fields marked in * are mandatory		

# **Company Information**

1 (a) \*Type of company

\*LLPIN

\* Class of the company

# \* Category of the company

# Sub-category of the company

# Search and select industry sub-class



# \*Particulars of the proposed or approved name



# Structure of the Company

- 1 (a) \*Whether AOA is entrenched?
  - (b) Number of Articles to which provisions of entrenchment is applicable



# Details of such articles

Sr. No. Article Number		Short description on entrenchment	Short description on entrenchment of the clause			
2. *Company i	S	O Having share capital	O Not having share capital			
3A *Capital str	ucture of the company					
Total authorize	ed share capital (in INR)					
Total classified	l authorized share capita	n INR)				

\*Total unclassified authorized share capital (in INR)

Total subscribed share capital (in INR)

# 3A(i) \*Equity share capital

Number of classes

# Description of equity share capital

Class of shares	Authorized capital	Subscribed capital
Number of equity shares		
Nominal amount per share (in INR)		
Total amount (in INR)		

# 3A(ii) \*Preference share capital

Number of classes

# Description of Preference share capital

Class of shares	Authorized capital	Subscribed capital
Number of preference shares		
Nominal amount per share (in INR)		
Total amount (in INR)		

# 3B \*Details of number of members

(a) Enter the maximum number of members	
(b) Maximum number of members excluding proposed employees	

(c) Number of members	
(d) Number of members excluding proposed employee(s)	

# 4A \*Correspondence address

*Line I			
Line II			
*Pin code			
*Area/Locality			
*City			
*State/UT			
*District			
Contact Details: Phone No			
Contact details: Mobile No.		+91	
Fax			
email ID of the company			
4B *Whether the address for correspondence is the address of r	registered	O <sup>Yes</sup>	O No
office of the company			
(In case Yes is selected, please provide Longitude and Latitude details)			
Longitude			
Latitude			
Attachments:			
<ol> <li>Proof of Office address along with NOC, if applicable (Conveyance/ Lease deed /Rent Agreement along with rent receipts);</li> </ol>	Max 2 MB	Choose File	Remove
2. Copy of the utility bills (not older than two months);	Max 2 MB	Choose File	Remove
4C *Name of the office of the Registrar of Companies in which company is to be registered	the proposed		

5. \*Number of first subscriber(s) to MOA and directors of the company

	Having valid DIN	Not having valid DIN
(a) Total number of first subscribers (non-individual + individual)		
(b) Number of non-individual first subscriber(s)		
(c) Number of individual first subscriber(s) cum director(s)		
(d)Total number of directors (director(s) who Is/are not subscriber(s) + subscriber(s) cum director(s) as mentioned in above Row no. 3)		

# 6. Particulars of Non- Individual Subscribers / Individual Subscribers other than Subscriber(s) cum Directors

# 6A \*Particulars of non-individual first subscriber(s)

# 6A(i) Particulars of entity

*Category (Company/Foreign company/ Company incorporated outside India Body Corporate/Others)	
*Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) or any other registration number	Pre-Fill
*Name of the body corporate	
Registered office address or Principal place of business in India or Principal place of business outside India	
*Line I	
Line II	
*Country	
*Pin code	
Area/ Locality	
*City	
*State / UT	
District	
*Phone (with STD/ISD code)	
Fax	

*email ID of the company	
6A(ii) Particulars of the person authorized by the entity	
Director Identification number (DIN)	Pre-Fill
Fetch from digilocker	
*First Name	
Middle Name	
*Surname	
*Father's First Name	
Father's Middle Name	
*Father's Surname	
*Gender (Male/Female/Transgender)	
*Date of Birth ( <u>DD/MM/YYYY</u> )	
*Nationality	
Income tax- PAN	Verify details
*Place of Birth (District & State)	
*Occupation type	
(Business/Professional/Government /Employment/Private Employment /Housewife Student/Others	
*Area of Occupation	
*If 'Others' selected, please specify	
*Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification Bachelor's degree/master's degree/Doctorate or higher/Professional	Ţ
<i>Diploma/Others)</i> If 'Others' selected, please specify	
If 'Others' selected, please specify	

*Country	
*Pin code	
*Area/ Locality	
*City	
* State / UT	
District	
*Phone (with STD/ISD code)	
Fax	
e-mail ID of the company	
* Identity Proof (Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)	
* Residential Proof (Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)	
*Identity Proof No.	
*Residential Proof No.	

# \*Submit the proof of identity and proof of address

- (c) \* Proof of identity
- (d) \*Residential proof

Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

# Description of Share capital

Total subscribed share capital (in INR)

# Description of equity share capital

\*Number of classes

Class of shares	Subscribed capital
Number of equity shares	
Nominal amount per share (in INR)	
Total amount (in INR)	

#### Description of Preference share capital

\*Number of classes

Class of shares	Subscribed capital
Number of preference shares	
Nominal amount per share (in INR)	
Total amount (in INR)	

0 I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith.

or

0 I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares.

# 6B Particulars of individual first subscriber(s) other than subscriber cum director (having valid DIN)

*Director Identification number (DIN)		
*Name Description of Share capital		Pre-Fill
Total subscribed share capital (in INR) Description of equity share capital		
*Number of classes		
Class of shares	Subscribed capital	

# Description of Preference share capital

Nominal amount per share (in INR)

\*Number of classes

Total amount (in INR)

Class of shares	Subscribed capital
Number of preference shares	
Nominal amount per share (in INR)	
Total amount (in INR)	

I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules,
 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith.

0 I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares.

#### Fetch from digilocker

6C \*Particulars of individual first subscriber(s) other than subscriber cum director (Not having valid DIN)

*First Name		
Middle Name		
*Surname		
Sundine		
*Father's First Name		
Father's Middle Name		
*Father's Surname		
*Gender		
(Male/Female/Transgender)		V
	_	
*Date of Birth (DD/MM/YYYY)		
*Nationality		
*Place of Birth (District & State)		
*Occupation type		
(Business/Professional/Government /Employment/Private Employment /Housewife Student/Others)		V
student/Others/	Г	
Area of Occupation		V
If 'Others' selected, please specify		
In Others' selected, please specify		
*Educational Qualification		V
(Primary education/Secondary education/Vocational qualification Bachelor's degree/master's degree/Doctorate or higher/Professional		
Diploma/Others)	_	
If 'Others' selected, please specify		
in others selected, please spearly		
PAN		Verific deteile
*email ID		Verify details
Permanent address		
*Line I		

Line II	
*Country	
*Pin code	
*Area/ Locality	
*City	
State / UT	
District	
*Phone (with STD/ISD code)	
*Whether present residential address same as permanent residential address	O Yes O No
*Present address	
* Line I	
Line II	
*Country	
*Pin code	
Area/ Locality	
*City	
* State / UT	
District	
*Phone (with STD/ISD code)	
Duration of stay at present address (Years/Month) (Year -> 0 to 99	
Month -> 0 to 11) *If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence	
* Identity Proof (Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)	
*Residential Proof (Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)	
*Identity Proof No.	
*Residential Proof No.	

\*Submit the proof of identity and proof of address

Max 2 MB

# (a) \* Proof of identity

(b) \*Residential proof

Choose File Remove Download Max 2 MB Choose File Remove Download

#### Description of Share capital

Total subscribed share capital (in INR)

#### Description of equity share capital

\*Number of classes

Class of shares	Subscribed capital
Number of equity shares	
Nominal amount per share (in INR)	
Total amount (in INR)	

#### Description of Preference share capital

\*Number of classes

Class of shares	Subscribed capital
Number of preference shares	
Nominal amount per share (in INR)	
Total amount (in INR)	

I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt 0 Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith.

or

I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt 0 Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares.

# 7. Particulars of Subscriber(s) cum Directors/ Directors of the Company

7A Particulars of Subscriber(s) cum Directors (having valid DIN)

7A(i) Basic details of Subscriber(s) cum Directors

Director Identification number (DIN)

\*Name

	Pre-Fill

*Designation (Director/Managing director/Whole time director/Nominee director)			
*Category (Promoter/Professional /Independent, /Nominee)			
Whether			
Chairman			
Executive director			
Non-executive director			
*Name of the company or institution whose nominee the appointee is			
*email ID			
Description of Share capital			
Total subscribed share capital (in INR)			
Description of equity share capital			
*Number of classes			

Class of shares	Subscribed capital
Number of equity shares	
Nominal amount per share (in INR)	
Total amount (in INR)	

# Description of Preference share capital

\*Number of classes

Class of shares	Subscribed capital	
Number of preference shares		
Nominal amount per share (in INR)		
Total amount (in INR)		

# 7A(ii) Declaration of entities in which Subscribers cum directors have interest

Number of entities in which director has interest

\*CIN/LLPIN/FCRN/Registration number

*Name	
*Address	
*Nature of interest	*Designation Others (specify)
	Percentage of Shareholding Amount (in INR)

I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules,
 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith.

or

0 I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares.

7B. Particulars of Subscriber(s) cum Directors (Not having valid DIN)

Fetch from digilocker

#### 7B(i) Basic details of Subscriber(s) cum Directors

*First Name	
Middle Name	
*Surname	
*Father's First Name	
Father's Middle Name	
*Father's Surname	
*Gender	
*Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
*Nationality	
*Place of Birth	
Whether citizen of India	Yes No

Whether resident in India	С	) Yes	O No		
*Occupation type (Business/Professional/Government /Employment/Private Employment /Housewife Student/Others	[				
*Area of Occupation	[		T		
If 'Others' selected, please specify					
*Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification Bachelor's degree/master's degree/Doctorate or higher/Professional Diploma/Others) If 'Others' selected, please specify	[				
PAN			Verify details		
*Designation (Director/Managing director/Whole time director/Nominee director) *Category (Promoter/Professional /Independent, /Nominee)	[		<ul> <li>▼</li> </ul>		
Whether Chairman Executive director Non-executive director					
*Name of the company or institution whose nominee the appointee is					
* Mobile No * Email ID					
Permanent address					
*Line I					
Line II	[				
*Country	[				
*Pin code					
*Area/ Locality	[				
*City					
*State / UT	[				
*District					
------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	--------	----	---------
Phone (with STD/ISD code)					
*Whether present residential address same as permanent reside	ential address	0	Yes	0	No
*Present address					
*Line I					
Line II					
*Country					
*Pin code					
*Area/ Locality					
*City					
State / UT					
District					
Phone (with STD/ISD code)					
Duration of stay at present address (Years/Month)					
(Year -> 0 to 99 Month -> 0 to 11)					
*If Duration of stay at present address is less than one year ther residence	address of previous				
*Identity Proof					
(Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)					
*Residential Proof					
(Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)					
*Identity Proof No.					
Residential Proof No.					
*Submit the proof of identity and proof of address					
* Proof of identity	Max 2 MB	Choose File	Remove	Do	ownload
Residential proof	Max 2 MB	Choose File	Remove		ownload
Description of Share capital	J				

Total subscribed share capital (in INR)

# Description of equity share capital

\*Number of classes

Class of shares	Subscribed capital
Number of equity shares	
Nominal amount per share (in INR)	
Total amount (in INR)	

# Description of Preference share capital

\*Number of classes

Class of shares	Subscribed capital
Number of preference shares	
Nominal amount per share (in INR)	
Total amount (in INR)	

7B(ii) Declaration of entities in which Subscribers cum directors have interest

Number of	entities in which director has interest
*CIN/LLPIN,	/FCRN/Registration number
*Name	
*Address	
*Nature of interest	*Designation Others (specify)
	Percentage of Shareholding Amount (in INR)

0 I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith.

or

0 I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares.

7C. Particulars of Directors (having valid DIN)

## 7C(i) Basic details of Directors

\*Director Identification number (DIN)

\*Name

\*Designation (Director/Managing director/Whole time director/Nominee director)

# \*Category

(Promoter/Professional /Independent, /Nominee)

#### Whether

Chairman

Executive director

Non-executive director

Name of the company or institution whose nominee the appointee is

## \*email ID

# 7C(ii) Declaration of entities in which Subscribers cum directors have interest

Number of entities in which director has interest

\*CIN/LLPIN/FCRN/Registration number

\*Name

\*Address

*Nature of interest	*Designation	Others (specify)
	Percentage of Shareholdi	g Amount (in INR)

]

# 7D. Particulars of Directors (Not having DIN)

Fetch from digilocker

7D(i) Basic details of Directors



255



▼	
•	

*First Name		
Middle Name		
*Surname		
*Father's First Name		
Father's Middle Name		
*Father's Surname		
*Gender		
*Date of Birth (DD/MM/YYYY)		
*Nationality		
*Place of Birth		
Whether citizen of India	O Yes	O No
Whether resident in India	O Yes	O No
*Occupation type		
(Business/Professional/Government /Employment/Private Employment /Housewife		
(Business/Professional/Government /Employment/Private Employment /Housewife Student/Others		
		▼
Student/Others		
<i>Student/Others</i> *Area of Occupation		
Student/Others *Area of Occupation If 'Others' selected, please specify *Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification Bachelor's degree/master's degree/Doctorate or higher/Professional		
Student/Others *Area of Occupation If 'Others' selected, please specify *Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification Bachelor's degree/master's degree/Doctorate or higher/Professional Diploma/Others)		
Student/Others *Area of Occupation If 'Others' selected, please specify *Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification Bachelor's degree/master's degree/Doctorate or higher/Professional Diploma/Others) If 'Others' selected, please specify		
Student/Others *Area of Occupation If 'Others' selected, please specify *Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification Bachelor's degree/master's degree/Doctorate or higher/Professional Diploma/Others) If 'Others' selected, please specify PAN *Designation		Verify details

- Executive director
- Non-executive director

*Name of the company or institution whose nominee the appointee is	
* Mobile No	
* Email ID	
Permanent address	
*Line I	
Line II	
*Country	
*Pin code	
Area/ Locality	
*City	
*State/UT	
District	
Phone (with STD/ISD code)	
*Whether present residential address same as permanent residential address	O Yes O No
*Present address	
*Line I	
Line II	
*Country	
*Pin code	
*Area/ Locality	
*City	
State / UT	
District	
Phone (with STD/ISD code)	

Duration of stay at present address (Years/Month) ▼ (Year -> 0 to 99 Month -> 0 to 11) \*If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence \* Identity Proof V (Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar) \* Residential Proof ▼ (Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar) \*Identity Proof No. \*Residential Proof No. \*Submit the proof of identity and proof of address (a) \* Proof of identity Max 2 MB Choose File Download Remove (b) \*Residential proof Max 2 MB Choose File Download Remove 7D(ii) Declaration of entities in which Directors have interest Number of entities in which director has interest \*CIN/LLPIN/FCRN/Registration number

- \*Name
- \*Address

*Nature of interest	*Designation	Others (specify)
	Percentage of Shareholding	Amount (in INR)

# 8. OPC Nomination

# 8A \*Nomination

*	the	e subscriber to the memorandum of	f association of	
do hereby nominate *	First Name	Middle Name	Last Name	

who shall become the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare that the nominee is eligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

# 8B \*Particulars of the Nominee

## (ii) Particulars of the person authorized by the entity

Director Identification number (DIN)

Fetch from digilocker	
*First Name	
Middle Name	
*Surname	
*Father's First Name	
Father's Middle Name	
*Father's Surname	
*Gender	
*Date of Birth (DD/MM/YYYY )	
*Nationality	
*Income tax -PAN	Verify details
*Place of Birth (District & State)	
*Occupation type (Business/Professional/Government /Employment/Private Employment /Housewife Student/Others	
*Area of Occupation	
If 'Others' selected, please specify	
*Educational Qualification (Primary education/Secondary education/Vocational qualification Bachelor's degree/master's degree/Doctorate or higher/Professional Diploma/Others)	
If 'Others' selected, please specify	
* Mobile No	
* Email ID	

Permanent Address			
*Line I			
Line II			
*Country			
*Pin code			
*Area/ Locality			
*City			
*State / UT			
District			
Phone (with STD/ISD code)			
Fax			
Whether present address same as permanent address <b>*Present address</b>	O Yes	O No	
*Line I			
Line II			
*Country			
*Pin code			
*Area/ Locality			
*City			
State / UT			
District			
Phone (with STD/ISD code)			
Duration of stay at present address (Years/Month) (Year -> 0 to 99 Month -> 0 to 11)			
*If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence			

# \* Identity Proof

(Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)

* Residential Proof (Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar)				
*Identity Proof No.				
Residential Proof No.				
*Submit the proof of identity and proof of address				
(a) * Proof of identity	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(b) Residential proof	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

## \*Declaration by Nominee

I do solemnly declare that I am an Indian citizen and resident in India and I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company or LLP and have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law or LLP Act in the last five years. I further declare that

I am not a nominee in any other One Person Company and I shall comply with the eligibility criteria specified in Rule 3(3) within the prescribed period. I understand that the person nominating me may withdraw my nomination without my consent.

## To be digitally signed by Nominee

## 9. Particulars of payment of stamp duty

9A State or union territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid

9B \*Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA 21 system

## 9B(i) Details of stamp duty to be paid

Type of document/ Particulars	Form	Memorandum of association	Articles of association
Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)			

## 9B(ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/ Particulars	Form	Memorandum of association	Articles of association	Others
Total amount of stamp duty paid (in Rs.)				

DSC BOX

261

Mode of payment of stamp		
duty		
Name of vendor or treasury		
or Authority or any other		
competent agency		
authorized to collect stamp		
duty or to sell stamp		
papers or to emboss the		
document or to dispense		
stamp vouchers on behalf		
of the government		
Serial number of		
embossing or stamps or		
stamp paper or treasury		
challan number		
Registration number of		
vendor		
Date of purchase of stamps		
or stamp paper or payment		
of stamp duty	┛║┖────┛║	
(DD/MM/YYYY)		
Place of purchase of		
stamps or stamp paper or		
payment of stamp duty		

## PAN/TAN Information

# 10. \*Additional Information for applying Permanent Account Number (PAN) and Tax Deduction Account Number (TAN)

# Information specific to PAN

/	Area Code	AO type		Range Code		AO No.				

Information specific to TAN

Area Code	AO type		Range Code		AO No.				

# \*Source of Income

Income from Business/profession	Capital Gains	Income from house property
Income from other source	No Income	
*Business/Profession code		

#### Attachments

(h) Memorandum of association

(i) Articles of association

(c) Declaration by first subscriber(s) and director(s);(Affidavit is not required to be attached);

(j) Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and resolution passed by foreign company or authority given through constitutional document;

(e) Resolution passed by promoter company;

(f) Interest of first director(s) in other entities

(g) Optional attachment(s) (if any)

### Declaration

I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013, the rules thereunder and prescribed guidelines framed thereunder in respect of reservation of name, understood the meaning thereof and the proposed name is in conformity thereof.

I have used the search facilities available on the portal of the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for checking the resemblance of the proposed name with the companies and Limited Liability partnerships (LLPs) respectively already registered or the names already approved. I have also used the search facility for checking the resemblances of the proposed name with registered trademarks and trade mark subject of an application under the Trade Marks Act, 1999 and other relevant search for checking the resemblance of the proposed name to satisfy myself with the compliance of the provisions of the Act for resemblance of name and Rules thereof.

The proposed name is not in violation of the provisions of Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 as amended from time to time.

The proposed name is not offensive to any section of people, e.g. proposed name does not contain profanity or words or phrases that are generally considered a slur against an ethnic group, religion, gender or heredity.

The proposed name is not such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being in force.

I undertake to be fully responsible for the consequences in case the name is subsequently found to be in contravention of the provisions of section 4(2) and section 4(4) of the Companies Act, 2013 and rules thereto and I have also gone through and understood the provisions of section 4(5) (ii) (a) and (b) of the Companies Act, 2013 and rules thereunder and fully declare myself responsible for the consequences thereof.

\*|

, a person

named in the articles as a director of the company has been duly authorized by the promoters of the company to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of Director Identification Number (DIN), registration of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with.

I am authorized by the promoter subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first director(s) to give this declaration and to sign and submit this Form.

I further declare that, company shall not commence its business, unless all the required approval from the sectoral Regulators such as RBI, SEBI etc. have been obtained.

I further declare that the company shall not commence the business of Nidhi, unless all the required approval including the declaration be issued under section 406 of the Act have been obtained from Central Government;

Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

I on behalf of the promoters and the first directors, hereby declare that the registered office is capable of receiving and cknowledging all communications and notices addressed to the proposed company on incorporation, shall be maintained at the iven address at item 4 (a)of this form; It, on behalf of all the first director(s) named in the Articles of Association of the proposed company, solemnly declare, that the eclaration given herein as stated above are true to the best of my knowledge and belief, the information given in this integrated pplication form for incorporation and attachments thereto are correct and complete, and nothing relevant to this form has been uppressed. All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form and are as per the riginal records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association. I, on behalf of the proposed Directors whose particulars for allotment of DIN are filled as above, hereby confirm and declare that they are not restrained, disqualified, removed for being appointed as Director of a company under the provisions of the companies Act, 2013 including sections 164 and 169, and have not been declared as proclaimed offender by any Economic Diffence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and not been already allotted a Director Identification lumber (DIN) under section 154 of the Companies Act, 2013, and I further declare that I have read and understood the provisions of Sections 154, 155, 447 and 448 read with Sections 449, 450 and 451 of the Companies Act, 2013. I, on behalf of the proposed directors, hereby declare that person seeking appointment is a national of a country which shares land border with India, necessary security clearance from Ministry of Home Affairs, Government of India shall be attached with he consent. O Yes O No. (if yes is opted, a copy of the security clearance is to be attached) DIN/PAN/Passport Number
The MoA and AoA attached to the form in hard copy is exactly similar to e-MoA and e-AOA to be attached with the form
I hereby declare as per Rule 5(iv) of Companies (Authorised to Register) Rules that the said LLP applying for conversion in this art of the Act has filed all documents which are required to be filed under the LLP Act, 2008 with the Registrar LLP.
having Membership number nd/or certificate of practice number has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such eclaration is provided below.
lote: Attention is drawn to the provisions of sections 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing of any false or incorrect articulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under section 447. Ittention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for alse evidence respectively
To be digitally signed by director DSC BOX
DIN / PAN
1. Declaration and Certification by Professional
I member of having office at *
Who is engaged in the formation of the company declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby also certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above articulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further ertify that;

<ul> <li>i. The draft memorandum and articles of association have been drawn up in conforand 5 and rules made thereunder; and</li> <li>ii. All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder runder section 7 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been</li> <li>iii. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;</li> <li>iv. I have opened all the attachments to this form and have verified these to be as per v. I further declare that I have personally visited the premises of the proposed registered of for the business purposes of the company (wherever applicable in respect of the given).</li> <li>vi. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Compariany found at any stage.</li> <li>vii. The draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformules made thereunder; and</li> <li>viii. All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been</li> </ul>	relating to registration of the company complied with. the Company and maintained as per the r requirements, complete and legible; gistered office given in the form at the ffice of the company will be functioning ne proposed registered office has been hies Act, 2013 for wrong certification, if mity with the provisions of section 8 and relating to registration of the company						
O Chartered accountant (in whole-time practice) or							
O Cost accountant (in whole-time practice) or							
O Company secretary (in whole-time practice)							
Whether associate or fellow:							
O Associate O Fellow							
Membership number							
Certificate of practice number							
Income-tax PAN							
	Save						
For office use only:							
e-Form Service request number (SRN)							
e-Form filing date (dd/mm/yyyy)							
Digital signature of the authorizing officer							
This e-Form is hereby registered	DSC BOX						
Date of signing (dd/mm/yyyy)							

🔵 Hindi

# Form No. INC-33

e-MOA (e-Memorandum of Association) [Pursuant to Schedule I (see Sections 4 and 5) to the Companies Act, 2013]

# Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

## \*Table applicable to company as notified under schedule I of the Companies Act, 2013

- (A MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES
- B MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL
- C MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND HAVING A SHARE CAPITAL
- D MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND NOT HAVING SHARE CAPITAL
- E MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND HAVING SHARE CAPITAL)

# Table A/B/C/D/E

- 1 \*The name of the company is
- 2 \*The registered office of the company will be situated in the State of
- 3 (a) \*The objects to be pursued by the company on its incorporation are:
  - (b) \*Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are
- 4 The liability of the member(s) is limited, and this liability is limited to the amount unpaid if any, on the shares held by them.

The liability of the member(s) is limited

The liability of the member(s) is Unlimited

- 5 Every member of the company undertakes to contribute:
  - (i) to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member, or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member; and
  - (ii) to the costs, charges and expenses of winding up (and for the adjustment of the rights of the contributories among themselves), such amount as may be required, not exceeding rupees.

(iii) The share capital of the company is			rupees, divided into			
	Equity/Preference	▼	Shares of		Rupees each	

Add row	Delete rov
Add row	Delete rov







Form language

English

6 We, the several persons, whose names and address are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set against our respective names:

**I**, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company:

We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association:

**Subscriber Details** 

S. No.	Subscriber Details				
	*Name, Address, Description and Occupation	DIN / PAN / Passport number	No. of shares taken	DSC	Dated
1	Prefill	Prefill	Prefill		
2	Prefill	Prefill	Prefill		
Total shares taken			Prefill		

		Signed before	re me		
Membership type of the witness (ACA/FCA/ACS/FCS/ACMA/FCMA)	*Name of the witness	*Address, Description and Occupation	*DIN / PAN / Passport number / Membership number	DSC	Dated
_					

7 Shri / Smt.		Of		resident of	
	aged		years shall be the nominee i	n the event of	death of the sole
member.					
Attachments					

First Subscriber (s) sheet	

Max 2 MB Choose File

Declaration				
Pursuant to resolution no.		dated,		I, on the behalf of
Board of Directors, declare	hat following amendments have be	en adopt	ed in Memorandum of Association:	

To be digitally signed by	
Name	
Designation	Director
DIN	
DSC	DSC BOX

Save
------

Submit

Remove

Download

▼

# Form No. INC-34

# e-AOA (e-Articles of Association)

[Pursuant to Schedule I (see Sections 4 and 5) to the Companies Act, 2013]



# Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

Table applicable to company as notified under schedule I of the Companies Act, 2013 (F, G, H, I, J)

# Table F/G/H/I/J (basis on the selection of above-mentioned field) as notified under

schedule I of the companies Act, 2013 is applicable to

(F – A COMPANY LIMITED BY SHARES

G – A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND HAVING A SHARE CAPITAL

H – A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING SHARE CAPITAL

I – AN UNLIMITED COMPANY AND HAVING A SHARE CAPITAL

J – AN UNLIMITED COMPANY AND NOT HAVING SHARE CAPITAL)

The name of the company

Chec k if not appli cabl e	Ch eck if alt ere d	Art icl e No	Description
			Interpretation
			<ul> <li>(1) In these regulations— <ul> <li>(a) "the Act" means the Companies Act, 2013,</li> <li>(b) "the seal" means the common seal of the company.</li> </ul> </li> <li>(2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.</li> </ul>
			Number of Members (in-case of Table G / Table I)/ Members (in-case of Table H / Table J)
			The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.
			The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.
			Share capital and variation of rights
			Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.
			(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one

	month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,—
	(a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or
	(b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate
	after the first.
	(ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon.
	(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more
	than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient
	delivery to all such holders
	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for
	endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the
	company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof
	shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate.
	(ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall <i>mutatis mutandis</i> apply to debentures of the company.
	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and
	the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof)
	any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except
	an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.
	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40,
	provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in
	the manner required by that section and rules made thereunder.
	(ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-
	section (6) of section 40.
	(iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or
	partly in the one way and partly in the other.
	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless
	otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48,
	and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three- fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting
	of the holders of the shares of that class.
	(ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall <i>mutatis</i>
	<i>mutandis</i> apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.
	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not,
	unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by
	the creation or issue of further shares ranking <i>pari passu</i> therewith.
	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be
	issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the
	issue of the shares may, by special resolution, determine.
	Lien
	(i) The company shall have a first and paramount lien—
	(a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or
	payable at a fixed time, in respect of that share; and

	(b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company: Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.
	(ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.
	The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien:
	Provided that no sale shall be made— (a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or (b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.
	(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof.
	(ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer.
	(iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.
	(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable.
	(ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.
	Calls on shares
	<ul> <li>(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times:</li> <li>Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call.</li> </ul>
	(ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares.
	(iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.
	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising the call was passed and may be required to be paid by instalments.
	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
	(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine.
	(ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.

	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable.
	(ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.
	The Board— (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.
	Transfer of shares
	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee.
	(ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.
	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register—
	<ul><li>(a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or</li><li>(b) any transfer of shares on which the company has a lien.</li></ul>
	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless — (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.
	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine:
	Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.
	Transmission of shares
	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares
	(ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.
	<ul> <li>(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either—</li> <li>(a) to be registered himself as holder of the share; or</li> <li>(b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made.</li> </ul>
	(ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.

	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects.
	(ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share.
	(iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.
	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company:
	Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.
	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognized by the company as having title to all the shares of the member;
	(ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company;
	(iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable;
	(iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.
	Forfeiture of shares
	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.
	The notice aforesaid shall—
	(a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and
	(b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.
	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.
	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit.
	(ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.

shall, notwithstanding the forfeture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeture, were presently payable by him to the company in respect of the shares.         (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all similar is in respect of the shares.         (iii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all similar to company may dath at a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share;         (iii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and revecute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of;         (iii) The transferes shall thereupon be registered as the holder of the share; and         (iv) The transferes and the bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his titt the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sal disposal of the share.         (iii) The transferes of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of share or by way of premium, as if the same had been payable by vittue of a call duly made and notified.         (iii) The company may, from time to time, by ordinary resolution,       (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of and dury made and notified.         (iiii		
Image: Inclusion respect of the shares.           Image: I		forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares.
company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share;           (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and rexecute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of;           (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and         (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his till the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sal disposal of the share.           Image: I		
execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of;       (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and         (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his till the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sal disposal of the share.         Image: the transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his till the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sal disposal of the share.         Image: the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.         Image: the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.         Image: the terms of issue of a share, becomes payable or payable by virtue of a call duly made and notified.         Image: the terms of issue of a share, becomes payable or payable by virtue of a call duly made and notified.         Image: the terms of issue of a share, becomes payable or payable by virtue of a call duly made and notified.         Image: the provisions of section 61. The company may, by ordinary resolution, —         (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;       (b) convert all or any of its fully paid-		(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be
(iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his till the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sal disposal of the share.         Image: Ima		(ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of;
the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sal disposal of the share.         the provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.               Image: the same of the same is the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.          Image: the same of such amount, as may be specified in the resolution increase the share capital by such sum, to be divinto shares of such amount, as may be specified in the resolution.          Image: the same of the paysible start of the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,       (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;         (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of a denomination;       (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandur (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.         Image: the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose.       (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantage		(iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and
the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.         Image:		(iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.
the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.         Image:		
Image: Company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divinto shares of such amount, as may be specified in the resolution.         Image: Company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divinto shares of such amount, as may be specified in the resolution.         Image: Company may, by ordinary resolution, increase the share capital by such sum, to be divinto subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution, —         (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;         (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of a denomination;         (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandur         (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.         Image: Company and in the stock and the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:         Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the share from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares		the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the
into shares of such amount, as may be specified in the resolution.         Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution, —         (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;         (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of a denomination;         (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandur         (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.         Where shares are converted into stock, —         (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the sar regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:         Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the share from which the stock arose; but no such privilege or advantage.         (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w		Alteration of capital
<ul> <li>Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution, —         <ul> <li>(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;</li> <li>(b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of a denomination;</li> <li>(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandur</li> <li>(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.</li> </ul> </li> <li>Where shares are converted into stock, —         <ul> <li>(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the sare regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:             <ul> <li>Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shaftrom which the stock arose; but no such privilege or advantage.</li> <li>(b) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w</li> </ul> </li> </ul></li></ul>		The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided
<ul> <li>(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;</li> <li>(b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of a denomination;</li> <li>(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandur</li> <li>(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.</li> <li>Where shares are converted into stock, —</li> <li>(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the sare regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:</li> <li>Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the sha from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.</li> <li>(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w</li> </ul>		into shares of such amount, as may be specified in the resolution.
<ul> <li>(b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of a denomination;</li> <li>(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandur</li> <li>(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.</li> <li>Where shares are converted into stock, —</li> <li>(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the sar regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:</li> <li>Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shar from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.</li> <li>(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w</li> </ul>		
<ul> <li>denomination;</li> <li>(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandur</li> <li>(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.</li> <li>Where shares are converted into stock, —         <ul> <li>(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the sar regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:</li> <li>Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.</li> <li>(b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shaf from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.</li> <li>(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w</li> </ul> </li> </ul>		(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
<ul> <li>(d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.</li> <li>Where shares are converted into stock, —         <ul> <li>(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the sare regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:             <ul></ul></li></ul></li></ul>		(b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination;
taken by any person.         Where shares are converted into stock, —         (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the sare regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:         Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.         (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shafrom which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.         (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w		(c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum;
<ul> <li>(a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:</li> <li>Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.</li> <li>(b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shar from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.</li> <li>(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w</li> </ul>		
<ul> <li>regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit:</li> <li>Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, the such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.</li> <li>(b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shaftrom which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.</li> <li>(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w</li> </ul>		Where shares are converted into stock, —
<ul> <li>(b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges a advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the sha from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.</li> <li>(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w</li> </ul>		transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that
advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the sha from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profit the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage. (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the w		
		(c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

1	
	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law, —
	(a) it share capital;
	(b) any capital redemption reserve account; or
	(c) any share premium account.
	Capitalisation of profits
	(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve—
	(a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and
	(b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.
	(ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards—
	<ul> <li>(A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively;</li> <li>(B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid;</li> </ul>
	(C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B);
	(D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this
	regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid
	bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.
	(c) The board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.
	(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall—
	(a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and
	(b) generally do all acts and things required to give effect thereto.
	(ii) The Board shall have power—
	(a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks
	fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and
	(b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on
	their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the
	amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares;
	(iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.
	<i>Buy-back of shares</i> Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any
	other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.
	General meetings
	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.
	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.
	(ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.

	Proceedings at general meetings
	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.
	(ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.
	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.
	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.
	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.
	In case of a One Person Company—
	(i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118;
	(ii) such minutes book shall be signed and dated by the member;
	(iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.
	Adjournment of meeting
	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.
	(ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.
	(iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.
	(iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.
	Voting rights
	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, $-$
	<ul> <li>(a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and</li> <li>(b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.</li> </ul>
	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.
	(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.
	(ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.

	The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.
	<ul> <li>(ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them—</li> <li>(a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or</li> <li>(b) in connection with the business of the company.</li> </ul>
	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day.
	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.
	Board of Directors
	Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.
	executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given:
	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was
	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105.
	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.
	Proxy The instrument appointing a prove and the newer of atternov or other authority, if any, under which it is signed or
	Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.
	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given:
	Every member shall have one vote
	(ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.
	which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.
	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at
	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid
	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.
	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.

т	
	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign
	register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may
	think fit respecting the keeping of any such register.All cheques, promissory notes, drafts, <i>hundis</i> , bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine.
	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.
	<ul> <li>(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles.</li> <li>(ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall</li> </ul>
	be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act. <i>Proceedings of the Board</i>
	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it
	thinks fit.
	(ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.
	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.
	(ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.
	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.
	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office.
	(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.
	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit.
	(ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.
	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings.
	(ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.
	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit.

	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to
	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.
	Dividends and Reserve The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.
	(ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.
	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal.
	secretary or chief financial officer. The Seal
	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company
	(ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer
	(i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may think fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board;
	Subject to the provisions of the Act, —
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer
	<ul><li>(ii) such minutes book shall be signed and dated by the director;</li><li>(iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.</li></ul>
	shall be entered into minutes book maintained under section 118;
	(i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board
	In case of a One Person Company—
	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.
	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.
	(ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.

	which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit.
	(ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve.
	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares.
	(ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share.
	(iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.
	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.
	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.
	(ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.
	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.
	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.
	No dividend shall bear interest against the company.
	Accounts
	(i) The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and
	under what conditions or regulations, the accounts and books of the company, or any of them, shall be open to the inspection of members not being directors.
	(ii) No member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by law or authorised by the Board or by the company in general meeting.
	Minding up
	Winding up           Subject to the provisions of Chapter XX of the Act and rules made thereunder—

	is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal.
	Every officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he
	Indemnity
	(iii) The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories if he considers necessary, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.
	(ii) For the purpose aforesaid, the liquidator may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members.
	(i) If the company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the Act, divide amongst the members, in specie or kind, the whole or any part of the assets of the company, whether they shall consist of property of the same kind or not.

# **Subscriber Details**

S. No.	Subscriber Details							
	Name, Address, Description and     DIN / PAN / Passport     Place     DSC     Dated       Occupation     number							
1.								
2								

	Signed before me						
Name Prefix (ACA/FCA/ACS/ FCS/ACMA/FCMA)		*Name of the witness	*Address, Description and Occupation	*DIN / PAN / Passport number / Membership number	*Place	DSC	Dated

Attachments					
First Subscriber (s) sheet	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download	
Declaration					
Pursuant to resolution no.	dated,		I, on the	behalf of	
Board of Directors, declare that following amendn	nents have been adopted in Articles of A	ssociation:			

To be digitally signed by	
Name	
Designation	Director
DIN	
DSC	DSC BOX
	Save Submit



# Form No. INC-35

# **AGILE-PRO-S**

(Application for Goods and services tax Identification number, employees state Insurance corporation registration pLus Employees provident fund organisation registration, Profession tax Registration, Opening of bank account and Shops and Establishment Registration)

[Pursuant to rule 38(A) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory

This AGILE PRO S form is part of Spice+ form for GSTIN,	/ EPFO/ESIC/Profession	Tax/Bank Account/Shop and Establish	ment
Registration			

*Name of the Company		
1 *Do you want to apply for GSTIN	O Yes	O No
2 *State (Same as entered in SPICe+)		V
3 *District (Same as entered in SPICe+)		V
4 State Jurisdiction		V
Sector / Circle / Ward /Charge / Unit		V

5 Centre Jurisdiction			
Commissionerate			V
Division			▼
Range			
6 Reason to Obtain Registration			
7 *Whether the Establishment on Lease		O <sub>Yes</sub>	O No
Leased from Date			
Leased to Date			
7a Nature of possession of premises (Own/Leased /Rented /Consent /Shared/Others)			V
If selected others,			
b Proof of Principal place of Business (Property Tax Receipt (TAXR)/Municipal Khata copy (CMUK), Electricity Bill (ELCB)/ Rent/ Lease Agreement (RLAT), Consent Letter (CNLR)/Rent receipt with NOC (In case of no/expired agreement) Legal ownership document (LOWN)	(RNOC),		
Proof of Principal place of business		Choose file R	emove Download
c *Whether the building/premises of Establishment, is owned or (Hired / Rented/Owned /Leased)	hired		▼
If hired or there is a change in the name of unit/ ownership, plea	ase indicate	O Yes	O No
Leased from Date			
Leased to Date			
8 Option for Composition		O Yes	O No
8a Composition Declaration			

I hereby declare that aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or Rules for opting to pay tax under the composition levy.

b Category of Registered Person

Manufacturer of non-notified goods

Supplier of food and non- alcoholic drinks

Any other eligible supplier

9 Nature of Business Activity being carried out at above mentioned Premises (Please tick applicable)

Factory / Manufacturing, Wholesale Business, Retail Business, Warehouse / Depot, Bonded Warehouse, Supplier of services, Gffice / Sale Office, Leasing Business Recipient of goods or services, EOU / STP / EHTP, Works Contract, Export, Import, U Others (Please specify) 9a \*Primary Business Activity ▼ If Others selected, please specify b \*Exact nature of work / business ▼ \*Work Sub-Category ▼ \*Nature of work business 10 Details of the Goods supplied by the Business HSN code (4 Digit) ▼ **Description of Goods** 11 Details of Services supplied by the Business Service Accounting Code (6 digit) **Description of Services** 

12 Director / Primary Owners / Office Bearer Details

(Minimum number of directors / Primary Owners / Office Bearers to be entered for OPC shall be 1, 2 in case of private company, 3 in case of public limited company and 5 in case of Producer Company)

\*Number of Director details to be entered

# 12a Enter Director details who is also an Authorised Signatory / Primary Owner / Office Bearer

(Search and select the name of the director)			
DIN			
*PAN			
*First Name			
Middle Name			
*Last Name			
*Personal Mobile Number		+91	
*Personal Email ID			
Send OTP			
Enter OTP for Mobile Number			
Enter OTP for Email Id			
Verify OTP			
Do you wish to perform Aadhaar authentication for GSTN reg	gistration	⊖ Yes	O No
*Photograph	Max 100 KB	Choose File Re	emove Download
Proof of appointment of Authorised Signatory for GSTN	Max 100 KB	Choose File	lemove Download
(Either of the following document can be attached Letter of Aut and Acceptance letter)	horisation/Copy of Res	olution passed by BoD/	Managing Committee
*Specimen Signature of Authorised Signatory for EPFO	Max 2 MB	Choose File	Remove Download
b Director Details other than Authorised Signatory/Primary O	wner / Officer Bearer		
(Search and select the name of the director)			
DIN			
*PAN / Passport Number			
*First Name			

Middle Name

\*Last Name

*Personal Mobile Number			+9	91		
*Personal Email ID						
*Photograph	Max 10	00 KB	Choose	e File Ren	nove Do	ownload
13 *Police Station						
14 Employer's Particulars						
*Select Appropriate Branch Office						
*Select Inspection Division						V
15 Bank Particulars						
*Select Bank Name						
*Proof of Identity of Authorised Signatory for opening Bank Acco	ount	Max 2 MB		Choose File	Remove	Download
*Proof of Address of Authorised Signatory for opening Bank Acco	ount [	Max 2 MB		Choose File	Remove	Download
16 Details for Shops and Establishment Registration						
Whether registration is required under Shops and Establishment Act			0	Yes	0	No
a Category of Establishment						
b Nature of Business						
c Ward						
d SAC Ward						
e Section						
f Property Account Number						
g Flat Number						
h Building UID						

## Declaration

# **GST Declaration (By Authorised Signatory)**

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

# ESIC Declaration (By Office Bearer)

\*I hereby declare that the statement given above is correct to the best of my knowledge and belief. I also undertake to intimate changes if any, promptly to the Regional Office/Sub Regional Office, ESI Corporation as soon as such change takes place.

# Profession Tax Declaration

The above information is true to the best of my knowledge and belief

# **EPFO Declaration (By Primary Owner)**

\*I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

# Bank Declaration (By Authorised Signatory)

\*I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I authorise ....... Bank and its officials to contact me/us on phone/ email/ SMS for the purpose of opening of bank account.

I understand that the bank account number generated through this process will be shared with MCA by the banks.

I/we undertake to complete all documentary requirements as per bank KYC norms before activation of the account.

# Shops and Establishment (Delhi) Declaration (By Primary Owner)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

# Shops and Establishment (Mumbai) Declaration (By Primary Owner)

I / We, hereby solemnly affirm and state that the business which I / We have started is not banned or prohibited by any Act, Rules, Law or Order of any Court of Law or any competent authority and the premises where I / We are conducting the said business is free from violation of any Act, Rules, Order of any Court of Law or any Competent Authority.

I / We hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my personal knowledge, information and belief. I am fully aware about the consequences of giving false information. If the information is found to be false, I shall be liable for prosecution and punishment under the Indian Penal Code (45 of 1860) and / or any other law applicable thereto.

I / We have obtained necessary licenses, permissions. Permits for the conduct of this business and the place of business from the appropriate authority.

I / We shall be responsible and liable for legal action if the business is conducted without proper license, permission. Permit from the appropriate Authority.

I / We submit and declare that I / We will not undertake any illegal activity or any business prohibited in law in force in India.

I / We declare that the place of business is not located in any area wherein commencing / running of such business is prohibited by any Law or order of any Competent Authority.

I / We declare that the copies attested by me are true copies of original documents. I am well aware of the fact that if the copies are found false / forged, I shall be liable for prosecution and punishment under the Indian Penal Code (45 of 1860) and / or any other law applicable thereto.

I / We undertake to abide by the provision of the Maharashtra Shops & establishment (Regulation of Employment and Condition of Service), Act, 2017 (Mah. LXI of 2017) and the Rules and Orders passed there under by any Authority.

286

\*Date

\*Place

# \*Designation

# \*To be digitally signed by director

\*DIN/PAN

(Authorised Signatory / Primary Owner / Office Bearer signing the SPICe+ -AGILE-PRO-S form shall provide his Permanent Account Number)

				Save		Auto Check	Submit
	<u>(</u> 2)						
Form No. RD-1	<u>М</u>					Form langu	lage
Form for filing application to Central Government (Regional Director)	सत्यमेव जयते					English	Hindi
[Pursuant to Section 2(41), 16 and 18 of the Companies Act, 2013 and rule 33A, 40 and 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]							
Refer instruction kit for filing the form							
All fields marked in * are mandatory							
Company Information							
1 *Corporate Identity Number (CIN)							
2 (a) *Name of the Company							
(b) *Email ID of the company							
(c) *Address of the registered office of the company							
3 *Please indicate the purpose of the application							
O Rectification of name		0	Change ir	n financi	al ye	ar	
O Conversion of Public company into a Private con	npany	0	Others				

DSC Box

4 (a) Specify the details of purpose (In case 'Others' is selected above)		
(b) Section of The Companies Act, 2013 under which application is made		▼
5 (a) CIN of company against which the application for rectification of name is being made		
(b) Name of the company against which the application is made		
6 Please mention the new financial year beginning and end date		
(a) Beginning Date (DD/MM/YYYY)		
(b) End Date (DD/MM/YYYY)		
7 *Details as to whether a company registered under Section 8 of the Act	O Yes	O No
8 (a) Date of passing of Board Resolution (DD/MM/YYYY)		
(b) Mode of Resolution (Physical/Circular)		
(c) Number of votes casted in favor		
(d) Number of votes casted against		
9 (a) Service request number of Form MGT-14		
(b) Date of passing special resolution (DD/MM/YYYY)		

# 10 \*Grounds for filling the application

11 (a) Date of publication of advertisement in English language as per rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (DD/MM/YYYY)

(b) Date of publication of advertisement in vernacular language as per rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (DD/MM/YYYY)

12 Particulars of Creditors and Debenture Holders

S. No.	Name of the Creditor / Debenture Holder	Туре	Address	Amount Due	Remarks (Nature of Debt / Claim / Liability)

Add row	Delete row	Download excel	Import		
13 (a) Details of an	y previous application	made within last five yea	ars for change in financial ye	ear and outcome thereof	

# (b) Details of any conversion made within last five years and outcome thereof

Attachments				
(a) Copy of board resolution	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(b) Copy of special resolution	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(c) Copy of advertisement	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(d) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download

## Declaration

\*I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number\* dated \* to sign this is form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

\* I hereby declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

## Declaration under Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

\*  $\square$  I, on behalf of Board of Directors, hereby declare that pursuant to the provisions of sub-section (68) of section 2, the company limits the number of its members to two hundred and also no deposit has been accepted by the company in violation of the Act and rules made thereunder.

\* 🗌 I, on behalf of Board of Directors, hereby declare that no non-compliance of sections 73 to 76A, 77, 178, 185, 186 and 188 of the Act and rules made thereunder has been made

\* [] I, on behalf of Board of Directors, hereby declare that no resolution is pending to be filed in terms of sub-section (3) of section 179 and also the company was never listed in any of the Regional Stock Exchanges and if was so listed, all necessary procedures were

complied with in full for complete delisting of the shares in accordance with the applicable rules and regulations laid down by Securities

Exchange Board of India.

* To be digitally signed by	DSC BOX
* Designation	
(Director/Manager/Company Secretary/ CFO/CEO)	
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the Manager/CEO/CFO; or Membership number of the Company Secretary	
	Save

Note: Attention isdrawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement/certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:	
eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
Digital signature of the authorising officer	
This eForm is hereby approved	DSC BOX
This eForm is hereby rejected	DSC BOX
Date of signing (DD/MM/YYYY)	
	[F. No. 1/13/2013-CL-V, Vol. IV]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (1) *vide* number G.S.R.250(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and last amended, *vide* number G. S. R. 643 (E) dated the 18<sup>th</sup> August, 2022.